खण्ड-170, अंक-2
मंगलवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1878
(3 अप्रैल, 1956 ई0)

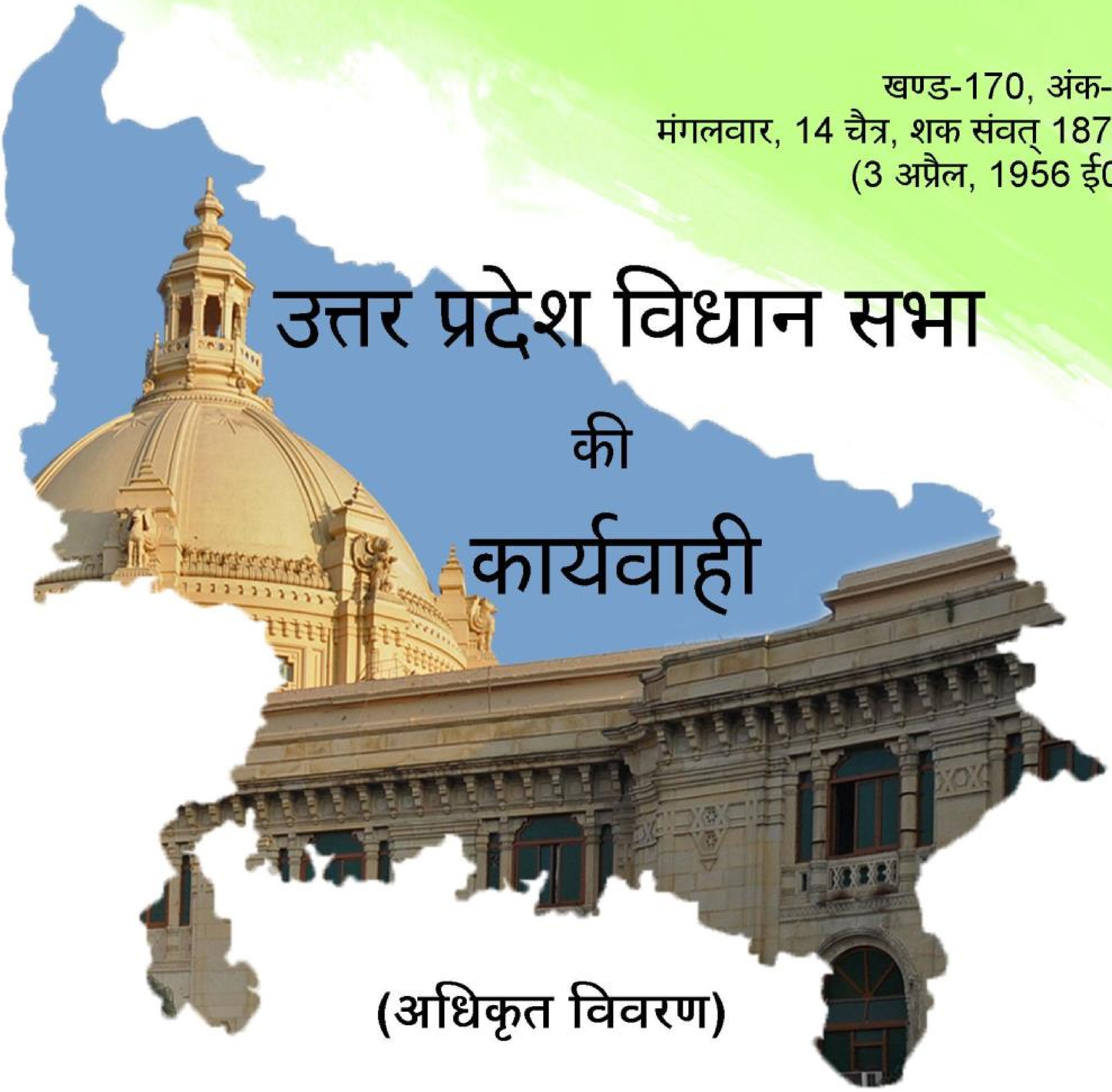

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 170 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
25 JUL 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२९१)

अक्षयबर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गोरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री

जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर आचार्य, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम श्री, (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह श्री, (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री

मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखिरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री

शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवरक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

तारांकित प्रश्न

टाउन एरिया स्थापित करने के नियम

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार प्रदेश के ५ हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को टाउन एरिया बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वशासन उप मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--जी नहीं।

यह कोई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ५ हजार से अधिक आबादी वाले गांव को टाउन एरिया बनाया ही जावे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बनाने की क्या-क्या शर्तें हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--शर्तें कोई विशेष नहीं हैं। टाउन एरिया उस समय बनाये जाते हैं जब यह खोज देख ली जाती है कि इस कस्बे का हित टाउन एरिया बनाने से हो सकता है। कुछ अधिकार पंचायतों के हैं और कुछ अधिकार टाउन एरिया को हैं। टाउन एरिया को कुछ टैक्स लेने के अधिकार ज्यादा हैं बाकी अधिकार पंचायतों को हैं और वे अच्छी तरह से काम करती हैं। जहां कहीं बड़ी मन्डी हो और बहुत आमद रफ्त हो और टोल टैक्स से खास आमदनी हो सकती है, तभी वहां पर टाउन एरिया बनाने से उसका हित हो सकता है अन्यथा कोई लाभ नहीं हो सकता है। इन सब चीजों की देखभाल करके वहां के लोगों की राय लेकर और पंचायत की सम्मति जब प्राप्त हो जाती है तभी यह तय किया जाता है कि यहां टाउन एरिया बनाना ठीक होगा या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय स्वशासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई इस प्रकार की तालिका है कि इन शर्तों के मुताबिक इतने टाउन एरिया प्रदेश में बनाने हैं, यदि हैं तो वह कितने की हैं?

श्री कैलाश प्रकाश--तालिका कोई नहीं है, लेकिन वहां के नगरवासियों की तरफ से या पंचायत की तरफ से प्रार्थनापत्र आते रहते हैं। जब वह प्रार्थनापत्र आते हैं तो उनकी जांच पड़ताल की जाती है और जैसा कि मैंने निवेदन किया जिस से पूछना आवश्यक समझा जाता है पूछा जाता है। जब वह सामग्री आती है तो उस पर निर्णय किया जाता है।

आजमगढ़ जिले की ताल रतोय पम्प नहर में ली गई जमीन का मुआविजा

*२--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ की ताल रतोय पम्प नहर में किसानों के खेत कितने एकड़ पड़े और उनका कितना मुआविजा दिया गया?

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामभूति)--जिला आजमगढ़ की घोसी तहसील में रतोय ताल पम्प नहर के बनाने में २१.२ एकड़ भूमि ली गयी है। भूमि सम्बन्धी पत्रादि सम्बन्धित लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर के पास भेजे जा चुके हैं। वे भूमि का मुआवजा निर्धारित करने तथा उसको वितरण करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नहर के बनाने का काम कब से शुरू हो गया है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद १९५४ से शुरू हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नहर में ली गयी जमीन की मालगुजारी किसानों को ही देनी पड़ रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है कि जो जमीन ली गयी है उसकी मालगुजारी किसानों को देनी पड़ती है। माननीय सदस्य चाहेंगे, तो मैं इसका पता लगा दूंगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मुआविजा दिया जा रहा है, वह जमीन की कीमत के रेट से दिया जा रहा है या और किसी रेट से?

श्री रामभूति--इसके नियम बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार दिया जाता है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)----क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस नहर को खुदाई का काम स्थगित हो गया है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, काम चल रहा है।

बरवा, तहसील सैदपुर में बांध का टूटना

*३--**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरवा, तहसील सैदपुर में जो बांध बना था, वह रेगुलेटर छोटा होने के कारण टूट गया है ? यदि हां, तो क्या गाजीपुर के एस० डी० ओ०, सिंचाई विभाग ने डबल रेगुलेटर लगाने का प्रस्ताव किया था ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, जैसा कि चौथे मंगलवार को माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर में बताया जा चुका है यह बांध १९५५ की भयंकर बाढ़ में ग्रामवासियों के काट देने के कारण टूटा था। गाजीपुर के सिंचाई विभाग के सहायक इन्जीनियर ने इस रेगुलेटर को डबल करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया।

श्री कमला सिंह--क्या यह सही है कि मुंह छोटा होने के कारण पानी नहीं निकला और १५-२० गांव जलमग्न हो गये ?

श्री राममूर्ति--जी हां, सन् ५५ में जो बाढ़ आयी थी वह असाधारण थी। इसलिए उसमें से पानी नहीं निकल सका। यह रेगुलेटर साधारण बाढ़ के लिए बनाया गया था।

श्री कमला सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस रेगुलेटर को बनाने के लिए एस० डी० ओ० ने कितने मुंह का रेगुलेटर बनाने की रिपोर्ट दी थी ?

श्री राम मूर्ति--तीन मुंह का रेगुलेटर बनाने की रिपोर्ट दी गयी थी, और तीन मुंह का ही बना दिया गया।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि पूर्वी जिलों में जो बांध बनाये जायं उसमें असाधारण बाढ़ का भी ध्यान रक्खा जाय ?

श्री राममूर्ति--दुनियां के काम असाधारण समय के लिए नहीं हुआ करते जो भी काम होते हैं, साधारण समयों के लिए ही होते हैं। असाधारण समय के लिए तो परमात्मा पर ही निर्भर रहना होता है। नहीं तो खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है।

अश्लील विज्ञापनों को रोकने के लिए प्रार्थना

*४--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार का ध्यान उन सिनेमा तथा अन्य व्योपारी विज्ञापनों पत्र-पत्रिकाओं आदि की ओर आकर्षित हुआ है जिनमें अश्लील चित्रों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है ? यदि हां, तो उसने उनको बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की ?

सूचना मन्त्री के सभा-सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)--जी हां। औषधियों व रोगों से सम्बन्धित अश्लील विज्ञापनों को बन्द करने के लिए Objectionable Advertisement Control Act और अन्य अश्लील प्रकाशनों की रोक थाम के लिए इन्डियन पेनल कोड की धारा २९२ तथा प्रेस (आब्जेक्शनेबुल मैटर) ऐक्ट, जिसकी अवधि ३१ जनवरी, १९५६ को समाप्त हो गयी है, के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती रही है।

श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या सरकार यह बतायेगी कि गत वर्ष इस धारा की अवज्ञा करने वाले कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--(आबजेक्शनेबुल मैटर) ऐक्ट ३१ जनवरी, १९५६ को खत्म हो चुका है। अब जो कार्यवाही होगी वह इन्डियन पीनल कोड के अधीन होगी। उसकी तरफ जब हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है, तब कार्यवाही होती है। इस समय किसी कार्यवाही की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार उक्त धारा की मियाद बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर यह ऐक्ट गवर्नमेंट आफ इन्डिया का था। इसके लिए हमारे यहां २९२ आई० पी० सी० की धारा है, उसके अधीन कार्यवाही होती है।

*५-६--**श्री झारखण्डे राय**--[हटा दिये गये।]

आजमगढ जिले में टोंस नदी की बाढ़ को रोकने की योजना

*७--**श्री व्रजबिहारी मिश्र**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की टोंस नदी की बाढ़ से रक्षा करने के लिए सरकार कोई योजना बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--जी हां। टोंस नदी का जल-सर्वेक्षण (Hydraulic Survey) किया जा रहा है।

*८--**श्री व्रजविहारी मिश्र**--यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वह कौन सी योजना है ?

श्री राममूर्ति--सर्वेक्षण समाप्त होने पर ही योजना बनायी जायगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि सर्वेक्षण कब तक समाप्त होने की आशा की जा सकती है ?

श्री राममूर्ति--कोशिश तो यही होती है कि काम जल्द समाप्त हो जाय, गालिबन जल्द समाप्त हो जायगा।

श्री झारखण्डे राय--क्या मन्त्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि सर्वे पार्टी के देखने के लिए क्या यह विषय भी है कि जहां पर नदी बहुत टेढ़ी बहती है, उस को सीधा किया जाय ?

श्री राममूर्ति--सर्वे की रिपोर्ट में जितनी भी जरूरी बातें हैं, वह सभी ली जायंगी।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टोंस नदी जहां से निकलती है वहीं से सरजू का पानी बहाकर निकाल लिया जा सके, ऐसी व्यवस्था हो सकती है ?

श्री राममूर्ति--रिपोर्ट आ जाय उस के बाद सोचा जायगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या इस प्रश्न को दृष्टि में रखकर कि अगले वर्ष अगर अधिक वर्षा हो तो उसके लिए कोई योजना कार्यरूप में परिणित करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--काम जारी है और जितने जरूरी कार्य हैं वह किये जा रहे हैं और अब हम सब लोगों को उम्मीद करना चाहिए कि अगले वर्ष वर्षा इतनी अधिक न हो कि बाढ़ आयें।

फतेहपुर दीवानी कचेहरी की इमारत को बढ़ाने की आवश्यकता

*९—**श्री अनन्तस्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में एडीशनल मुंसिफ फतेहपुर की अदालत के लिये दीवानी का Witness-shed खाली कराया गया है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां।

*१०—**श्री अनन्तस्वरूप सिंह**—अगर हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरसात और धूप से बचत के लिये जनता को अदालत दीवानी फतेहपुर में कहां शरण दी जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर—बरसात तथा धूप से बचने के लिये जनता दीवानी अदालत के बरामदे को प्रयोग में ला सकती है।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर दीवानी कचहरी की इमारत के एक्सटेंशन या नई इमारत की व्यवस्था इस साल में हो सकेगी या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—हम कोशिश तो कर रहे हैं कि करेंट इयर में हो सके, लेकिन ख्याल यह है कि यह काम आइन्दा साल शायद जरूर हो सके।

*११-१२—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३-१४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५-१६—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१९—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

हरद्वार अर्धकुम्भ मेले पर सरकारी प्रबंध

*२०—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिद्वार में होने वाले अर्ध कुम्भ के सम्बन्ध में वह क्या व्यवस्था करने जा रही है ताकि इलाहाबाद में हुई कुम्भ दुर्घटना की पुनरावृत्ति सम्भव न हो सके ?

श्री कैलाश प्रकाश—हरिद्वार की स्थानीय स्थिति के अनुसार, जो कि इलाहाबाद की स्थिति से भिन्न है, सरकार उचित एवं आवश्यक प्रबन्ध कर रही है तथा यह आशा की जाती है कि जो व्यवस्था की जा रही है उसके बाद कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी, जो प्रबन्ध और व्यवस्था वहां मेले की की जा रही है, उसका समुचित विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—बात बहुत व्योरे की है और अनेक दिशाओं में प्रबन्ध किया जा रहा है। एक मेला आफिसर पहले ही नियुक्त किर दिया गया था वह सब देख-रेख वहां कर रहे हैं। वहां यात्रियों के आने-जाने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और वहां बहुत से बाईपासेज भी बनाये जा रहे हैं जिससे ऋषिकेश आदि आने-जाने वालों की भीड़ कम हो सके, नदी पर कई पुल बनाये गये हैं और जो वहां एक विशाल

मैदान पड़ा है उस सब को ठीक करा दिया गया है और आने-जाने वालों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि भीड़ बहुत हो जाय तो उसको रोका जा सके और कई जगह वहां ऊंचे-ऊंचे टावर बना दिये गये हैं जिन पर से मेले की देखभाल हो सके और वहां टेलीफोन और वायरलेस का प्रबन्ध कर दिया गया है ताकि अगर डाकखाने के तार वगैरा टूट जायं तो उनका प्रयोग हो सके। इस तरह से तमाम प्रिकाशन्स ली गई हैं बीमारी आदि रोकने के लिए भी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि टीके आदि का प्रबन्ध किया गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अर्धकुम्भ के मेले में हरद्वार में वी० आई० पीज० के ठहरने का कोई खास प्रबन्ध किया गया है?

श्री कैलाश प्रकाश---वी० आई० पीज० के लिये कोई खास प्रबन्ध नहीं किया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि अर्ध कुम्भ के मेले के अवसर पर आने के हेतु वी० आई० पीज० और मिनिस्टर्स के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई सर्कुलर भी निकाला है?

श्री कैलाश प्रकाश---मुझे तो इसकी कोई सूचना है नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में कुछ दिन पहले प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें लिखा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार का एक सर्कुलर निकाला है कि स्नान के जो मुख्य दिन हों उस दिन मंत्री आदि मेले में न जायं?

श्री सैयद अली जहीर---अखबार में बहुत सी बातें ऐसी छप जाती हैं जो वाक़ये के खिलाफ होती हैं।

श्री रामदास रविदास---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हर की पैड़ी पर कितने चौड़े घाट हैं जिन पर कितने लोग नहा सकेंगे?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं जाकर देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर नागा साधु भी इस मेले में आते हैं तो उनकी देखरेख के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

श्री कैलाश प्रकाश---अर्ध कुम्भ के मेले पर वे लोग नहीं आते हैं। उन्होंने यह तय कर लिया है कि इस अर्द्ध कुम्भ पर वे नहीं आयेंगे?

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि महत्वपूर्ण व्यक्ति इस कुम्भ के अवसर पर जरूर जायंगे पुलिस की जो टुकड़ी रक्खी गई है उसका एक हिस्सा उनके लिये रख दिया जाय और बाकी हिस्सा अलग कर दिया जाय?

श्री कैलाश प्रकाश---यह प्रश्न उठता ही नहीं। महत्वपूर्ण व्यक्ति जायंगे तो जो उनका इन्तजाम होता है वह स्वयं अपनी तरफ से होगा। कोई इस बात की आशंका नहीं है कि वहां का जो प्रबन्ध होगा वह किसी की वजह से टूट जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को विदित है कि हर की पौड़ी, हरद्वार के आसपास जगह कम होने के कारण वहां पर भीड़ होने की अत्यधिक संभावना है, तो क्या विशेष इन्तजाम भीड़-भाड़ को रोकने के लिए किया जा रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश---मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को इस बात का पता है कि हर की पैड़ी एक विशेष स्थान है और उस विशेष स्थान को पिछले कई वर्षों से ठीक करने का प्रयत्न किया गया और वहां आने-जाने की व्यवस्था है। जो इमारतें बनी हुई हैं उनको ठीक नहीं किया जा सकता है जैसा कई सालों से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है, किन्तु प्रति वर्ष वहां तरक्की होती जा रही है अगर माननीय सदस्य ने जाकर देखा होगा।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसी कोई जानकारी कराई है, जिससे यह पता लग सके कि अबके अर्धकुम्भ में कितने यात्री पहुंच सकेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---इसमें तो केवल अनुमान ही लग सकता है। कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा ख्याल है कि चार लाख के करीब वहां लोग पहुंच जायं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---क्या माननीय मंत्री कृपापूर्वक बतलायेंगे कि इस अर्ध कुम्भ की व्यवस्था पर कुल कितना रुपया व्यय होने जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---यह व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न है न कि रुपये से सम्बन्धित।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मेले के अवसर पर कितने स्थायी और अस्थायी पुल बनाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सात तो अस्थायी पुल हैं और एक स्थायी पुल बनाया गया है।

ग्राम सभाओं तथा पंचायतों के निर्विरोध चुनाव विजेताओं को कथित पुरस्कार

*२१---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने ग्राम सभा के सभापति और कितने पंचायती सदस्यों का चुनाव किया गया है तथा उनमें कितनों का चुनाव निर्विरोध हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश---प्रदेश में ७२,०२५ प्रधानों और १३,०८,६०६ ग्राम-पंचायत सदस्यों का निर्वाचन हुआ है जिनमें ३६,३३० प्रधान और ६,६८,२६७ सदस्यों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जहां चुनाव निर्विवाद हुआ है क्या उन ग्राम सभाओं को सरकार कोई पुरस्कार देने का विचार रखती है ?

श्री कैलाश प्रकाश---नहीं। कोई पुरस्कार देने का विचार नहीं है।

श्री रामदास आर्य---क्या यह सही है कि जिला अधिकारियों ने जनता में यह घोषणा की है कि जहां चुनाव निर्विरोध होगा वहां पारितोषिक दिया जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---मेरे विचार से ऐसी कोई घोषणा कि पारितोषिक दिया जायगा जिलाधीशों ने नहीं की है। हां, जिलाधीशों ने इस बात का प्रचार किया है कि उनको निर्विवाद चुनाव करना चाहिए क्योंकि निर्विवाद चुनाव होने पर उनके गांव का काम अच्छा होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुछ ऐसी भी गांव सभाएं हैं जहां पर अभी तक सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर टिकट लेने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश---कुछ हो सकती हैं। उसकी ठीक जानकारी यहां नहीं है कि कितनी हैं और हैं तो कौन है जहां बिल्कुल सदस्य चुने नहीं गये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिलों के अधिकारियों को ग्राम सभाओं को पुरस्कार देने का अधिकार है या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश---पुरस्कार तो रुपये पैसे में होता है। बजट में तो कोई व्यवस्था है नहीं कोई ऐसा पुरस्कार देने की।

*२२---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया]

आजमगढ़ जिले में पंचायत राज इन्स्पेक्टर तथा पंचायत मन्त्रियों के स्थान

*२३---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत राज इन्स्पेक्टर और पंचायत मंत्रियों की जगहें कब से रिक्त हैं तथा क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश---आजमगढ़ जिले में पंचायत इन्सपेक्टर अथवा पंचायत मंत्री की कोई भी जगह इस समय रिक्त नहीं है।

*२४---**श्री अनन्तस्वरूप सिंह**---[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५-२६---**श्री कल्याण चन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।)

आजमगढ़ जिले में मऊनाथ भंजन के ध्वस्त पुल का पुर्ननिर्माण

*२७---**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में मऊनाथ भंजन का ध्वस्त बड़ा पुल कब तक तैयार हो जायेगा और इस पर कब पुर्ननिर्माण का कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---मई, १९५८ तक इस पुल के तैयार हो जाने की आशा की जाती है। इस पुल का आगणन तैयार किया जा रहा है जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। आगणन पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर पुल के पुर्ननिर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नया पुल जो बनने वाला है वह ध्वस्त पुल के किधर बनेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---इसका तो अभी नक्शा तैयार किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तखमीना भारत सरकार के पास कब तक भेजा जा सकेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---भारत सरकार के पास तखमीना भेजा भी गया था। भारत सरकार के मुख्य अभियन्ता ने कुछ सुझाव भी दिये हैं और वह यहां प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार करके फिर तखमीना भेजा जायगा।

नोटः---तारांकित प्रश्न २७-२८श्री रामसुन्दर ने पूछे।

आजमगढ़ जिले में नलकूप योजना

*२८—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में सन् १९५६ में प्रत्येक तहसील में कितने नलकूप लगाने की योजना है?

श्री राममूर्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के लिये १४७ नलकूप निर्धारित थे जिनमें से १४२ बन चुके हैं। बाकी, पांच अर्थात् एक सगड़ी तहसील में तथा ४ मुहम्मदाबाद तहसील में, इस वर्ष बन जायेंगे।

इनके अलावा १०० नलकूप आजमगढ़ जिले के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १०० नलकूप बनाये जाने वाले हैं वह किन-किन तहसीलों में लगाये जायंगे?

श्री राममूर्ति—अभी नलकूपों की साइटिंग नहीं हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ५ नलकूप जो नहीं बन सके हैं, उसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि अब तक वह भी बन चुके होंगे। जिस वक्त जवाब मांगा गया था उस वक्त बन रहे होंगे।

फैजाबाद जिले में टांडा नहर का निर्माण

*२९—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नहर जो फैजाबाद जिले से टांडा के पास से घाघरा से पानी उठा कर चालू करने की योजना के अन्तर्गत है, १९५६ के अन्त तक कहां तक बन जायेगी?

श्री राममूर्ति—सन् १९५६ के अन्त तक टांडा मुख्य नहर, उसकी शाखायें और दो-तिहाई रजवाहे बन जायेंगे।

*३०—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या उस भाग में सन् १९५६ तक सिंचाई के लिये पानी दिया जा सकेगा?

श्री राममूर्ति—नहर बिजली से चलेगी। अतः कोशिश की जा रही है कि १९५६ के अन्त तक नहर अपनी क्षमता के कुछ हिस्से का पानी दे दे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि टांडा के पास जो पम्पिंग स्टेशन बन रहा है उसके लिये आवश्यक सामान के बारे में अब तक क्या प्रगति सरकार ने की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि पम्पिंग सेट्स के आर्डर वगैरह दिये गये होंगे, ठीक तरह से मैं नहीं बता सकता। लेकिन पम्पिंग सेट्स जैसे मंगाये जाते हैं, उसी प्रकार आर्डर वगैरह किया होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जब वह चाहें तब उनको बिजली सुहावल पावर हाउस से मिल सकेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुहावल के पावर हाउस को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और शायद वह कार्यवाही तेजी के साथ की जा रही है। जेनरेटर्स वगैरह भी मंगाये जा रहे हैं और वह स्टीम स्टेशन बनायेंगे। पावर हाउस बनाने का काम तेजी

से चल रहा है मेरा ख्याल है कि जून, १९५६ के आखीर तक वहां स्टीम स्टेशन से बिजली मिलने लगेगी, अगर पूरी नहीं तो कम से कम टांडा नहर का कुछ हिस्सा तो चला सकेंगे।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आज कल इस नहर की खुदाई बन्द है ?

श्री राममूर्ति-- जी नहीं, काम चल रहा है।

श्री रामदास रविदास-- क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि महरीपुर-टांडा कैनाल जहां से चालू हो रही है वहां पर काम बन्द है ?

श्री राममूर्ति-- मैंने जैसा अर्ज किया काम बन्द नहीं है, चल रहा है। ४०, ४४ मील मेन कैनाल खोदी गई है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रही हैं।

*३१-३३---श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में नलकूप संचालकों के चुनाव के लिये इंटरव्यू

*३४---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के कुछ उम्मीदवारों को सिंचाई की आपरेटरी के लिये ता० ३० अगस्त, १९५५ को बनारस इंटरव्यू के लिये बुलाया गया था और इंटरव्यू नहीं हुआ, तदन्तर उनको ३१ अगस्त और फिर १ सितम्बर को बुलाया गया और अन्त में कहा गया कि इंटरव्यू नहीं होगा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री राममूर्ति---जौनपुर जिले के केवल एक उम्मीदवार को नलकूप संचालकों के चुनाव में ३० अगस्त, १९५५ को बुलाया गया था जब कि वह अपने आयु तथा योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं लाया था। उसे ३१ अगस्त तथा १ सितम्बर को नहीं बुलाया गया बल्कि उससे कहा गया था कि उसके पास प्रमाण-पत्र आदि न होने के कारण इन्टरव्यू की दूसरी तिथि निश्चित की जायेगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार बतायेगी कि इंटरव्यू की दूसरी तिथि निश्चित की गई अभी तक या नहीं और नहीं की गई तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---दूसरी तिथि २२ सितम्बर और ११ अक्तूबर थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या इसकी सूचना उम्मीदवारों को भी दी गई थी या वह निश्चित करके किस प्रकार लोगों को बताया गया ?

श्री राममूर्ति---उम्मीदवारों को सूचना दी गई थी। १०८ उम्मीदवार आये थे जिन में से ६२ आदमी लिये गये।

आजमगढ़ जिले की पकड़ी पम्प नहर

*३५---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बतायेगी कि पकड़ी पम्प नहर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का निर्माण कुछ दिनों से बन्द पड़ा है और नहर अधूरी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं, पकड़ी ताल नहर का निर्माण-कार्य पूरी गति से चल रहा है। यह कार्य किसी समय रोका नहीं गया।

*३६---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त पम्प नहर कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति--उपर्युक्त नहर का निर्माण-कार्य जून सन् १९५६ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

गाजीपुर जिले में सिंचाई विभाग का कार्य

*३७--**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सिंचाई विभाग द्वारा जिला गाजीपुर में चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सा कार्य हो चुका है और क्या शेष रह गया है ?

श्री राममूर्ति--गाजीपुर जिले के प्रथम पंचवर्षीय योजना में होने वाले कार्यों का विवरण निम्नखिलित है--

नलकूप--१०१ नलकूप बनाने की योजना है । ५३ नलकूप बन चुके हैं और शेष पर काम चालू है ।

नौगढ़ बांध तथा चन्दौली नहरें--

इस बांध से गाजीपुर जिले को भी लाभ पहुंचेगा । बांध का निर्माण पूरा हो चुका है । कुछ छोटे काम शेष हैं जो इस वर्ष १९५६-५७ में समाप्त हो जायेंगे ।

खरारी खुरहट सिंचाई योजना--

यह योजना लगभग पूर्ण हो चुकी है ।

श्री शिवपूजन राय--क्या यह सही है कि शेष नलकूपों पर काम किसी विदेशी कम्पनी का चल रहा है । उसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति--हां, कुछ नलकूप एक फ्रेंच कम्पनी है वह बना रही है और कारण कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उनको बनाने का ठेका दिया गया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १०१ नलकूपों में से केवल ५३ ही बने, इसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति--अक्सर नलकूपों में बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं स्ट्राटा वगैरह की और कुछ यह भी कि जो फ्रेंच कम्पनी है इसने भी कुछ देरी की । यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की नोटिस में लाया भी गया था लेकिन उससे कोई ज्यादा कारामद बात नहीं निकली, इस कारण काम उनसे कराया जा रहा है ।

श्री कमला सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ४८ नलकूप बचे हुए हैं उनका रुपया लैप्स तो नहीं करेगा और अगर नहीं करेगा तो यह कब तक तैयार हो जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लैप्स कोई रुपया नहीं करेगा । जून तक सब तैयार हो जायेंगे और जून तक इन रुपयों की अवधि भी है, और अगर कोई काम बदकिस्मती से रह जायगा तो फिर वह सेकेंड फाइव ईयर प्लान में चला जा रहा है । यद्यपि हमारी चेष्टा तो यही है कि जून तक हमारे सब नलकूप तैयार हो जायं । जो कुछ थोड़े बहुत रह गये उनकी वजह यह है कि कई बार स्कीमें गवर्नमेंट आफ इंडिया की आईं । एक बार ४४० की, दूसरी बार ९९५ की फिर २८० की और फिर ४२० की यानी ४२० कुएं बनाने की स्कीम आई । तो जिस-जिस वर्ष में वह आती गई उस-उस वर्ष में उन पर काम शुरू होता गया । अब जो स्कीम ५४ में या ५५ में आई उसमें अवश्य कुछ देर लगेगी ।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि इन नलकूपों के निर्माण के लिए विदेशी कम्पनियों को क्यों ठेका दिया गया है ?

श्री राममूर्ति--यह बात हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से ठेके हुए थे, रुपये भी उन्हीं के थे। इसमें हमारा हाथ नहीं था।

गाजीपुर जिले में नलकूपों पर गूलों का निर्माण तथा सिंचाई की दर

*३८--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गाजीपुर जिले के माधोपुर, मिश्रोली, जरगों, नसीरपुर, नलकूप में कितनी लम्बी अलग-अलग पक्की गूलें तैयार हो गई हैं तथा सरकार का कितना रुपया इस कार्य में व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति--गाजीपुर जिले में माधोपुर, मिश्रोली तथा नसीरपुर नलकूपों पर दो-दो मील और जरगों नलकूप पर १ मील ५ फर्लांग लम्बी पक्की गूलें तैयार हो गई है। इस कार्य में सरकार का ४५,००० रुपया व्यय हुआ है।

*३९--श्री यमुना सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान के जिस नम्बर के खेत में नलकूप लगा है उसका कुछ सरकार मुआवजा भी देने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*४०--श्री यमुना सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में टोंस नदी, रामगढ़ ग्राम के पास से जो नहर निकाली गई है, उसका सिंचाई का रेट प्रति एकड़ क्या है ?

श्री राममूर्ति--गाजीपुर जिले में रामगढ़ ग्राम के पास जो नहर निकाली गई है उसके द्वारा सिंचित क्षेत्र पर जो रेट लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४६ पर)

श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या गूलों से सिंचाई का काम पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--पूरा तो होना चाहिये और अगर कुछ काम रह जायगा तो गूलें और बढ़ा दी जायंगी।

श्री भोलासिंह-यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुआवजा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति--इसके बारे में जो हमारे लैन्ड रेक्यूजीशन आफिसर्स हैं वह कार्यवाही कर रहे हैं और मैंने पिछली बार बतलाया था कि ५ स्पेशल आफिसर लगा दिये गये हैं जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मुआवजा शीघ्र दे दिया जाय ?

बुलन्दशहर जिले में जमुना के कटाव को रोकने के लिये प्रार्थना

*४१--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि परगना दादरी, जिला बुलन्दशहर के ग्राम अटटा, छलेरा, रायपुर, असगरपुर, शाहपुर गोवर्धनपुर की भूमि जमुना नदी के कटाव से अत्यधिक कट चुकी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस कटाव को रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३८-४० श्री भोलासिंह यादव ने पूछे।

श्री राममूर्ति—जिला बुलन्दशहर के इन ग्रामों की कुछ भूमि जमना नदी में बाढ़ के पानी से पिछले कुछ वर्षों से कट रही है। इस कटाव के रोकने के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया क्योंकि कटने वाली भूमि खादड़ है तथा इन ग्रामों की आबादी को जो नदी के किनारे से बहुत दूर हैं इस कटाव से किसी भय की आशंका नहीं है और इस लिये भी कि कटाव से बचाने की लागत, उस भूमि की कीमत से, जो बचाई जा सकती है, बहुत अधिक होगी।

*४२—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भूमि के इस प्रकार कटाव के कारण देहली राज्य और पंजाब राज्य के लोगों से कुछ विवाद भी उत्पन्न है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम असगरपुर और रायपुर जो बिलकुल नदी के किनारे हैं, उनके किनारे कट चुके हैं और उनकी आबादी तक को खतरा हो गया है ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य को खतरा मालूम होता है लेकिन अभी इंजीनियरिंग विभाग को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि जमुना के दायें किनारे पर देहली और पंजाब की तरफ बांध बनते चले जा रहे हैं और किनारे की जमीन पर काश्त करा रहे हैं जिसकी वजह से जमुना नदी का कटाव दिनों दिन उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश की भूमि दिनों दिन कटती जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिल्ली प्रदेश की सरकार के कुछ गांव हैं, और जहां इस साल यमुना की बाढ़ आई उस सारे एरिया का हम सर्वे भी करा रहे हैं और जहां कहीं कटाव हो रहा है, या जहां कहीं पानी आने से खतरा होता है बाढ़ आने का उस सब की रिपोर्ट शीघ्र ही हमारे पास आ जायगी और रिपोर्ट आने के बाद फिर बाढ़ से रक्षा के लिए और कटाव से रक्षा के लिए जो मुनासिब इन्तजाम होगा वह किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि जो जमीन उत्तर प्रदेश की जमुना के इस तरफ की कट चुकी है उस पर दिल्ली और पंजाब के लोग कब्जा किये हुए हैं और उस पर मुकदमें भी चल रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न तो सिंचाई विभाग से सम्बन्ध रखता नहीं। मैं समझता हूं कि जो अनुपूरक प्रश्न किया गया है वह माल विभाग से संबंध रखता है, इसलिए कि जो जमीन नदियों से कटती हैं उसके भिन्न स्थानों में कुछ मुआहिदे और परम्पराएं चली आ रही हैं कि इस पार वह जमीन पड़े तो किसकी हो और उस पार पड़े तो किस की हो, और प्रदेश में कई स्थानों पर यह प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इस विषय में माल मंत्री जी से माननीय सदस्य बात कर लेंगे तो पता चल जायगा।

श्री अध्यक्ष—इसमें जो प्रश्न ४२ है उसमें सरकार से पूछा गया था कि क्या कुछ विवाद उत्पन्न हो गया और 'सरकार' शब्द में तो माल मंत्री भी आ जाते हैं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—यह सवाल दोहरा दिया जाय तो मैं अभी जबाव दे दूं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह जांच करायेगी कि जमुना नदी के कटाव के कारण जो भूमि उत्तर प्रदेश की धार के उस तरफ चली गयी है उस पर इस प्रदेश और दिल्ली के किसानों में मुकदमे चले हुए हैं ?

श्री चरणसिंह—जी, इसमें जांच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नया मसला नहीं है। लैन्ड रेवेन्यु मैनुअल की धारा १६२३ और १६२४ को कोई पढ़ेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि यह पुराना मसला है और काफी इसको तय कर दिया गया है। उसके सिलसिले में नियम निर्धारित किये जा चुके हैं कि अगर जमीन इस तरह से धीरे-धीरे कटती है कि उसका आईडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता तो जिसके खेत में मिल गयी, वह उसकी हो गयी, और अगर उसका आईडेंटिफिकेशन हो सकता है तो जिसकी जमीन वह पहले थी वह उसकी हो जायगी, चाहे नदी के इधर की हो या उधर की।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि यमुना नदी की दो बड़ी धाराएं इस स्थान पर, जहां का सवाल किया गया है, हो गयी है और यह विवाद बना हुआ है और निर्णय नहीं हो पाया है कि जमुना की मुख्य धारा कौन मानी जाय, इस कारण से मुकदमे बाजी होती है ?

श्री चरण सिंह—यह तो किसी खास जगह का मामला मालूम होता है और वह अदालत में मामला चला होगा, मुझे उसकी इत्तला नहीं है।

*४३–४५—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)—[१७, अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

*४६—**श्री भोलासिंह यादव**—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४७—**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४८–४९—**श्री रामलखन मिश्र**—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०—**श्री गजेंद्र सिंह** (जिला इटावा)—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५१—**श्री गजेंद्र सिंह**—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२—**श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया)—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३–५५—**श्री दलबहादुर सिंह** (जिला रायबरेली)—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न १८–२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५६—**श्री गजेंद्र सिंह**—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५७–५८—**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५९—**श्री गंगा प्रसाद सिंह**—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कसया में मुन्सफी खोलने से इन्कार

*६०—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या न्याय मन्त्री पडरौना तथा हाटा तहसील की जनता की सुविधा को देखते हुये कसया में मुन्सफी कचहरी खोलने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न को माननीय सदस्य वापस लेना चाहते हैं, इस लिए कि जो जवाब उन्हें मिला है अगर उसको माननीय सदस्य सुन लें तो उनको तकलीफ होगी

[श्री अध्यक्ष]

जबाव सुनने में, यह कारण मुझे उचित नहीं मालूम होता। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इसके लिए आज्ञा दे दूं तो वह वापस लें लेगे। मैं समझता हूं कि वह कोई ऐसे छुई-मुई तो होंगे नहीं कि माननीय सदस्य जवाब सुन कर घबरा जायं, इस लिए इजाजत नहीं देता हूं। इस पर भी अगर वह खड़े न हों तो यह खत्म हो जायगा ।

(श्री राम सुभग वर्मा के खड़े होने पर प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया।)

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं । अभी कसया में मुन्सफी कचहरी खोलने का कोई विचार नहीं है क्योंकि वहां एक मुन्सिफ के देखने के लिये मुकदमों की संख्या अपर्याप्त है और कचहरी और मुन्सिफ के रहने के लिये जगह की कमी है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय न्याय मंत्री जी के सामने जो लेटेस्ट फीगर वहां के मुकदमों के सिलसिले में आयें हैं, उसको ध्यान में रख कर उत्तर उन्होंने दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे पास जो फीगर्स हैं वह सन् १९५३ तक के हैं और उसके देखने से यह मालूम होता है कि वहां की माहाना ऐवरेज सिर्फ ३३ मुकदमों का है और हाई कोर्ट के नजदीक यह काफी नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या सन् १९५४–५५ के भी फीगर्स देखने के बाद माननीय न्याय मंत्री अपनी राय बदलने के लिये तैयार हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मैं सन् १९५४–५५ के भी फीगर्स को देख लूंगा। उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो फिर गौर कर के राय बदली जा सकती है ।

*६१—**श्री विश्राम राय**—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

नहर विभाग में घोड़ा रखने वाले अधिकारियों को भत्ता

*६२—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नहर विभाग में किस-किस कर्मचारी के लिये घोड़ा रखना आवश्यक है ?

श्री राममूर्ति—यों तो सिंचाई विभाग में किसी कर्मचारी के लिये घोड़ा रखना अनिवार्य नहीं है परन्तु चालू नहरों पर काम करने वाले अधिकारियों के लिये घोड़ा रखना आवश्यक है।

*६३—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि किस-किस कर्मचारी को कितना-कितना घोड़े का भत्ता दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी या अधिकारी घोड़ा रखते हैं उन्हें घोड़े का भत्ता दिया जाता है । उस भत्ते की दरें निम्नलिखित हैं :—

इग्जीक्यूटिव इंजीनियर	..	७५ रु० मासिक ।
असिस्टेंट इंजीनियर	..	७५ रु० मासिक ।
डिप्टी रेवेन्यू आफीसर	..	७५ रु० मासिक ।
जिलेदार	..	३७ रु० ८ आना मासिक ।
ओवरसियर	..	३७ रु० ८ आना मासिक ।

*६४—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नहर विभाग के कर्मचारियों को जिनके पास घोड़ा है घोड़े के भत्ते के साथ ही मोटर का यात्रा-व्यय भी दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—निम्नलिखित अफसरों को, घोड़े के भत्ते के अतिरिक्त, मोटर द्वारा यात्रा करने पर यात्रा-व्यय भी दिया जाता है :—

१—इग्जीक्यूटिव इंजीनियर।
२—असिस्टेंट इंजीनियर।
३—डिप्टी रेवेन्यू आफीसर।

उपरोक्त अधिकारियों के कार्यक्षेत्र इतने बड़े हैं कि पूरे क्षेत्र में दौरा केवल घोड़े के द्वारा नहीं हो सकता है। अतः सरकारी कामों के हित में मोटर द्वारा दौरा करना जरूरी हो जाता है जिसके लिये अधिकारियों को नियमानुसार मोटर का यात्रा-व्यय भी दिया जाता है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या कोई आदेश इस प्रकार के जारी हुये थे कि अक्टूबर सन् १९५५ तक ही नहर चालू के अधिकारी तथा कर्मचारी घोड़े रखना आरम्भ कर दें ?

श्री राममूर्ति—यह बात सही है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो घोड़े एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स, डिप्टी रेवेन्यू आफिसर्स, जिलेदार तथा ओवरसियर्स रखते हैं उनके भत्तों में यह अन्तर क्यों है ?

श्री राममूर्ति—चूंकि घोड़ों में अन्तर है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन घोड़ों में किस प्रकार का अन्तर है और क्या यह सही है कि एक ही नाप के रखे जाते हैं ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, एक ही नाप के घोड़े नहीं रखे जाते हैं। जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पहली कैटेगरी के घोड़े हैं उनकी कीमत ९ सौ रुपये है और दूसरी कैटेगरी के जो हैं उनकी कीमत ३०० रुपये की है।

श्री रामदास रविदास—क्या ये घोड़े उन्हीं नहरों पर रखे जाते हैं जहां नहरों के बगल से होकर जानेवाले मोटर के रास्ते नहीं हैं ?

श्री राममूर्ति—हर डिवीजन के अन्दर ऐसी भी नहरें हैं जहां पर मोटर के लिये रास्ता नहीं है और ऐसी नहरें भी हैं जिनपर मोटर चलने का रास्ता है तो इसका ख्याल कुछ नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में प्राक्कलन समिति ने क्या सिफारिशें की थीं और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—इस समय उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है। अगर सूचना दी जाय तो उसके बारे में जानकारी करा लें।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जो सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी घोड़ा नहीं रखते हैं उनको भी घोड़े का भत्ता मासिक दिया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—१५० आफिसर्स के लिये आदेश दिये गये थे कि घोड़ा रखें। १६ के पास घोड़े हैं बाकी खरीदने का इन्तजाम हो रहा है।

*६५-६६—**श्री खयालीराम** (जिला मुरादाबाद)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६७-६९—**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*७०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[१४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन जिले में लगाये गये रेडियो सेट

*७१--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन में कितने रेडियो सेट सरकार द्वारा लगाये गये हैं और उनमें कितने चालू हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--जिला जालौन में सरकार द्वारा ४७ रेडियो सेट लगाये गये हैं। ये सब रेडियो सेट चालू हैं।

*७२--श्री बसन्तलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रेडियो कितने गांव सभाओं को व कितने-कितने अन्य संस्थाओं को प्रदान किये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--ये रेडियो सेट जिन संस्थाओं को दिये गये हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार है:--

कोआपरेटिव सोसाइटीज	.. ..	३९
ग्राम सभायें	.. ..	४
स्कूल	.. ..	३
सर्वोदय आश्रम	.. ..	१
	योग..	४७

*७३--श्री बसन्तलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सरकारी रेडियो सेट किस आधार पर दिये जाते हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--ये रेडियो सेट सूचना विभाग की सामूहिक श्रवण योजना के निर्धारित नियमों (प्रतिलिपि संलग्न) के अन्तर्गत संस्थाओं या संरक्षकों को उधार दिये जाते हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४७-१४९ पर)

श्री बसन्तलाल--क्या सरकार उन चार ग्राम सभाओं तथा तीन स्कूलों के नाम बताने की कृपा करेगी जिनको रेडियो सेट्स प्रदान किये गये हैं और इनको ये रेडियो सेट्स कब दिये गये ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--लिस्ट बहुत बड़ी है; इसमें खोजना पड़ेगा।

श्री बसन्तलाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि सामूहिक रेडियो सेट्स के इस्तेमाल के संबंध में बने हुये नियमों का उल्लंघन करके ग्राम सभा के अध्यक्ष आदि रेडियो सेट्स को अपने घर पर लगा कर उसका प्रयोग करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी अगर कोई शिकायत आती है तो उन पर कार्यवाही की जाती है क्योंकि गवर्नमेंट के यह आदेश हो चुके हैं कि कोई इसको अपने घर में न रखे और गांव सभाओं में, कोआपरेटिब्ज में या और दूसरी सार्वजनिक जगहों में रखें जायं।

श्री बसन्तलाल--क्या सरकार को मालूम है कि रेडियो सेट्स बिगड़ जाने पर महीनों वे ऐसे ही पड़े रहते हैं ? यदि हां, तो उनकी मरम्मत आदि के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मरमत के लिये तो अब हम कई सर्विस स्टेशंस भी खोल रहे हैं। इलाहाबाद में भी खुल गया है, मेरा ख्याल है लखनऊ में है। मेरठ में भी खुलेगा, गोरखपुर में भी खुलेगा और बनारस में भी खुलेगा। यह इस विचार से कि जो रेडियो सेट्स उस एरिया या जोन के भीतर बिगड़ें उनकी वहां सर्विसिंग हो जाय और बना दिये जायं।

वैसे अब तक यह व्यवस्था रही है कि सूचना मिलने पर हम हेडक्वार्टर्स पर उसको मंगा लेते हैं, यहां हमारा रेडियो इंजीनियरिंग विभाग उसे ठीक कर देता है और जल्द से जल्द उसे फिर वहां भेज दिया जाता है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गांव सभाओं के अलावा और किन-किन संस्थाओं को सरकार की ओर से रेडियो दिये गये हैं या दिये जाने वाले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हैं तो वह गांव सभाओं के लिये, लेकिन अब हमने कोआपरेटिव्ज को भी दिया है, स्कूलों को भी देते हैं, वाचनालयों को भी देते हैं और अब तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका कुछ विस्तार करना चाहते हैं, इस दृष्टि से भी कि कुछ शहरों वगैरह में भी लगाये जायं या जहां लेबर कालोनीज हैं वहां भी लगाये जायं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महिला मंगल योजना के लिये भी रेडियो दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। महिलाओं को तो सब कुछ आधा प्राप्त करने का अधिकार है।

श्री कमला सिंह—क्या यह सही है कि जिलों में जितने मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर्स और आपरेटर्स रखे गये हैं उनको अभी तक सरकार की तरफ से कोई सामान मरम्मत के लिये नहीं मिला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूचना मिलने पर जवाब दिया जा सकता है लेकिन यदि रखे गये हैं तो उनको सामान दिया गया होगा। यदि गाजीपुर में ऐसा हो तो वह सूचना दे दें, मैं जांच करवा लूंगा।

*७४–७६—श्री जगदीश प्रसाद—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*७७–७९—श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*८०—श्री रामदास—[४ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी म्युनिसिपल बोर्ड पर बकाया

*८१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी म्युनिसिपल बोर्ड को सरकार चुंगी की वापसी, ठेकेदारों व माल सप्लाई करने वाले आदि अन्य लोगों का कुल कितना रुपया अदा करना है व कितनी रकमें ऐसी हैं, जिनका तीन वर्ष से पेमेंट नहीं हुआ तथा इस वर्ष के बजट में कितना घाटा है ?

श्री कैलाश प्रकाश—सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५० पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लगभग २५ लाख रुपये की रकम के अलावा बोर्ड को बिजली कम्पनी तथा नहर विभाग का कितना रुपया देना है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह आंकड़े इस समय नहीं हैं। माननीय सदस्य यदि नोटिस देंगे तो मंगा दिये जायेंगे।

झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के कुप्रबंध की शिकायत

*८२—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने सन् १९५२-५३ से १९५४-५५ तक सड़कों के लिये उक्त बोर्ड को कितना रुपया दिया और उसने उसमें से अभी तक सड़कों पर कितना खर्च किया तथा १ नवम्बर, १९५५ को बोर्ड का Closing balance क्या था ?

श्री कैलाश प्रकाश—झांसी नगरपालिका को १९५२-५३ में सड़कों के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया था। १९५३-५४ और १९५४-५५ में उक्त नगरपालिका को सड़कों के लिये क्रमशः ७५,००० तथा ६९,१०० रुपया अनुदान दिया गया। १९५३-५४ के अनुदान की रकम नगरपालिका खर्च कर चुकी है किन्तु १९५४-५५ का अनुदान अभी खर्च नहीं हो सका है। नगरपालिका का closing balance १ नवम्बर, १९५५ को १,३९,३३० रु० ५ आ० ६ पा० था।

*८३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार ने उक्त बोर्ड की माली हालत की खराबी व बदइन्तजामी तथा आडीटरों की लगातार खिलाफ रिपोर्ट आदि के आधार पर पिछले बोर्ड के समय में इस संबंध में उसको कोई पत्र भेजा था ? यदि हां, तो क्या वह उसे मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—सन् १९४८-४९ की आडिट रिपोर्ट के आधार पर एक पत्र पिछले बोर्ड को अक्टूबर सन् १९५३ में भेजा गया था जिसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५१ पर)

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या यह बात ठीक है कि उक्त रकम के अलावा २० जुलाई, १९५५ को बोर्ड को ९५,१०० रुपये दिये गये थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन यदि माननीय सदस्य बतलायें कि किसी और कार्य के लिये दिये गये हैं तो उसकी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पत्र भेज देने के बाद सरकार ने इसके संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह पत्र पिछले बोर्ड को लिखा गया था और नवम्बर में चुनाव हो गया और नया बोर्ड आ गया और वह अपना कार्य करता रहेगा। ऐसी आशा थी कि वह इसको सुधार लेंगे लेकिन अब उनको भी शिकायतें हैं, उनकी देखभाल की जा रही है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५४-५५ का जो रुपया था वह किन कारणों से खर्च नहीं हो सका ?

श्री कैलाश प्रकाश—१९५४-५५ का रुपया इस कारण से खर्च नहीं हो सका कि वह कोई सड़क नहीं बना सके।

जिला बोर्ड बस्ती को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा स्कूलों के लिये सहायता

*८४—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में कितनी-कितनी सहायता जिला बोर्ड बस्ती को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा स्कूलों के लिये सरकार ने दी है ?

श्री सैयद अली जहीर—वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में जिला बोर्ड बस्ती को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा भवनों जिसमें स्कूलों की इमारतें भी सम्मिलित हैं के सुधार के लिये १,००,००० रुपया का अनुदान सरकार से मिला है। वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में इस बोर्ड को ९०,००० रु० का अनुदान इस संबंध में दिया गया है। इसके अतिरिक्त १९५५–५६ में इस बोर्ड को बाढ़ से क्षतिग्रस्त जूनियर हाई स्कूलों की इमारतों के निर्माण व सुधार के लिये ५,२०० रुपये का एक और अनुदान भी दिया गया है।

*८५—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त सालों में जिला बोर्ड बस्ती ने सरकार की सहायता द्वारा बाढ़ क्षेत्र की किन-किन सड़कों तथा स्कूलों की इमारतों को ठीक कराया है ?

श्री सैयद अली जहीर—वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में मिले अनुदान से जिला बोर्ड बाढ़ क्षेत्र के जिन-जिन पाठशाला भवनों, सड़कों और पुलियों की मरम्मत या निर्माण करवा रहा है उनकी सूची संलग्न है।

वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के अनुदान की धनराशियां बोर्ड को कुछ ही दिन पहिले प्राप्त हुई हैं इसलिये उनके द्वारा किये गये कामों की सूची देने का प्रश्न अभी पैदा नहीं होता है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५२–१५३ पर)

खीरी-ईसानगर रोड के आंशिक भाग का पक्का किया जाना

*८६—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार का विचार खीरी-ईसानगर रोड, जिला खीरी के ऐरा से ईसानगर तक के भाग को पक्का करने का है ?

निर्माणमंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—खीरी-ईसानगर सड़क के मील १८ फर्लांग ३ से मील २२ फर्लांग २ तक का भाग पक्का किया जा रहा है। शेष कच्चे मीलों को पक्का करने की इस समय कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

खीरी-ईसानगर रोड पर घघौवा नदी के पुल निर्माण पर व्यय

*८७—श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि खीरी-ईसानगर रोड पर घघौवा नदी के पुल के निर्माण करने में कितना व्यय हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस पुल के निर्माण में लगभग ६४,००० रुपया खर्च हुआ है।

खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं पर बिक्री कराधारोपण से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कल जो कामरोको प्रस्ताव श्री गेंदासिंह जी ने दिया था, उस पर मैंने इसलिए अपना निर्णय आज के लिए स्थगित कर दिया था कि उन्होंने अपने बयान में कुछ यह जिक्र किया था कि माननीय वित्त मन्त्री ने बजट के समय कुछ वायदा किया था जिसको उन्होंने तोड़

नोट—तारांकित प्रश्न ८४–८५ श्री राजाराम शर्मा ने पूछे।

[श्री अध्यक्ष]

दिया है। तो माननीय वित्त मन्त्री कल यहां मौजूद नहीं थे, मैंने यह उचित समझा कि उनको मौका दिया जाय और उसके पहले मैं कोई अपना निर्णय उसके सम्बन्ध में न दूं। वह प्रस्ताव यह था :—

"खाद्यान्न तथा दूसरी जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर गत पहली अप्रैल से सरकार द्वारा विक्री-कर का बोझ बढ़ा देने के कारण जो राज्य भर में व्यापक क्षोभ और असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गयी है उस पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।"

इसकी अरजेंसी के सिलसिले में मैंने माननीय गेंदा सिंह जी से पूछा था तो उसमें उन्होंने वित्त मन्त्री जी के वादे का जिक्र किया था। माननीय वित्त मन्त्री ने शायद यह मालूमात हासिल कर ली होगी कि कल के भाषण में उनका क्या जिकर आया था।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैंने तो हासिल नहीं की है।

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब यह है कि इस बारे में फिर से माननीय गेंदा सिंह जी को तकलीफ देनी पड़ेगी, कि वह इस बात का जिकर कर दें कि उन्होंने आपके बजट के सिलसिले के भाषण के बारे में क्या कहा था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं जनाब वाला से अर्ज करूंगा कि पहले मेरी गुजारिश सुन ली जाय। गालिबन जब मैं पोजीशन को एक्सप्लेन कर दूं तो मैं समझता हूं कि उसकी जरूरत नहीं होगी। मैं गुजारिश यह करना चाहता हूं कि इस वक्त वह शब्द तो मेरे सामने नहीं हैं जिसकी बाबत गेंदा सिंह जी ने फरमाया, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा उसके मायने सिवाय इसके कुछ नहीं हो सकते कि जो कुछ भी गवर्नमेंट करने वाली है उसको इस ऐवान के सामने आना है और इसकी मंजूरी के बगैर वह नहीं हो सकता है। इस ऐवान को पूरा मौका मिलेगा कि तमाम बातों की जांच की जाय जो गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली है। गवर्नमेंट ने एक आर्डिनेंस पहले इसके कि वह लेजिस्लेचर के सामने बिल की शक्ल में आता उसको एक दो दिन पहले शाया कर दिया। उसकी वजह, इस हाउस के सामने उस दिन जब कि अप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हुई थी, मैंने डिस्कशन का जवाब देते हुए बतलाई थी। उस वक्त मैंने अर्ज किया था कि अपोजीशन के भाइयों ने एक सबक मुझको दिया है और मैंने अपनी तकरीर में, जो तजकिरा सेल्स टैक्स की बढ़ोत्तरी का किया गया था, उसकी बाबत मुनासिब बात कही थी। इसलिए कि उससे एक स्पेकुलेशन होने वाला था, इसलिए मैंने यह मुनासिब समझा कि उस आर्डिनेंस को नाफिज कर दूं और हाउस के सामने तो वह चीज जरूर ही आने वाली है और वह आती ही। जिस चीज को करना है वह तो वही होगी, उसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने तमाम ट्रांजेक्शन्स जो गलत किस्म के किये जा सकते थे, और स्पेकुलेशन के मातहत किये जा सकते थे, उनको रोकने के लिए यह किया ताकि साल भर की पूरी आमदनी सरकार को हो सके। जहां तक मोशन आफ अजर्नमेंट का सवाल है, मैं पहले ही कहे देता हूं कि मैं उस पर कानूनी बहस करूंगा नहीं, लेकिन मैं अपनी राय यकीनी तौर पर यह रखता हूं कि वह मोशन आफ एजर्नमेंट इन आर्डर नहीं है। वैधानिक या अवैधानिक जो कुछ लफ्ज हिन्दी में इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल हो कि वह कानून के खिलाफ है और वह इस हाउस में डिसकस नहीं हो सकता कानून की रू से। लेकिन यह जरूर है कि मैं अपने अपोजीशन के भाइयों को पूरा मौका बहस का इस मसले पर देना चाहता हूं हालांकि मैं तो शायद कल या परसों बिल भी पेश कर दूं और इस हाउस को यह अख्तयार हो जाय कि वह अपने सारे एजेन्डे को छोड़कर उसे पहले ले ले। तो फिर एजर्नमेंट मोशन पर बहस की जरूरत नहीं हो सकती है। मैं उस मसले पर बहस से इन्कार नहीं किया चाहता हूं और न मैं अपने आपको पहाड़ की खोह में छिपाना चाहता हूं कि कोई मैंने ऐसा काम किया है कि मुझे ऐसा करने की जरूरत हो। मैं इस यकीन के साथ कि मैंने इस प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है हिम्मत और खुशी के साथ हर स्टेज पर बहस के लिए तैयार हूं। इस एजर्नमेंट मोशन के अलावा,

भी मैं बहस के लिए तैयार हूं और मैं अपनी तरफ से दरख्वास्त करूंगा कि कोई मौका उसके बहस करने का जरूर दिया जाय कब्ल इसके कि वह बिल की शक्ल में यहां आवे और उससे पहले बहस होनी चाहिए।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तकलीफ के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मैं पूरी बात माननीय वित्त मन्त्री जी की सुनने में असमर्थ रहा। फिर भी मैं बहुत गौर से सुनता रहा और मैं उनसे यह निवेदन कर दूं कि मैंने बहुत गौर से सुना था, जब उन्होंने इस माननीय सदन को, नारायणजी की बहस का उत्तर देते हुए, यह विश्वास दिलाया था, बल्कि उन्होंने कुछ रिडीक्यूल करते हुए कहा था, कि कोई टैक्सेशन मेजर . . .

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जब इस मसले पर बहस होगी, तब यह कहा जा सकता है कि मैंने किसी वक्त क्या कहा था।

श्री गेंदासिंह--माननीय वित्त मन्त्री की एक हैसियत होती है, और उस हैसियत से कोई घोषणा इस सदन में हो और उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाय तो उसे मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को सेन्श्योर करने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं है। हम बहुत ही अल्पमत में हैं जिससे कतई कोई परवाह सरकार नहीं करती लेकिन हम सारे देश की . .

श्री अध्यक्ष--उन्होंने यह बात इसी ख्याल से कही है कि चाहे यह आर्डर में हो या न हो, मौका इस बात के कहने का होगा और उस समय आप कह लेंगे कि उन्होंने अपना वायदा तोड़ा है। बहस का पूरा मौका वह देना चाहते हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैं इसी पर कहता हूं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में कामरोको प्रस्ताव का कोई महत्व है और यह कोई महत्ता रखता है। यही अवसर है कि इस बात पर कोई हो सके क्योंकि शायद ही किसी सरकार ने या इसी सरकार ने कभी ऐसा काम किया हो जो इस सरकार ने अब की मर्तबा किया है। तो मैं समझता हूं कि विधेयक पर ही बहस होने वाली अवश्य है, लेकिन विधेयक पर बहस कामरोको प्रस्ताव की बहस का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती है और न आर्डिनेंस पर बहस कामरोको प्रस्ताव पर बहस का स्थान ले सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार को कामरोको प्रस्ताव पर बहस करनी चाहिए। मैं कोई लोभ नहीं करता हूं, लेकिन आखिर आज व्यापक रोष सारे प्रदेश में है और अगर अपोजीशन उसे छोड़ दे, उसका नोटिस न ले, तो फिर आपोजीशन किस काम का है? इसलिए मैं समझता हूं कि कामरोको प्रस्ताव ही हमारा उपयुक्त साधन है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहता हूं कि आज लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, दूकानें बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष--(वित्त मन्त्री से) मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने जो बहस के लिए कहा कि वक्त लेना चाहते हैं, तो वह आजकल में ही लेना चाहते हैं या बहुत देर में?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जहां तक वक्त का ताल्लुक है, मैं तो आज भी लेता कल भी लेता और परसों भी लेता। लेकिन जो बिल इस वक्त हाउस के सामने, कन्सालिडेशन या क्या है वह, हाउस में चल रहा है, मैं यह चाहता हूं कि उसकी जरूरत की वजह से मेरी तबियत में यह अहसास है कि वह बिल खत्म हो जाय, आज या कल हो जाय। और इसके लिए जनाब कोई तारीख मुकर्रर कर दें।

श्री अध्यक्ष--आपने विरोधी दल के नेता की बात सुनी, इस प्रश्न की अरजेंसी वह ज्यादा समझते हैं। इसलिए कल का दिन मुकर्रर हो सकता है क्या?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने इतना अर्ज कर दिया कि मैं एडजर्नमेंट मोशन को नहीं मानता हूं। लेकिन जितनी एडजर्नमेंट मोशन पर बहस होती, कल को हुजूर फरमावें तो वह हो जाय, कोई वक्त उसके लिए रिजर्व हो जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी की शब्दावली सुनकर मुझे कुछ आशंका हुई। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि उन्हें एतराज नहीं है, यदि एडजर्नमेंट मोशन अवैधानिक भी हो। जहां तक गेंदा सिंह जी के एजर्नमेंट मोशन का सवाल है वह निश्चित है, अरजेंट है, यह आप घोषित कर ही चुके हैं। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि उनको कोई एतराज नहीं है कि एडजर्नमेंट मोशन पर ही विवाद हो जाय जोकि शाम को होगा। आप उसे वैधानिक करार दे दें और उसके लिए माननीय वित्त मन्त्री जी जो रुख अख्तियार करना चाहें करें।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)---मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि जो आर्डिनेंस जारी किया है वही यहां हाउस में पास होगा या वह पास करावेंगे। तो क्या भवन में यह कहना कि जो आर्डिनेंस हमने किया है वही पास करावेंगे, यह पहले से मान लेना कहां तक सही है ?

श्री अध्यक्ष---ऐसा नहीं है।

राजा वीरेंद्रशाह---श्रीमन्, उन्होंने अभी कहा था।

श्री अध्यक्ष---ऐसा नहीं कहा था, मैंने भी सुना है। उन्होंने जो कुछ कहा उसका अर्थ यही है कि जो कुछ यहां पास होगा वही लागू होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, आज ही कोई समय निकाल कर बहस हो जाय तो अच्छा है, क्योंकि हमारा खाना पीना सब बन्द है। कल ही हम लोग यहां आये हैं और होटल में कुछ खाना नहीं मिलता है। बाजार की बेचैनी भी तभी दूर होगी जब कि कुछ क्लैरिफिकेशन यहां से सारे प्रदेश की पब्लिक को दिया जाय। आज बिल पर बहस बन्द कर दी जाय। शाम को ३ बजे ले लीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि जो बातचीत यहां हो रही है, उसमें किसी किस्म की अनप्लेजेन्टनेस के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, मैं नाखुशगवारी नहीं लाना चाहता हूं। इसलिए मैंने बहुत सी बातों को कहने से दानिश्ता छोड़ा था। मैं जानता हूं कि प्रदेश में क्या हो रहा है और यह भी जानता हूं कि कैसे हो रहा है। इसलिए मैंने किसी ऐब या बुराई का जिक्र किये बिना यह कह दिया कि जब भी हुजूर फरमावें इस पर बहस हो जाय। लेकिन जो बिल चल रहा है, उसे पहले खत्म कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैंने कल यह जिक्र किया था कि क्योंकि वित्त मन्त्री यहां नहीं थे, तो यदि आज इस विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहें, तो डाल लें। यह भी मैंने जिक्र किया था कि इस बीच में यदि यह सम्भव हो कि विरोधी दल के नेता और गवर्नमेंट में बातचीत होकर इस विषय में कोई रास्ता वे निकाल लें और वह मुझे मालूम हो जाय तो उस पर अमल किया जाय।

श्री गेंदासिंह---वह कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---अगर नहीं हुई तो मैंने यहां अभी कर दी। उसकी पूर्ति आप लोगों ने नहीं की तो मैंने कर दी और इसीलिए यह मौका दिया कि जो बात चीत बाहर न हो सके, वह यहां हो जाय और आप की राय की जानकारी हासिल होने के बाद मैं अपना फैसला दूं। जब कोई अध्यादेश निकाला जाता है और उसके ऊपर विधेयक आने वाला हो तो साधारण रीति से किसी कामरोको प्रस्ताव द्वारा उस के डिस्कसन को ऐन्टीसिपेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐन्टी सिपेशन न हो, यह तभी हो सकता है जब साधारण परिस्थिति हो और यह आशा हो कि विधेयक भी जल्दी सदन में आने वाला है। अध्यादेश जारी हो जाता है और डेढ़ महीने की उसकी मियाद होती है। यह भी हो सकता है कि विधेयक १५ दिन बाद आवें, तब तो कामरोको प्रस्ताव की कुछ गुंजाइश हो सकती है, लेकिन विधेयक जल्दी ही आने वाला हो तो नहीं हो सकती। कल माल मन्त्रीजी ने जिक्र किया था कि इसी सप्ताह

में वह आ जायगा। लेकिन इसका तो केवल मतलब यह है कि इस हफ्ते के अन्दर वह बिल टेबिल पर रखा जायगा। फिर इसके विषय में भी शंका रह गयी थी कि यह बिल जिस पर सदन में अभी विवाद चल रहा है कब समाप्त होगा। मैंने सोचा था कि बातचीत से मामला साफ हो जायगा लेकिन वह नहीं हुई। पर इस समय की बात चीत में दो बातें मेरे सामने और आयीं। दो प्रस्ताव आये हैं मेरे पास, एक तो नारायणदत्त तिवारी जी का और दूसरा अवधेशप्रतापसिंह जी ने भेजा है कि जो अध्यादेश सदन में कल उपस्थित किया गया है, संविधान की धारा २१३ के अनुसार इस सदन को अधिकार है कि उसकी अनुमति न दे, डिसएप्रूव कर दे। तो उनका प्रस्ताव इस किस्म का है कि यह सदन उसको डिसऐप्रूव करना चाहता है। भाषायें दोनों की अलग-अलग हैं। लेकिन सार यही है और हमारे नियम १४४ में दिया हुआ है कि जब अध्यादेश आवे और उसे डिसऐप्रूव करने का कोई प्रस्ताव लाना हो तो ३ रोज का नोटिस हमारे सचिव को देदें और उसके ऊपर फिर विवाद हो जाय। किसी एक व्यक्ति को भी यह अधिकार है कि ऐसा प्रस्ताव ले आये। तो यह भी एक नयी परिस्थिति इसमें पैदा हो गयी है। कामरोको प्रस्ताव का महत्व यही है कि कोई विषय इतने महत्व का है कि उस पर जल्दी विचार किया जाय। इन प्रस्तावों द्वारा इसमें होगा ३ रोज के बाद विचार। कामरोको प्रस्ताव, अगर मैं कह दूं कि आर्डर में है, यद्यपि मैंने इसके ऊपर आशंका जाहिर करदी थी और मैंने अभी फैसला नहीं दिया है, तो उसके लिए ३६ व्यक्ति आवश्यक होंगे और उतने व्यक्ति अगर नहीं हुए तो वह खत्म हो जायगा। फिर इतना मैंने देख लिया है कि सरकार भी चाहती है कि बहस इस विषय पर हो और इस महत्वपूर्ण विषय पर वह बहस करने के लिए तैयार भी हैं। विरोधीपक्ष भी शीघ्र से शीघ्र उस पर विचार कर लेना चाहता है। ऐसी अवस्था में उसे मैं इस खतरे में तो डालना नहीं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर बहस की सम्भावना खत्म हो जाय और बहस ही न हो, इसलिए मैंने यह उचित समझा कि पहिले सब की राय जाहिर हो जाय और उसके बाद में फैसला दूं। अभी माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह कहा कि वे शीघ्र ही इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं तो वह तीन रोज के नोटिस का जो नियम है उस प्रस्ताव को ले लेने के लिए, उसमें २ रोज में कम कर देता हूं और यह तय करता हूं कि कल उन प्रस्तावों के ऊपर बसह सवा दो बजे से शुरू हो जाय। कामरोको प्रस्ताव में जो बातें हैं उन सभी विषयों पर कल बहस होने वाली ही है। लिहाजा कामरोको प्रस्ताव को तो मैं वैध करार नहीं देता हूं और उसे उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि उसका जो मतलब जल्द बहस हो जाने का है उस मतलब को मैं पूर्ण कर देता हूं कल की बहस को मुकर्रर करके। सवा दो बजे उन दो प्रस्तावों पर बहस शुरू होगी। उसके सिलसिले में जो भी बात चीत करनी होगी, जो भी मत जाहिर करने होंगे, वह माननीय सदस्यों द्वारा जाहिर हो जायेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय----अध्यक्ष महोदय, दुकानें और खुलवा दी जायं।

श्री अध्यक्ष—इसके लिए आप सदन के बाहर गवर्नमेंट से बातचीत कर लें।

उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १५४–१६४ पर)

---

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के खंड (२) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में, उपखंड (२) के पश्चात् उपखंड (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १३२ में उल्लिखित भूमि, किन्तु वह भूमि पशुचर भूमि न हो"।

श्री अध्यक्ष—खंड २ में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ५ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में शब्द "धारा ४ के अन्तर्गत प्रख्यापन के प्रकाशित होने पर जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, प्रकाशन के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं (consolidation operations) के अन्तर्गत समझा जायगा" के स्थान पर शब्द "जब धारा ४ के अधीन गजट में प्रख्यापन प्रकाशित हो जाय, तब जिला या स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, तदन्तर्गत निर्दिष्ट दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा" रख दिये जायं।

श्री श्रीपतिसहाय (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से जो संशोधन मैं उपस्थित कर रहा हूं, उसको मैं आशा करता हूं यह सदन और सरकार स्वीकार करने की कृपा करेगी। वह इस प्रकार है—

खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

५—जब धारा ४ के अधीन प्रख्यापन गजट में प्रकाशित हो जाय, तो उसमें निर्दिष्ट दिनांक से धारा ५२ के अधीन सरकारी गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक कि चकबन्दी क्रियायें समाप्त कर दी गयी हैं, प्रख्यापन से सम्बद्ध क्षेत्र में ऐसे परिणाम उत्पन्न होंगे, जिनका वर्णन इसमें आगे चल कर किया गया है, अर्थात् :

(क) जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, निर्दिष्ट दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा और यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के अधीन खसरे तथा वार्षिक रजिस्टर की तैयारी और रख रखाव का कार्य बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को संक्रामित हो जायगा, और

(ख) ऐसे किसी अधिलेख के संशोधन की सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, स्थगित कर दी जायंगी, किन्तु इससे प्रभावित व्यक्ति का धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष या धारा १० के अधीन और

---

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक १७ फरवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

तदनुसार प्रारम्भ की गयी कार्यवाहियों में इस प्रश्न को उठाने का अधिकार बाधित न होगा।"

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि उपरोक्त संशोधन में प्रस्तावित धारा ५ की पंक्ति १ में शब्द "गजट में" के बाद शब्द "उक्त जिले या स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि इस वक्त तक सरकार ने अपना माइन्ड मेक अप नहीं किया है कि वह क्या क्या संशोधन लायेगी, और मैं नहीं कह सकता कि अभी अगर दो तीन दिन तक यह बिल चलता रहा तो पता नहीं किस किस झंझट में सकार हमें छोड़ेगी और फिर हमें चैलेंज किया जायगा कि हम कानून नहीं समझते और तुम क्या जवाब दोगे? लेकिन फिर भी मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कल शाम को भी कुछ संशोधन आ गये, जिस वक्त यह बिल आया, उस वक्त भी संशोधन आये, और बिल आने के बाद और हाउस में विचार होने से पहले मालूम नहीं कितनी परिस्थितियां तब्दील हो गयीं वहां पर जहां चकबन्दी हो रही है, जिनको देखकर माननीय श्रीपति सहाय द्वारा यह संशोधन यहां लाया गया। मैं इस संशोधन को रखते हुए यह सन्देह करता हूं कि इस में जो यह लिख दिया गया है कि गजट में प्रकाशित हो जाय, इसमें है कि "जब धारा ४ के अधीन प्रख्यापन गजट में प्रकाशित हो जाय" जब कि मूल बिल में है कि धारा ४ के अधीन प्रख्यापन केवल गजट ही में न होगा, बल्कि जिले और गांव में भी होगा और उस के अर्थ यह हैं कि वह हर किसान को जिस के खेत आदि से सम्बन्धित वह तब्दीली होने को है, उस को भी खबर हो जायगी। यहां धारा ४ का जिक्र तो किया गया, लेकिन यह कहा गया है कि जब धारा ४ के अधीन प्रख्यापन गजट में प्रकाशित हो जाय। तो अगर सरकार की यह मन्शा है कि हर काश्तकार को कि जिसकी जमीन खेत के तबादले में आती है, उस को खबर हो जाय तो फिर सरकार जब यह चाहती है और पहले भी वह ऐसा मुनासिब समझती थी, तो अब भी वह इतनी ही मुनासिब बात है तो फिर सरकार इन शब्दों को अब क्यों निकाल रही है? मेरा कहना केवल इतना है कि जैसे कि मूल अधिनियम की धारा ४ में किया है कि केवल गजट में प्रकाशित न होगा, बल्कि वह गांव में और जिले में जहां काम शुरू होगा, वहां भी प्रकाशित किया जायगा। मैं इस वक्त हाउस का समय बचाने के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस में थोड़े से खर्च की बात है, गांव में प्रकाशित होने के माने यह हैं कि ढोल पीट दी जायगी और लोगों को समझा दिया जायगा या नोटिस बांटी जायगी, उस में पैसा कुछ भले ही खर्च हो जाय, लेकिन वह एम्बीगुइटी खत्म हो जायगी। मैंने अपनी मन्शा बतला दी, उस से भिन्न कोई मन्शा सरकार की हो तो माननीय माल मन्त्री बता दें और उस को लिखने से कोई दिक्कत न होती हो और काम में सहूलियत आती हो तो मैं समझता हूं कि दफा ४ के साथ जो पूरी बात है वह लिख दी जाय और इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि आज मेरे दोस्त माननीय गेंदासिंह जी कुछ नाराज हैं, क्योंकि कल की बातों को भूले नहीं हैं। अब तक जो एक बात खामोशी से कह रहे थे मेरे एक सहयोगी, वह बात उनको अब तक याद है। आपके जरिये उन से दरख्वास्त करता हूं कि बहस जब अच्छी होती है अगर जरा ठंढे दिल से की जाय। अब इस मामले में भी उनको गलतफहमी।

श्री अध्यक्ष--लेकिन मुझे उनके भाषण में कोई गर्मी दिखायी नहीं दी।

श्री चरणसिंह--अच्छी बात है। लेकिन मुझे दिखाई दे रही थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह--आप बड़े नाजुक मिजाज हैं।

श्री चरण सिंह--इस मामले में बहुत डर डर कर यह कह रहा हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी को इसमें गलतफहमी है। गांव गांव में दफा ४ का प्रख्यापन होगा कि अब यहां चकबन्दी का काम शुरू होने वाला है। दफा ५ में हम यह रख रहे हैं कि दोनों गजट में और गांव गांव में भी प्रख्यापन होगा। दफा ५ में यह कह रहे हैं कि प्रख्यापन के कान्सीक्वेंसेज क्या होंगे और इसमें यह कर रहे हैं कि प्रख्यापन के रोज से ये कान्सीक्वेंसेज होंगे। अब प्रख्यापन होगा, दो जगह, गजेट में और गांव में। गांव में जो डिक्लेरेशन होगा, वह ५, ७ दिन तक चल सकता है, एक दिन में शायद सब गांवों में न हो सके प्रख्यापन मुनादी के जरिये, लेकिन गजेट की एक तारीख होगी। गजेट में भी होगा तो कब से वह समय की गणना हो यह निश्चित हो सकता है, लेकिन अगर गांव में मुनादी पिटवा कर कहें, तो वह तारीख निश्चित नहीं हो सकती, लेकिन गजेट में जो तारीख हो जायगी तो वह तारीख निश्चित होगी। इसलिये केवल समय की गणना के लिहाज से इसमें यह किया गया है कि जब गजेट में प्रख्यापित हो जाय उस रोज से ये ये नतायज होंगे और समय की गणना की सुविधा की वजह से ही गजेट इसमें लिख दिया गया है। बाकी जो उनकी मंशा है वही मंशा मेरी है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय माल मन्त्री जी का ध्यान इस संशोधन की ओर ले जाना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है कि जो कलेक्शन आफ पेपर्स इन्दराज शुद्धि के होंगे, वे सब स्थगित हो जायेंगे। कलेक्शन होने पर फल यह होता है कि जितने सबूत के कागजात उस मिसल में रहते हैं, वे वहां पड़े रहते हैं, न वापस मिलते हैं और न वह ए० सी० ओ० के पास जाते हैं। तो यह धनी लोगों के लिए कल्याणकारी होता है, और दरिद्रनारायण को वे कागजात फिर वापस नहीं मिलते, बड़े संकट में पड़ते हैं। अब इस समय फीस भी बढ़ गयी है और ११, १२ वर्ष की नकल लेने से सैकड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। नियम बनाने की बात है। वह माल मन्त्री हैं, उनको पूरा अधिकार है। वे ऐसे आदेश जारी कर दें जिससे कागजात वापस हो सकें, स्थगित मुकदमात में।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो शब्द गजेट है तो उसको हटा ही न दिया जाय। माल मन्त्री कहते हैं कि हम उसको सब जगह प्रकाशित करेंगे, गांव गांव में फैलायेंगे, तो फिर उसको गजेट को हटा दें।

श्री अध्यक्ष--(श्री श्रीपति सहाय से) आप को कुछ कहना है?

श्री श्रीपतिसहाय--जी नहीं।

(श्री गेंदा सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--संशोधन तो श्री श्रीपतिसहाय जी का है। आप दोबारा कुछ नहीं कह सकते।

श्री गेंदा सिंह--मैं केवल एक ही बात माननीय राजस्व मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि धारा ४ में जिस प्रकार यह कहा गया है कि गांव में भी इसकी जानकारी करायी जायगी, और उसका प्रकाशन गांव में भी होगा, तो यह जो संशोधन इस वक्त किया जा रहा है, उसका यह तो अर्थ नहीं होगा कि जो धारा ४ में बात लिखी गयी है उससे भिन्न बात हो जाय?

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"३--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

५--जब धारा ४ के अधीन प्रख्यापन गजट में प्रकाशित हो जाय तो उसमें निर्दिष्ट दिनांक से धारा ५२ के अधीन सरकारी गजट में इस आशय की एक

विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक कि चकबन्दी क्रियाएं समाप्त कर दी गयी हैं प्रख्यापन से सम्बद्ध क्षेत्र में ऐसे परिणाम उत्पन्न होंगे जिनका वर्णन इसमें आगे चल कर किया गया है, अर्थात् :

(क) जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र जैसी भी दशा हो निर्दिष्ट दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा और यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के अधीन खसरे तथा वार्षिक रजिस्टर की तैयारी और रख-रखाव का कार्य बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को संक्रामित हो जायगा और

(ख) ऐसे किसी अभिलेख के संशोधन की सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों स्थगित कर दी जायंगी किन्तु इससे प्रभावित व्यक्ति का धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष या धारा १० के अधीन और तदनुसार प्रारम्भ की गयी कार्यवाहियों में इस प्रश्न को उठाने का अधिकार बाधित न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४ व ५

४--मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (३) में शब्द "अनुसार" और "वार्षिक रजिस्टर" के बीच शब्द "नक्शे या" रख दिये जायं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ८ का संशोधन

५--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १० के स्थान पर निम्न-- लिखित रख दिया जाय :-- — उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा १० का संशोधन।

"१०-- (१) धारा ८ की उपधारा (२) (ख) के अधीन अथवा अभिलेखों का अन्यथा सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार सरकारी पुनरीक्षण अथवा गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापन कर सकती है पुनःसर्वेक्षण। कि अभिलेखों का सामान्य या आंशिक पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण (Resurvey) या दोनों ही कार्य किये जायेंगे और तत्पश्चात् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार संबद्ध गांव या गांवों का पुनरीक्षित नक्शा और खसरा तथा अधिकार अभिलेख उसी प्रकार तैयार किये जायेंगे मानों उक्त अधिनियम की धारा ४८ के अधीन तत्सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी कर दी गयी हो।

(२) विज्ञप्ति के दिनांक से वह जिला या स्थानिक क्षेत्र (Local area) उस समय तक अभिलेख या सर्वेक्षण क्रियाओं या दोनों क्रियाओं के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, समझा जायगा जब तक कि क्रियाओं को समाप्त प्रख्यापित करने वाली दूसरी विज्ञप्ति न जारी हो जाय।"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

उत्तर प्रदेश अधिनियम १९५४ की धारा १० क की उपधारा (१) में शब्द "धारा ५, ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से अथवा धारा १० के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी दशा हो, पूर्व" के स्थान पर शब्द "धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से या जब अभिलेखों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रख्यापन किया गया हो तो धारा १० की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी स्थिति हो, १५ दिन के भीतर" रख दिये जायं।

६—मूल अधिनियम की धारा १० क की उपधारा (१) में शब्द "धारा ५, ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से अथवा धारा १० के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी दशा हो, पूर्व" के स्थान पर शब्द "धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से या जब अभिलेखों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रख्यापन किया गया हो तो धारा १० की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी स्थिति हो, १५ दिन के भीतर" रख दिये जायं। संशोधन।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६ की अन्तिम पंक्ति में "१५ दिन" के स्थान पर "३० दिन" रख दिया जाय।

यह तो बड़ी सीधी बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत सी बातों की चकबन्दी के सिलसिले में लोगों को ठीक से जानकारी नहीं हो पाती है। इसका अवसर उनको नहीं मिल पाता है कि वह अपनी बातों को लोगों को समझा सकें या दूसरों की बातें समझ सकें। यह वक्त की कमी के कारण है। अगर "१५ दिन" के बजाय "३० दिन" कर दिया जाय तो कोई मैटीरियल लास इसमें होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में कोई विशेष कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। पंद्रह दिन के बजाय तीस दिन कर दिया जाय। जैसी तकलीफ आराम बरदाश्त करके अभी तक रहे हैं चकबन्दी के सुख से वंचित रहे हैं वैसे पंद्रह दिन के बजाय तीस दिन तक रह जायंगे और मेरा यह विश्वास है कि लोगों को कुछ समझाने और समझने का और अपना काम करने का अवसर मिल सकेगा। इससे जो कुछ असंतोष लोगों को होता है वह भी उसे कम होगा। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इसी पर एक संशोधन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। किन्तु कालावधि के भीतर नहीं है जो संशोधन मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष—वह तो अभी पहुंचा है।

श्री रामलखन मिश्र—माल मंत्री जी जब मेरी युक्तियों को सुनेंगे तो उसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आपने मूव नहीं किया। आप उनके संशोधन का विरोध करते हुए अपने संशोधन पर कह सकते हैं।

श्री रामलखन मिश्र—उसका तो मैं विरोध करता ही हूं। मैंने संशोधन यह दिया है कि पंदरह दिन के स्थान पर सात दिन कर दिया जाय। उसका कारण है। यों तो देखने सुनने में ऐसा मालूम होता है कि पंदरह दिन के स्थान पर ३० दिन रख दिया जाय तो यह बहुत ही कल्याणकारक होगा किसानों के लिये। किसी प्रसंग में होता भी हो पर यहां तो बिल्कुल नहीं है। पहले जो शुरू में विधान था धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने का और धारा

९ में जब कि वह रजिस्टर प्रकाशित हो जाता है इसके भीतर कोई खातेदार चाहे तो अपनी इच्छा प्रकट कर दे कि हम बटवारा करना चाहते हैं तो चकबन्दी अधिकारी फिर अमीन के द्वारा या कन्सालीडेटर की सहायता से वह फार्म भरा करके अपने यहां चालू कर देगा। अगर किसी के साथ वह शामिल होना चाहे तो सी० ओ० उसकी व्यवस्था कर देता था; यह उसमें व्यवस्था है। वहां का अमीन सब कुछ कर देता है केवल इच्छा प्रकट करने की बात है। और धारा ४ से धारा ९ के अन्तर्गत कई महीने लग जाते हैं इसके अन्तर्गत उसका मानसिक संतुलन कुछ बन जाता है। अब धारा ९ के प्रकाशन का ज्ञान प्रायः काश्तकार को नहीं होता था, क्योंकि वह चकबन्दी को शीघ्रता से खत्म करने की लालच में चकबन्दी अधिकारियों को आनाकानी करनी पड़ती थी। अब व्यवस्था कर दी गई कि धारा ९ का प्रकाशन ऐसा होगा कि प्रत्येक खातेदार को उसके खातों का कुछ न कुछ ऐक्सट्रैक्ट सा मिल जायगा वह इतने प्रभावित ढंग से होगा। अब उसमें नजानकारी का कोई प्रश्न नहीं होगा। तो इसलिये ७ दिन बहुत पर्याप्त हैं क्योंकि किसी भी तहसील का दो वर्ष से अधिक समय लेना अन्याय करना होगा और किसान अपने खेतों में पानी न दे उनको बराबर देखता रहे ऐसा होने से गांव की जो उसकी सिविक लाइफ है वह डिस्टर्ब हो जाती है जब तक चकबन्दी समाप्त नहीं हो जाती। तो मेरा अभिप्राय यह है कि यदि १५ दिन का समय रखें तो फिर धारा ११ की सारी कार्यवाही बन्द हो जायगी, क्योंकि धारा ११ में जो नक्शे बनते हैं उनमें से दो एक नक्शे ऐसे हैं जो ब्रेक का काम कर देंगे और सारी चकबन्दी ठप हो जायगी। इसलिये ७ दिन का समय पर्याप्त है क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं केवल अपनी इच्छा प्रकट कर देना है। तो धारा ९ का जब इतने अच्छे ढंग से प्रकाशन हो जाता है कि प्रत्येक खातेदार को उसके हस्ताक्षर करा कर जानकारी करा दी जायगी और इन्तखाब भी दिये जायंगे तो फिर ७ दिन का समय केवल इच्छा प्रकट करने के लिये काफी है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, बात अगर्चे माननीय गेंदा सिंह ने जैसा कहा कि सीधी है यह ठीक है लेकिन लम्बी पड़ती है। समय कितना नष्ट होता है! हमारा इरादा पहले यह था कि एक साल में एक तहसील में चकबन्दी खत्म हो जाये लेकिन अब डेढ़ साल से पहले एक तहसील में खत्म होने के आसार नहीं। जितना ज्यादा समय बढ़ेगा उतना किसान का खर्च बढ़ जायगा। तो बिला वजह मियाद का बढ़ाना, उससे कोई फायदा नहीं। राज्य कर्मचारी ३० दिन तक खाली बैठे रहेंगे। फिर एक आदमी जिसको पता नहीं है कि गांव में चकबन्दी हो रही है एतराज सुने जा रहे हैं तो उसके लिये चाहे तो उस आदमी के लिए चाहे ३० दिन रख दीजिए चाहे ३० वर्ष रख दीजिए वह फिर भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए यह पन्द्रह दिन बहुत काफी होगा। बल्कि यही नहीं, मैं तो माननीय रामलखन मिश्र जी के सुझाव के लिये एक तरह से इन्क्लाइंड हो रहा था ऐक्सेप्ट करने के लिये, लेकिन क्योंकि हमारे यहां से एक दफा यह जा चुका है १५ दिन का इसलिये उनके सुझाव को अगर्चे वह ज्यादा माकूल है बनिस्बत गेंदा सिंह जी के, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं। पन्द्रह दिन जैसा कि माननीय रामलखन मिश्र जी ने कहा है और आगे चलकर जो अमेंडमेन्ट है श्रीपति सहाय जी के नाम पर उसमें तो एक एक व्यक्ति पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

परसनल सर्विस करने जा रहे हैं अगर्चे उससे बहुत हमारा काम बढ़ा जा रहा है और बहुत काफी हम राजकर्मचारियों पर बोझा डाल रहे हैं तो उसको देखते हुए यह कोई जरूरत ही नहीं है ३० दिन के रखने की ।

*श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अधिक समझाने की कोशिश अब नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है राजस्व मंत्री जी ने कि वह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि माननीय मिश्र जी ने कहा कि यह तो सात दिन कर दिया जाय तो अच्छा है लेकिन मैं जहां तक समझता हूं धारा ९ के मुताबिक यह है कि धारा ८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत तैयार किया गया वार्षिक रजिस्टर गांव में प्रकाशित किया जायगा। उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेजी जायगी । अब फिर धारा १० में यह है कि धारा ८ की उपधारा (२)(ख) के अन्तर्गत सिफारिशें प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस आशय की एक विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध गावं या गावों का पुनरीक्षित नक्शा खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायगा .....

इसमें कुछ मैं और आगे निवेदन करूं कि ११ में एक स्टेटमेंट तैयार किया जायगा और स्टेटमेन्ट तैयार होने के बाद अब यह १२ में विवरण प्रकाशित होने के बाद सहायक चकबन्दी अधिकारी को ३० दिन का मौका था पहले कि ३० दिन के भीतर अगर उसको कुछ एतराज करना हो तो किसान एतराज कर दे । अब उस ३० दिन के स्थान पर पन्द्रह दिन रखा जा रहा है । तो यह स्टेटमेन्ट जो है बड़ा व्यापक स्टेटमेंट है और इतने लम्बे प्रोसेस में जब वह तैयार किया जायगा तो इसके लिए तो कई महीने का मौका राजकर्मचारियों को मिला है, लेकिन जो निरा अपढ़ बिना पढ़ा लिखा किसान है उसको ३० दिन के बजाय यह अनुभव हुआ है कि १५ दिन में ही वह समझने लगा है । अब उसको ३० दिन समझाने की जरूरत नहीं है पन्द्रह दिन में वह समझने लगा है और मिश्र जी यह समझने लगे हैं कि पन्द्रह दिन में क्या वह तो सात ही दिन में समझ लेगा । तो मैं सिर्फ इतना ही कह के और विचार करने को कहूंगा यों तो यह अस्वीकार होगा ही लेकिन मैं एक चेतावनी के तौर पर निवेदन करता हूं कि इसका कुपरिणाम होगा, भुगतना पड़ेगा किसानों को और भुगतेंगे किसान, वह भुगतने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह और करेगा ही क्या ! लेकिन उससे राजस्व मंत्री जी को तकलीफ होगी सुनने के बाद अगर सही रिपोर्ट उन तक पहुंच पावे। तो जैसी इच्छा हो वह इसको पास करें।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, ये पंद्रह दिन दिये जायेंगे प्रख्यापन के बाद। प्रख्यापन की परिभाषा यह है कि गांव में मुनादी और चकबन्दी कमेटी के हर मेम्बर को परसनल सर्विस, तीसरे यह कि गांव में किसी चौपाल या किसी पंचायतघर या किसी प्रामिनेंट प्लेस पर उसका टांगा जाना। ये तीन काम हैं। इनके बाद पंद्रह दिन मिलते हैं और कई महीनों के बाद जब कि गांव में अधिकारी पहुंच गये होंगे चकबन्दी के, तो अब तो यह सवाल ओपीनियन का रह जाता है कि ३० दिन काफी हैं या पंद्रह दिन काफी हैं। मैं समझता हूं कि पंद्रह दिन काफी हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ की अंतिम पंक्ति में "१५ दिन" के स्थान पर "३० दिन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

७--वर्तमान धारा १०-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"१०-ख--किसी खाते के अधिकारी (entitled) खातेदार के लिये खातों का संयोजन। अपने खाते को ऐसी शर्तों पर किसी दूसरे खातेदार के खाते से सम्मिलित कर लेना (amalgamate) विधिपूर्ण होगा जो परस्पर तय हो जायं। खातेदार ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय चकबन्दी अधिकारी के पास तदर्थ एक प्रार्थना-पत्र देगा और चकबन्दी अधिकारी जहां तक व्यवहार्य होगा, चकबन्दी की सामान्य योजना का ध्यान रखते हुये उसे कार्यान्वित करेगा।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १०-ख का संशोधन।

***श्री गेंदा सिंह**--खंड ७ में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १०-ख की पंक्ति ४ में शब्द "खातेदार" और पंक्ति ५ के शब्द "चकबन्दी" के बीच के शब्द "ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह भी नयी बात है और मैं समझता हूं कि इसके पहले क्या दिक्कत पड़ी कि जिसके लिए अब यह उस कानून में लिखने की जरूरत पड़ गई कि ऐसी रीति से वह ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय। टेंडेंसी, अध्यक्ष महोदय, हमने यहां देखी कि "जितनी अवधि" के माने यह हैं कि जितनी अवधि लोगों को मिलती थी उसको कम करने की प्रवृत्ति है। रीति में मैंने पूरे विधेयक को पढ़ने की कोशिश की है कि सरकार पूरी तरह से काबू में है अपने राजकर्मचारियों के। राज कर्मचारियों की सुविधा जिसमें हो सके, और सुविधा जाने भगवान किस में है, उसके मुताबिक रूल्स बनायेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि जो पुराना कानून है उसी की आवश्यकता है। इस बात को कह देना कि हम ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय इसको अगर मैं पहले से समझूं तो मेरी ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि आखिर विधेयक में तो एक टेंडेंसी है ही और विधेयक तो शरारती लोगों के लिये और उद्दंड लोगों को दुरुस्त करने के लिये है। तो जो रूल्स बनेंगे वह भी उन्हीं को दुरुस्त करने के लिये बनेंगे। मैं सरकार को समझा नहीं सकता कि उसको चुनने वाले उद्दंड और शरारती नहीं हैं। उसको बैठाने वाले भले आदमी और समझदार लोग हैं और किसानों के लिये यह कानून है। कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि इस वाक्य को यहां पर रखा जाय। कानून में बहुत साफ है, उसके अनुसार कार्यवाही की जाय। मैं समझता हूं कि उस से काम चल जायगा। लेकिन रूल मेकिंग पावर लेने के लिये ही सिर्फ यह संशोधन किया जा रहा है, यानी कानून में हाउस के सामने नहीं आने देना चाहते कि वह क्या करना चाहते हैं। रूल मेकिंग पावर लेना चाहते हैं। जितना हम दे चुके हैं वही बहुत है, इसमें क्या लाया जा रहा है। तो मेरा झगड़ा केवल यह है और इसी पर जोर देना चाहता हूं कि रूल मेकिंग पावर सरकार को न दी जाय और जो कुछ भी सरकार को कहना हो तो इस वक्त इस विधेयक पर बहस हो रही है वह साफ-साफ कह दें। क्यों नहीं वह बतावें कि कितनी अवधि में करना चाहते हैं और किस रीति से काम करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह कोई नयी बात नहीं है कि जब रूल्स बनते हैं तो उन पर कब विवाद होता है और कब उनको यहां रखा जाता है यह बड़ी स्पष्ट बात है। रूल्स की जानकारी भी हमें नहीं होती है, उसके पहले ही उस पर अमल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक प्रतिष्ठा की बात सरकार की हो जाती है और मल होने में मालूम नहीं कितने घर उजड़ गये या बस गये और अगर फिर यहां पर बहस के लिये आवें और हम कहते हैं कि इससे यह बरबादी होती है तो सरकार एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके एक रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती है। इसलिये मैं इस रूल्स मेकिंग पावर को बढ़ाने का पक्षपाती नहीं हूं और मैं उनसे कहूंगा कि अगर अभी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

वह कुछ कहना चाहते हैं तो स्पष्ट कहें कि कितनी अवधि में और किस रीति से कहना चाहते हैं, तब उसपर ठीक तरह से बहस और विचार हो कर यहां से पास होना चाहिये। इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि या तो इसे उसी तरह से रहने दिया जाय जैसा कि मैंने कहा है, या फिर हाउस को समझाने की कोशिश करें और फिर हाउस जैसा मुनासिब समझे वैसी कार्यवाही की जाय।

*श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि बात-बात पर नीयत पर हमला, अफसरान की नीयत पर और गवर्नमेंट की नीयत पर हमला; मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से काम चलने वाला है, अगर हर चीज में यह नजर आवे कि गवर्नमेंट की कुछ छिपी हुई नीति है, अफसरान को कुछ अधिकार देना चाहते हैं, किसानों के साथ अन्याय करना चाहते हैं, तो बहस फिर किसी मामले में हो नहीं सकती। कोई भित्ति कामन तो होगी जिसको दोनों फरीक मान कर चलें, फिर बहस हो, तो बात समझ में आ सकती है। अगर माननीय गेंदा सिंह का नीयत पर ही विश्वास नहीं है तो मेरे नजदीक बहस करना बेकार है। इसमें जो लफ्ज लिखे गये हैं, मैंने अपने लीगल ड्राफ्टसमैन से कहा था कि इसकी क्या जरूरत है। हमें १५ दिन तो करने ही हैं, वह धारा में साफ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसे ही चलने दीजिये, १५ ही दिन करने वाले हैं और उन्होंने कहा कि अगर इसको हटाते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन बदलना होगा बात केवल इतनी सी है। अब माननीय गेंदा सिंह जी को उसमें दुर्गंध आने लगी, तो मेरे पास क्या इलाज है? मैं आपके जरिये बतलाना चाहता हूं कि उसमें हमारा इरादा १५ दिन से कम करने का हरगिज नहीं है और मैं इसको कमिट किये लेता हूं। जिस रीति या जिस अवधि के अन्दर यह रूल बनेंगे और मैं तो अभी सोच रहा था कि १५ दिन के भीतर ले आऊं लेकिन जो मैंने गौर किया तो उसमें १५ दिन के भीतर नहीं लाया जा सकता वरना मैं अभी कर देता। मेरे दोस्त गेंदा सिंह जी उसे कटवा रहे हैं लेकिन खुद तय नहीं कर रहे हैं कि कितने दिन हो। अगर माननीय गेंदा सिंह जी की बात मान ली जाय तो १० वर्ष के अन्दर भी कर सकते हैं। दो आदमियों ने मिलकर दरख्वास्त दे दी कि हम दोनों के खातों को शामिल करके एक चक बना दिया जाय। अब रूल मेकिंग पावर तो गवर्नमेंट को देते नहीं हैं और अपने आप कोई सुझाव नहीं देते कि कितने दिन के अन्दर कर दिया जाय तो हो क्या? अगर उनकी तरफ से भाषा का लिहाज करके कुछ आ जाय तो मैं अब भी तैयार हूं और बात-बात पर शुबहा कि रूल मेकिंग पावर गवर्नमेंट ले रही है!

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, हाउस में इस समय कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम हो जाने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह तो ब्रिटिश सिस्टम ऐसा है जिसमें इतनी दरख्वास्तें ली जा सकती हैं वरना इंगलैन्ड और अमेरिका को छोड़कर बाकी मुल्कों में केवल उसूल लिखे जाते हैं और बाकी हर चीजें अफसरों पर छोड़ दी जाती हैं, वर्क आउट करने को। हम यहां बहुत डिटेल में जाते हैं फिर भी परिस्थितियों का तकाजा है कि डिटेल्स ऐक्ट में नहीं आ सकता इसलिये विवश होकर जो भी गवर्नमेंट होगी डिटेल्स रूल्स में लायेगी। परमात्मा करे गेंदा सिंह जी की गवर्नमेंट आ जाये लेकिन वे भी रूल मेकिंग पावर को रखेंगे और उस पर शुबहा नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह---मुझे, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जोरों से इन्कार करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई आदमी नहीं है और उसकी नीयत भी शायद है नहीं। जब कोई आदमी हो तो नियत हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरण सिंह--और विरोधी दल का नेता आदमी है या नहीं ?

श्री गेंदासिंह--जीवित वस्तु हो तो वह तो सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लें। सरकार क्या है उर्दू लफ्ज में इसके क्या माने हैं, चौधरी साहब को ज्यादा मालूम होगा। तो मैं तो उसकी नीयत ढूंढता नहीं हूं। चौधरी साहब आदमी हैं उनकी नीयत का पता लगाया जा सकता है लेकिन मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता हूं और वे समझ लें कि यह मेरी आदत भी नहीं है कि लोगों की नीयत पर शुब्हा करूं। लेकिन परिस्थितियों को देखकर अपनी राय उस पर आदमी कायम करता है और सोच सकता है यह मैं कहता हूं कि रूल मेकिंग पावर गवर्नमेंट को मिले वह काम को चलाने के लिये, बखूबी चलाने के लिये रूल मेकिंग पावर रखे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा कहना तो सिर्फ इतना है कि इस धारा का जो संशोधन हो रहा है वह केवल रूल्स मेकिंग पावर लेने के लिये हो रहा है। इसमें कतई दूसरा कोई संशोधन है ही नहीं। सिर्फ रूल मेकिंग पावर को लेने के लिये यह संशोधित किया जा रहा है यह आपत्ति की बात है। अगर इस धारा को संशोधित करना था तो माइंड मेक अप कर लेना चाहिये था सरकार को, चौधरी साहब को, उनके कंसालिडेशन डिपार्टमेंट को कि वे कम से कम यह समझ लें कि वे हाउस से क्या मंजूर कराना चाहते हैं। लेकिन यह मालूम होता है कि कुछ नहीं मालूम है। इस संशोधन को रखने के पहले कतई जानकारी नहीं है कि क्या करना है, केवल डिपार्टमेंट ने कह दिया कि रूल मेकिंग पावर ले ली जाय। वैसे तो चौधरी साहब हर चीज को बहुत माइन्यूटली पढ़ते हैं लेकिन मालूम होता है कि इसको उन्होंने पढ़ा नहीं। डिपार्टमेंट वालों ने जैसा बताया वैसा आ गया। अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर नाराज हो रहे हैं। जब आदमी के पास दलील नहीं रहती है और वह समझता है कि पकड़ में आ रहा है तो गुस्सा होने लगता है। चौधरी साहब कहते हैं कि हम नहीं कह रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कहते हो। अब हमारे मुंह में वह रखना चाहते हैं कि तुम्हीं बताओ कि कितने दिन रखे जायं। बिल के पायलट करने वाले वे, सारे बिल को हमसे ८ गुना, १० गुना और १०० गुना पढ़े होंगे वे, जरूरत महसूस करते हैं वे और कहते हमसे हैं कि तुम रख दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भी बदकिस्मती से अबकी मैं गया ही नहीं। अगर गया होता तो कुछ सुन लिया होता। तो मैं इतना कहूंगा कि रूल मेकिंग पावर के लिये इस धारा का संशोधन न किया जाय। मुझे नियत पर कतई शक नहीं है लेकिन केवल रूल मेकिंग पावर लेने के लिये धारा को संशोधित किया जाय इसका मैं विरोधी हूं और चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे और कम से कम चौधरी साहब की इस मांग को नामंजूर करें।

श्री चरण सिंह--मैं पछता रहा हूं कि मैंने सीख काहे को दी क्योंकि "सीख ताको दीजिये जाको सीख सुहाय"। बाकी मैंने यह कहा कि गवर्नमेंट आदमियों की होती है और उसमें हमारी और उनकी दोनों की नीयत एक है कि किसानों का भला चाहते हैं और उसमें हम १५ दिन ही रखेंगे। वह कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि जैसा है वैसा रखा जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १०-ख की पंक्ति ४ में शब्द "खातेदार" और पंक्ति ५ के शब्द "चकबन्दी" के बीच के शब्द "ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८--मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ११ का संशोधन।

"(क) एक नक्शा, जिसमें प्रत्येक गांव में गांव की भूमि का विभाजन या वर्गीकरण (division or grouping) अलग-अलग हारों (blocks) के रूप में दिखाया जायगा जो संख्या में तीन से अधिक न होंगे और जिन्हें निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् सीमांकित (demarcate) किया जायगा:-

(१) गांव में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की किस्म और संख्या;

(२) सिंचाई की सुविधाओं का होना या उनका अभाव;

(३) मिट्टी की किस्म;

(४) अन्य ऐसे तथ्य जो आवश्यक प्रतीत हों।

(ख) समस्त गाटों की सूची, चाहे वे किसी खातेदार के खाते में सम्मिलित हों या न हों, जिसमें आवश्यकतानुसार निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:--

(१) प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल;

(२) गाटों की मिट्टी का वर्गीकरण (soil classification) जो चकबन्दी समिति के परामर्श से नियत रीति से अवधारित किया गया हो,

(३) पिछले बन्दोबस्त रौस्टर (settlement roster) या पुनरीक्षण क्रियाओं में इनमें से जो भी अंतिम हो, मिट्टी के वर्गों के लिये स्वीकृत लगान की दरें, जैसी और जहां भी वे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा चकबन्दी समिति के परामर्श से नियत रीति से संशोधित की गयी हों;

(४) प्रत्येक गाटे का लगानी मूल्य (rental value);

(५) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(ग) प्रत्येक खातेदार के ऐसे समस्त गाटों की सूची जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:--

(१) चकबन्दी से अपवर्जित (excluded) क्षेत्र;

(२) प्रत्येक हार (block) में चकबन्दी के अन्तर्गत क्षेत्र तथा खंड (ख) के अनुसार अवधारित उसकी मिट्टी का वर्ग (soil class) और लगानी मूल्य;

(३) नियत रीति से आकलित लगान या मालगुजारी;

(४) उसके हिस्से का कुल क्षेत्र, लगानी मूल्य और लगान;

(५) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

श्री श्रीपति सहाय--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में शब्द "मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में खंड (क) तथा (ख)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :

"मूल अधिनियम की धारा ११ में--(१) उपधारा (१) के खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय"

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, यह जो ऐजेंडा के आइटम नंबर ६ और ८ के बीच में ७ माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन छपा है इससे कन्फ्यूजन होता है।

६ और ८ एक साथ ले लिये जायं और ७ को बाद को लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है यह दोनों पेश कर दें एक साथ।

श्री श्री पतिसहाय--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(२) उक्त विवरण-पत्र एक ऐसे नोटिस के सहित गांव में प्रकाशित किया जायगा जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां यदि कोई हों, जिनमें विवरणपत्र के किसी इंदराज की विशुद्धता (correctness) या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्संबंधी कोई अकरण (omission) बताया जाय, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया गया हो, विवरण-पत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की नियत रीति से, तामील गांव में प्रत्येक खातेदार पर भी जायगी।"

श्रीमन्, इसमें "भी" के बाद "की" होना चाहिये। यह गलत छप गया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्रम संख्या ८ पर संशोधन प्रस्तावित किया गया है उसकी पहले तो कुछ भाषा ही ऐसी है जिसकी कोई संगति नहीं बैठती है। श्रीमन्, आप इसमें स्वयं देखिये कि "उक्त विवरण-पत्र एक ऐसे नोटिस के सहित गांव में प्रकाशित किया जायगा जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां, यदि कोई हों, जिनमें विवरण-पत्र के किसी इंदराज की विशुद्धता या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्संबंधी कोई अकरण बताया जाय, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया गया है विवरणपत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की नियत रीति से, तामील गांव में प्रत्येक खातेदार पर की जायगी।" यहां पर या तो पंक्चुयेशन की गलती हो गई है या कोई और गलती है क्योंकि "आदेश दिया गया है," के बाद पूर्ण विराम हो तो अर्थ निकले और इसका अर्थ भी कुछ अटपटा लगता है। आशय तो यह है कि ऐसा पूर्ण विवरण गांव में नोटिस के सहित प्रकाशित किया जायगा। अब इसमें इतना और जोड़ दिया जायगा कि "विवरण पत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की नियत रीति से, तामील गांव में प्रत्येक खातेदार पर की जायगी"। यह तो बहुत अच्छा हुआ और इसका सभी लोग स्वागत करेंगे। लेकिन बीच में जो निरर्थक शब्द जोड़ दिये गये हैं कि "जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां यदि कोई हों, जिनमें विवरणपत्र के किसी इंदराज की विशुद्धता या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्संबंधी कोई अकरण बताया जाय, यह शब्द निरर्थक है क्योंकि मूल अधिनियम की धारा १२ में साफ दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति धारा ११ के अन्तर्गत विवरण प्रकाशित होने के ३० दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष विवरण में किसी भी इंदराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप के रूप में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा तत्संबंधी कोई अकरण बता सकता है।" जो कुछ भी विवरण पत्र के प्रकाशित होने के बाद जो आपत्तियां होंगी वह धारा १२ के अन्दर वह प्रस्तुत करेगा। इसलिये यहां तो मंशा इतना ही होना चाहिये कि विवरण-पत्र एक ऐसे नोटिस के सहित गांव में

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

प्रकाशित किया जायगा और विवरणपत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की नियत रीति से, तामील गाँव में की जायगी, प्रत्येक खातेदार पर की जायगी।" यह बीच वाला किसलिये रखा गया है, यह बात समझ में नहीं आती, इसकी कौन सी आवश्यकता है. इसलिये मैं समझता हूं कि जो मंशा है वह केवल इतने से ही हल हो जाती है कि उक्त विवरण-पत्र गांव में प्रकाशित किया जायगा जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां यदि कोई हों, जिनमें विवरण-पत्र के किसी इंदराज की विशुद्धता या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्संबंधी कोई अकरण बताया जाय, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया गया हो, विवरण-पत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की नियत रीति से तामील गांव में प्रत्येक खातेदार पर की जायगी। मैं नहीं समझता कि मैंने जो संशोधन दिया है उसको माल मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं या नहीं लेकिन यह बिलकुल बीच का अनावश्यक है और इसलिये मैं समझता हूं कि यह बीच वाला अंश निकाल दिया जाय। इससे अर्थ भी स्पष्ट हो जायगा और मतलब भी हल हो जायगा। जो भाषा है यह भी अनावश्यक है, जो जोड़ा गया है जाने किस तरह से, यह भी ठीक किया जाना चाहिये।

श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने जिन बातों की ओर संकेत किया, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही मुनासिब है। मैंने भी एक संशोधन इस सिलसिले में रखा था और वह इस बात को समझ कर रखा था कि पहले मूल अधिनियम में इस बात की गुंजाइश थी कि स्टेटमेंट जो प्रकाशित होगा उसमें लोगों को अपनी तरफ से उज्रदारी करने का मौका दिया जायगा। वह आपत्ति वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो विधेयक हमारे सामने आया उस में से वह अंश निकाल दिया गया। तो उसके निकलने पर बड़ा संदेह हुआ कि आखिर यह क्यों निकाल दिया गया। लेकिन खुशी की बात है कि सरकार ने फिर इस बात को महसूस किया, चाहे जिस तरह से महसूस किया हो, कि ऐसा करने से नाराजगी फैलेगी और यह समझ कर उन्होंने इसको सुधारने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मौर्य जी का संशोधन क्या है, इसको जानने का अगर हमको मौका मिल जाय तो मैं अपनी कुछ राय कायम कर सकता हूं कि आखिर कौन सा संशोधन मानने के योग्य है। अगर इन से काम पूरा हो जाय तो मुझे अपना संशोधन रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आवश्यकता इस बात की जरूर है कि मौर्य जी का संशोधन अगर इस सिलसिले में हो और उससे उद्देश्य की पूर्ति होती हो तो उसे भी ले लिया जाय और उसके बाद फिर विचार किया जाय, ताकि ठीक विचार हो कर इन संशोधनों की रोशनी में हम किसी फाइनल नतीजे पर पहुंच सकें।

श्री अध्यक्ष--(श्री चरण सिंह से) आपने माननीय मौर्य जी का संशोधन स्वीकार किया या नहीं ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--वह अभी आया है।

श्री गेंदासिंह--मैं माननीय माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भले ही इसको स्वीकार न करें लेकिन आ तो जाने दें। अगर आ जाने में कोई कठिनाई न हो तो मुमकिन है कि हम लोग भी इसको समझ लें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--संशोधन में संशोधन इसकी आवश्यकता नहीं है कि दो एक रोज पहले आये।

श्री अध्यक्ष--आप उनके संशोधन में संशोधन कर रहे हैं। वह संशोधन अगर स्वीकृत हो जायगा तो मैं उनको उसके बाद मौका दे दूंगा।

श्री चरणसिंह—आप तकरीर तो कर ही चुके हैं, तो उसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—वह संशोधन पेश नहीं कर सके हैं चूंकि मैंने उनको मौका नहीं दिया। तो अगर यह मंजूर हो जाता है श्री श्रीपति सहाय का संशोधन तो उस वक्त मैं उन्हें मौका दे दूंगा।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री गेंदासिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, मालूम ऐसा होता है कि माननीय मौर्य जी ने अपने संशोधन को वापस लेने का इरादा कर लिया है। अगर उन्होंने अपने संशोधन को पेश न करने का इरादा कर लिया है तो उस सम्बन्ध में मुझे ऐसा करना है कि मैंने जो संशोधन इस सिलसिले में रखने का इरादा किया था वह इस बुनियाद पर था कि मालूम यह होता है कि सरकार ने ऐसा सोचा है कि अब प्रकाशित करने का फर्क यह होगा कि स्टेटमेंट बन जायेंगे और स्टेटमेंट बन जाने के बाद उपधारा २ के अनुसार गांवों में प्रकाशित करने की और उस पर आपत्ति करने का लोगों को जो अधिकार था उसमें कमी आ जायगी लेकिन जो माननीय श्रीपतिसहाय जी का संशोधन है उससे यह मालूम होता है कि लोगों को उस बात का भी अधिकार होगा कि उनको व्यक्तिगत रूप से नोटिस पहुंचाया जाय और आपत्ति करने का मौका मिले। लेकिन जिस संदेह से मजबूर होकर मौर्य जी ने संशोधन रक्खा था वह सन्देह मैं भी जाहिर करना चाहता था। तो इसमें जो बड़ी शब्दावली रक्खी हुई है उसके बजाय अगर सीधी-सीधी शब्दावली रख दी जाय और यह कह दिया जाय कि स्टेटमेंट प्रकाशित होगा और स्टेटमेंट प्रकाशित होने के बाद जो भी सुविधा किसानों को दी जाती थी यानी इन्दराजात आदि की प्रतिलिपि उनको दी जायगी और उसके ऊपर जो वह आपत्ति करना चाहेगा वह आपत्ति कर सकेगा। इसलिये मैं भी जो संशोधन उपस्थित करना चाहता था उसकी भी आवश्यकता न पड़ेगी।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने भी और माननीय गेंदासिंह जी ने भी दोनों ने हमारी बात मान ही ली है। सन्देह तो थोड़ा बहुत रहा ही करता है लेकिन अगर वह गौर करेंगे तो इसमें कोई सन्देह की गुंजायश नहीं है, जब हर आदमी पर इनिडविजुअल सर्विस होगी तो फिर क्या सवाल रह जायगा? पहले यह था कि आम पब्लिकेशन गांव में होती थी लेकिन अब हम व्यक्तिगत सर्विस करा रहे हैं, व्यक्तिगत तामील उन स्टेटमेंट्स की होगी और साथ ही यह नोटिस होगा कि किसी इन्दराज की विशुद्धता या कोई अकरण या ओमिशन हो तो उसके सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करो। जो संशोधन माननीय श्रीपति जी का आगे नम्बर ९ पर है उससे सब बातें साफ हो जाती हैं, अब इससे तो और भी मौका दिया जा रहा है कि अगर एतराज करना है तो वह कर दें, पहले तो यह था कि १२ में नोटिफिकेशन होगी और वह एतराज करे या न करे, अब तो हम हर एक को नोटिस दे रहे हैं, हम हर एक पर सर्विस करा रहे हैं और उसको उज्रदारी का मौका दे रहे हैं और इससे ज्यादा क्या सहूलियत दी जा सकती है? जैसा कि मैंने एक और संशोधन के सम्बन्ध में जो पहले प्रस्ताव था उसके जवाब में अर्ज किया था कि यह तो हम अपने स्टाफ का काम बढ़ा रहे हैं और बहुत काम बढ़ा रहे हैं, इस पर विभाग में मतभेद भी रहा। बाद में तय हुआ कि काम तो बढ़ जायगा लेकिन अच्छा है कि हर किसान को सारे कागजात की एन्ट्रीज की लिस्ट मिल जायगी। इससे हमारा काम जरूर

---

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

बढ़ जायगा लेकिन किसी को शिकायत की गुंजायश नहीं रहेगी। इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं, यह तो इतना स्पष्ट है कि इसको पढ़ने और समझने के बाद किसी भाई को कोई शंका या सन्देह न रहनी चाहिए।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया है मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि उसे मुझे उपस्थित करने की आज्ञा दी जाय। मैं इस शब्दावली को देखते हुए केवल एक पन्चुएशन का संशोधन रखना चाहता हूं। इससे जो एक दिक्कत है...

श्री उपाध्यक्ष--पन्कचुएशन का संशोधन तो कार्यालय कर लेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह संशोधन हो जायगा तो जल्द समझ में आ जायगा, इस तरह से अगर रहेगा तो मेरे जैसे लोगों को समझने में देर लगेगी और मुसीबत में पड़ जायंगे और समय नष्ट होगा। मैं आपकी आज्ञा से क्रमसंख्या ८ पर जो संशोधन माननीय श्रीपति जी का है उसकी उपधारा (२) की पंक्ति ५ में जो, "है," उसकी जगह "।" कर दिया जाय, यह संशोधन मैं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--पंक्ति ५ में तो दो "," हैं।

श्री चरण सिंह--यह "," जो है वह "आदेश दिया गया हो" के बाद "है," इसकी जगह वह "।" चाहते हैं।

यह मुझे स्वीकार है। हो के बाद जो "," है उसको "।" कर दिया जाय। और तामील गांव के प्रत्येक खातेदार पर भी "की" जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ में शब्द "मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :

"मूल अधिनियम की धारा ११ में--

(१) उपधारा (१) के खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय",

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(२) उक्त विवरण-पत्र एक ऐसे नोटिस के सहित गांव में प्रकाशित किया जायगा जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां यदि कोई हों, जिनमें विवरण-पत्र के किसी इन्दराज की विशुद्धता (Correctness) या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्सम्बन्धी कोई अकरण (Omission) बताया जाय, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया गया हो। विवरण-पत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की, नियत रीति से, तामील गांव में प्रत्येक खातेदार पर भी की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अब मजबूर होकर इस संशोधन को रखना चाहता हूं क्योंकि वह भ्रम जो है वह जरा फिर भ्रम स्पष्ट हो जाय। मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित खंड (ग) के बाद निम्न खंड (घ) बढ़ा दिया जाय :

"(घ) उक्त प्रकार का वक्तव्य (Statement) गांव में प्रकाशित किया जायगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिये मैंने रखने की धृष्टता की है इस संशोधन को कि जो अभी माननीय श्रीपति सहाय जी का संशोधन स्वीकार हुआ है उसमें यह लिखा हुआ है कि उक्त विवरण पत्र एक ऐसे नोटिस के सहित गांव में प्रकशित किया जायगा जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां यदि कोई हों, उनमें विवरण-पत्र के किसी इन्दराज की विशुद्धता या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्सम्बन्धी कोई अकरण बताया जाय, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया गया हो। तो गांव में प्रकाशित करने की बात तो इसमें मानी गई है और गांव में प्रकाशित करने का तात्पर्य मैं समझता हूं और इसमें पहले से थोड़ा सुविधा यह भी दे दी गई है क्योंकि गांव में ही प्रकाशित नहीं होगा लेकिन वे लोग जो स्वत्व रखने वाले हों उनको भी उसमें कुछ कहने सुनने की गुन्जायश हो सके और उनको आपत्ति करने का अधिकर मिलेगा, परन्तु यह तो उस नक्शे के सम्बन्ध में है कि जिनमें स्वत्व रखने वाले के पास नोटिस जायगी, बाकी स्वत्व रखने वाले जो नहीं हैं उनके ऊपर तो शायद नोटिस तामील ही नहीं होगी और स्वत्व रखने वाले वही होंगे जिनका नाम कागज में लिख लिया होगा। परताल में तो अब उसमें जरा यह स्पष्ट हो जाना चाहिये।

श्री चरण सिंह--आप इजाजत दें तो बीच में ही भ्रम दूर हो जाय।

श्री गेंदा सिंह--मैं अभी बैठ जाता हूं आप सुन लें। स्वत्व रखने वाले अगर यह बात स्पष्ट हो जाय कि उनको भी जिनका नाम अभी तक इस प्रोसेस में नहीं आया है और सचमुच जमींन पर कब्जा उनका है तो स्वत्व रखने वाला सिर्फ वही माना जायगा जिसका कि नाम पड़ताल में अब तक आ चुका है। तो उनको अब जाप्ते से गुंजायश नहीं होती है। जरा क्वालीफाइड हो जाता है, गांव में प्रकाशन होने का मतलब यह होता है कि डुग्गी पीट कर या इश्तहार हो जाता जिसमें स्वत्व रखने वाले और न रखने वाले जो कुछ आपत्ति करना चाहते कर सकते थे। लेकिन यह संशोधन जो श्रीपति सहाय जी का स्वीकार हुआ है उसमें यह बंधन लग जाता है कि केवल स्वत्व रखने वाले जो हैं वही आ करके आपत्ति कर सकते हैं। तो इसको जरा राजस्व मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

श्रीचरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, दो काम होंगे इस संशोधन के स्वीकार हो जाने के बाद। एक तो यह कि गांव में प्रख्यापन होगा कि जो भी आदमी इंटरेस्टेड हो वह आ करके उज्र दारी कर सकता है और गांव के प्रख्यापन के मानी यह हैं कि चकबन्दी के हर मेम्बर को मनादी के जरिये, पंचायतघर या चौपाल आदि या किसी और जगह विशेष पर वह स्टेटमेंट वगैरह टांग दिया जायगा। यह तो हुआ गांव का जनरल नोटिस कि जिसको भी ऐतराज करना है, विशुद्धता, ओमिशन या उसके प्रकार पर ऐतराज करे और जितने खातेदार हैं उनको व्यक्तिगत नोटिस होगा दोनों काम हैं। अब उसी खातेदार को व्यक्तिगत नोटिस दे सकते हैं जिसका नाम दर्ज है। जिसका नाम ही दर्ज नहीं है तो कैसे पता हो सकता है ? उसमें व्यक्तिगत नोटिस कैसे हो ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय गेंदा सिंह क्या चाहते हैं। एक तो आम नोटिस हो गया। यह तो सब के लिए होगा। एक व्यक्तिगत नोटिस

[श्री चरण सिंह]

हो गया, उनके लिए जिनके नाम दर्ज हैं, माननीय गेंदा सिंह कोई ऐसा तरीका बता सकें कि हमारे अफसरान को यह मालूम हो जाय कि फलां आदमी इंटरेस्टेड है, और हम कानून में उन पर ऐसी जिम्मेदारी डाल सकें जिसको वह निभा सकें, तो उन पर व्यक्तिगत सर्विस और करा दे। लेकिन वह नामुमकिन बात है। सब के लिए तो जनरल नोटिस है। जिसके नाम दर्ज हैं उनके लिए व्यक्तिगत नोटिस है। इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता।

श्री गेंदा सिंह---एक प्रश्न और है। क्या इसका प्रभाव यह तो नहीं होगा कि जिन लोगों के नाम नहीं हैं उन लोगों को अपनी बातें कहने का और अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार छिन जायगा ?

श्री चरण सिंह---वह तो तुलसीदास जी कह ही गये हैं।

श्री गेंदा सिंह---मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस किया गया।)

श्री बिशम्भर सिंह (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित एक नया उपखंड (३) के रूप में जोड़ दिया जाय :---

"(३) उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (७) के रूप में जोड़ दी जाय।

(७) धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अन्तर्गत विवरण में उल्लिखित किसी गाटे (Plot) के सम्बन्ध में आगम का कोई प्रश्न जो उपधारा (१) के अन्तर्गत उठाया जा सकता था और जिसे उठाया जाना चाहिए था, धारा २० की उपधारा (२) अथवा धारा ३४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी आपत्ति में नहीं उठाया जायगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का मतलब यह है कि अब तक की जो स्थिति थी इस चकबन्दी कानून के मातहत वह यह थी कि आपत्तियां दाखिल करने के तीन मौके दिये गये थे।

क्वेश्चन आफ टाइटिल एक सेक्शन ११ उपधारा (१) के मातहत और उसके बाद धारा २० की उपधारा (२) के मातहत और उसके बाद धारा ३४ की उपधारा (१) के बाद कोई भी क्वेश्चन आफ टाइटिल उठा सकता था। लेकिन उसमें एक बड़ी आब्जेक्शनेबिल बात यह थी कि किसी भी स्टेज पर सेक्शन ११ के मातहत वह आब्जेक्शन आफ टाइटिल उठा सकता था जिससे बड़ी परेशानी होती थी। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

*__श्री गेंदा सिंह__---उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो संशोधन डा० विशम्भर सिंह जी की मार्फत प्रस्तुत हुआ है वह नहीं प्रस्तुत करना चाहिये था क्योंकि मैं तो डा० साहब को ऐसा समझता हूं कि बहुत सोच समझ कर के कोई संशोधन प्रस्तुत करेंगे। डा० साहब ने पहले पहल संशोधन रखा उसमें उन्होंने यह मांग की है कि जो क्वेश्चन आफ टाइटिल, अपने अधिकार के लिये, पहले अधिनियम में जो कुछ मौके थे वह अपनी बातों को उठा सके उसमें दो मौकों को

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ले लेना चाहती है और केवल एक ही मौके पर उसको उठाने का अधिकार दे रही है। आखिर ऐसा क्यों सरकार करने जा रही है जब कि गांव का रहने वाला किसान जो बहुत कागज-पत्र में होशियार नहीं है वह एक बार चूक सकता है, उससे गलती हो सकती है तो फिर उसको एक दूसरे वक्त पर अपने अधिकारों के लिये आवाज उठाने के लिये, आपत्ति करने के लिये मौका मिले यह गुंजायश थी पहले अधिनियम में। फिर उसके बाद भी अगर वह चूक जाय, उससे गलती हो जाय, किसी दूसरी जगह चला गया हो गांव छोड़ कर छोटे खाते वाला आदमी तो उस अधिनियम में इस बात की गुंजायश की गई थी कि तीसरी मर्तबा फिर उसको मालूम हो तो अपने क्वेश्चन आफ टाइटिल का सवाल उठाये। अब इस संशोधन के पास हो जाने के बाद तो उसको यह अधिकार नहीं रह जायगा। तो मेरी राय में यह कोई अच्छी बात नहीं होगी और मैं तो सोचता हूं कि जमीन जो है उससे किसान बहुत मुहब्बत करता है और यहां उसके अधिकारों का फैसला होता है। पहले ही से बहुत ही समरी मेजर हमने अख्तियार कर लिया है, सारे दीवानी के मुकदमें और जो रेगुलर मुकदमों की हालत होती थी उनकी पैरवी होती थी उन सबको इस अधिनियम के द्वारा रोक दिया गया है कि सारे अख्तियारात कन्सोलीडेशन के जो अधिकारी हैं, उनको दे रखे हैं, इस अधिनियम के मुताबिक। अब उन अख्तियारों के रहते हुए हमने जब कि कई सालों मुकदमे चल सकते थे दीवानी में उनको हमने ले लिया, उनको समरी तरीके पर फैसल करने के अख्तियारात कन्सालीडेशन डायरेक्टर को दे रखे हैं, सारे अदालतों के अख्तियारों को ले करके वैसी हालत में हम सिर्फ यह मौका दिये हुए थे कि जिन लोगों को जमीन को इकट्ठा करना है या उनकी जमीन का हेरफेर करना है या उनको कोई आपत्ति हो और खासतौर से उस जगह पर जब कि सम्पत्ति के अधिकार पर ही आपत्ति तो, उसके सम्बन्ध में झगड़ा हो तो फिर वह एक मर्तबे अगर चूक गया हो तो दूसरी मर्तबा वह अपनी बात कह ले और उस पर एक फैसला हो जाय कि उसका उस जमीन का मालिक कौन है? अगर दूसरी मर्तबा चूक गया हो तो तीसरी मर्तबा फैसला करा ले। यह नहीं है कि वह अपना फैसला अदालत में करायेंगे बल्कि अपना फैसला उन्हीं लोगों के सामने करायेंगे जो कंसालिडेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो समरी तरीके पर उसका फैसला करेंगे। तो फिर मैं समझता हूं कि इन अख्तियारों को ले लेने से लोगों के ऊपर हार्डशिप होगा और लोगों में असन्तोष बढ़ेगा। इसलिये बावजूद इसके कि डाक्टर साहब का पहले पहल का यह संशोधन है और पहला पहल यह संशोधन आने के बाद मैं उसका विरोध करूं यह मुझे भी कुछ अजीब बात लगती है लेकिन मैं मजबूर हूं और डाक्टर साहब के हाथ से अगर ऐसा संशोधन स्वीकार हो गया तो कानून पेशा वाले तो अपनी मदद कर लेंगे लेकिन जो कानून नहीं जानते हैं और कानून समझने की कोशिश में भी कानून पेशा वालों की मदद लेना चाहते हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जायगी। उस दिक्कत का लिहाज करते हुए मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार न किया जाय। बल्कि जो विधेयक पहले आया था उस विधेयक में यह बात नहीं कही गई है, यह बिल्कुल इस वक्त आ गई बात। मालूम नहीं कहां से यह बात आ गई दो दिन में। विधेयक जो आया वह तो पिछले अनुभवों के आधार पर आया हुआ है लेकिन विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद मालूम नहीं कहां से यह इलहाम हो गया कि नहीं अब यह भी अख्तियार ले लिया जाना चाहिए। मैंने कल कहा था कि यह विधेयक जो है वह कुछ मन में यह बात बैठी हुई है कि लोगों को जबरदस्ती जो यह एक अमृत है उसको पिलाया जाय और पीने वाले बिल्कुल बच्चे हैं, वह कतई समझते नहीं। उसी पर यह बेस्ड है यह संशोधन बिल। तो मैं जानता हूं कि हमारे इस कहने का क्या अर्थ होगा लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं इस बात को कि डाक्टर साहब की जबान से इस संशोधन को स्वीकार न कराया जाय। काफी लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी बात कह सकते हैं और जहरीले घूंट भी उतार सकते हैं। तो ऐसी घूंट उनके जरिये न उतारी जाय।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहब के संशोधन का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस संशोधन में जो कोई प्राण है और जो कोई ऐसी वस्तु है जो स्मरण करने योग्य है वह यही संशोधन है। यह १९०१ ई० के बाद से लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट जब से चला आज तक चला आ रहा है। पुराने बटवारे में भी या जो पार्टीशन का केस होता था तो आगम का प्रश्न क्वेश्चन आफ टाइटिल एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसके लिये निर्णय अकाट्य तरीके से एक बार में कर दिया जाय, तो सारी बिल्डिंग गिर जाने के योग्य हो जाती है। इस कारण से उस समय भी जब क्वेश्चन आफ टाइटिल रेज हुआ करता था या प्रस्तुत किया जाता था तो प्रस्तुत करने वाले को तीन मास की अवधि दी जाती थी। उसी समय में वह अपना वाद प्रस्तुत कर सकता था और उसका निर्णय हो जाने के बाद पार्टीशन की आधारशिला बनायी जाती थी। ठीक यही बात चकबन्दी में भी लागू है और मुझे गर्व है कि जिस समय इसकी पांडुलिपि तैयार हो रही थी, मैंने यह प्रस्तावना की थी पर उस आंधी में मेरे स्वर ने कोई काम नहीं किया और अब चकबन्दी विभाग आज उसी जगह पर आ पहुंचा है और यह संशोधन हमारे सामने आया है। यदि क्वेश्चन आफ टाइटिल, आगम का प्रश्न , धारा १२ के अन्तर्गत आपत्तियों के सम्बन्ध में बिल्कुल निश्चयात्मकरूप से सदा के लिये निर्णय न हो जाय तो फिर आगे चकबन्दी आकाश-कुसुम है। उसकी बिल्डिंग किसी भी समय गिरायी जा सकती है, उसी कारण से धारा २०, ३४ या किसी अन्य जगह के ऊपर फिर आगम का प्रश्न उपस्थित नहीं हो सकता है, ऐसी मान्यता चकबन्दी विभाग को रखनी चाहिये, क्योंकि चकबन्दी की आधारशिला आगम पर ही है। इसलिए यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आगम का प्रश्न एक ऐसे चंचल वातावरण में रखा जाय कि चकबन्दी हो जाने के बाद भी किसी न्यायालय में उसका निर्णय करायें तो चकबन्दी ही खंडित हो जाय और फिर हम उसी जगह से क, ख, ग पढ़ना शुरू करें। पर मेरा ऐसा विश्वास है कि संशोधन में सर्वरूपेण पूरी भावना नहीं आई है फिर भी माननीय माल मंत्री पूरे तरीके से चकबन्दी के इस प्रश्न को लेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं संशोधन के रूप में नहीं रखना चाहता, धारा ४ के अन्तर्गत कुछ स्थलों को छोड़ कर जहां कहीं भी धारा १२ के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित हो, आगम का प्रश्न हो तो वह उस समय ही प्रश्न उठ सकता है। यदि नहीं उठाया जाय तो सदा के लिए टाइम बार कर दिया जाय यही धारा ९, १११ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्दर है। मैं अपने माल मंत्री जी से कहूंगा कि चकबन्दी की आधारशिला समझौते के आधार पर है, तो आगम का प्रश्न उपस्थित होने के बाद यदि कहीं कोई गुंजायश हो नियमों में या शासकीय आदेशों में तो एक बार समझौते का भी प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि मैं चकबन्दी के क्षेत्र में रहता हूं और लोगों को जानता हूं। बहुत से प्रश्न समझौते से तय हो सकते हैं। मशीन की तरह से कानून की मशीन के द्वारा काटते चले जायं तो स्वरूप अच्छा नहीं बनता। चकबन्दी को लोग हृदय से चाहते हैं, इसलिए समझौते का प्रयत्न करना जरूरी है। धारा ८ में ही है कि परताल होती है तो उसके पश्चात् चकबन्दी क्षेत्र में उसे समझौता कहा जाता है कि अभी समझौता हो रहा है। यह समझौता कहा जाता है, उसका जो कुछ भी स्वरूप हो। तो इस आगम के प्रश्न के पश्चात् भी एस० सी० ओ० को या किसी को थोड़े समय के लिये ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह आगम का प्रश्न आर्बिट्रेटर के पास जाने के पहले समझौते के रूप में उसको स्पर्श किया जाय तो जल्दी समाप्त हो जायगा। क्योंकि जज साहब के द्वारा बहुत विलम्ब होता है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि सी० ओ० ने बहुत से प्रश्न जो आगम के थे उनके लिये कहा कि आर्बिट्रेटर के यहां जायगा और जब जज साहब के यहां वादी प्रतिवादी गये तो उन्होंने सभों को वापस कर दिया और एस० ओ० सी० के

यहां भेजा और एस० ओ० सी० ने कहा कि जब मैं आगम का प्रश्न निर्णय करूं तब जाना चाहिए और यहां धुंआधार वातावरण में कौन सुनता है कि चकबन्दी से कौन सी फाइल कहां आई है, बस्तों में पहुंच गयी या क्या प्रयास हुआ? और आर्बिट्रेटर महोदय तो स्वयं सूखे तालाब की तरह बैठे रहते हैं। वह गिनते हैं कि भगवान कोई केस हमारे सामने आवे। वहां लोगों का पहुंचना कठिन हो जाता है और ईश्वर करे न पहुंचें। चकबन्दी का कोई वाद अगर समझौते के द्वारा हल हो जाय तो इतना लाभकारी हो जाय जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अधिक विवाद में विस्तार न देकर यह कहता हूं कि डाक्टर विश्वम्भर सिंह जी का यह संशोधन सारे संशोधन विधेयक का प्राण है। हमारे गेंदासिंह जी की दृष्टि इस व्यापक तत्व पर नहीं पहुंची। किसी मन्दिर को बनाने में या किसी आन्दोलन को चलाने में संकल्प करना पड़ता है कि इसका मर्मस्थल कहां पर है और कहां पर व प्रहार करने से बिल्डिंग गिर जायगी और कहां नहीं होगी। तो जिस तरह से ये संकल्प होते हैं उसी तरह से हमारे चकबन्दी के भवन के लिये आगम के प्रश्न को निर्णीत करना बहुत आवश्यक है। उसका निर्णय करने के पश्चात् ही चकबन्दी का किला बन सकता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। इसमें जो लिखा गया है उपधारा ६ के पश्चात् धारा ७ तो मैं इसमें ढूढ़ते-ढूढ़ते परेशान हो गया लेकिन मुझे नहीं मिला है। वह कहां बताया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप इसको देख लें, इसमें है।

***श्री मोहन सिंह** (जिला बुलन्दशहर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से डाक्टर विश्वम्भर सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह मैटर आफ रस जुडीकेटा है यानी यह इस प्रकार का है कि अगर किसी मामले में कोई पेटीशन करे कि आपने फैसला दे दिया फिर किसी मार्ग से उसका फैसला हो उसी तरह का यह मामला है। जो मामला एक बार चकबन्दी आफिसर के सामने तय हो जाय वह किसी दूसरी अदालत में फिर नहीं आना चाहिये। मुझको ताज्जुब हुआ कि माननीय गेंदा सिंह जी जो मुकदमेबाजी के बहुत खिलाफ हैं मैं समझता हूं कि वे इसके शौकीन नहीं हैं वे आज इस बात को चाहते हैं कि मुकदमेबाजी का पूरा मौका दिया जाय और एक सीमा रहित समय तक उनको मुकदमेबाजी का पूरा अवसर मिले क्योंकि आखिर अदालतों में कितने मुकदमे पड़े रहते हैं और कितना खर्चा होता है तो फिर किसी चकबन्दी के मामले में खास तौर से अगर यह तय हो जाय कि एक गाटा एक शख्स का है तो फिर अब मुकदमेबाजी उस पर हो सकती है किसी अदालत में चाहे वह सिविल कोर्ट में हो या रेवेन्यू कोर्ट में हो तो फिर चकबन्दी हुई है और किसी दूसरी अदालत ने दूसरी तरह से तजवीज दी तो वह सेटिल्ड चीज अनसेटल्ड हो जायगी। जब पूरा मौका मिलता है हर इन्सान को और फिर भी वह सोता रहे तो उस सोते हुये इन्सान को कब तक मौका देते रहेंगे। उन गांव वालों से जिनकी हिमायत माननीय गेंदा सिंह जी कर रहे हैं हमें भी उनसे पूर्ण सहानुभूति है, उनसे पूरी हमदर्दी है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनको हानि पहुंचे। लेकिन आखिर कोई वक्त ऐसा आना चाहिये जिसमें किसी मामले की बाबत यह कहा जाय कि अब यह मामला तय हो गया है। तो मैं समझता हूं कि यह डाक्टर साहब का जो संशोधन है यह बिल्कुल उचित है और इस पर भाई गेंदा सिंह जी अगर फिर विचार करेंगे तो शायद अपनी राय बदल देंगे।

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, जो वैधानिक प्रश्न उन्होंने उठाया है वह एक प्रिंटिंग एरर की वजह से है वरना तो कोई प्रश्न है नहीं। विश्वम्भर सिंह जी का संशोधन श्रीपति सहाय जी से पहले है यह इस वजह से है कि ८ लिखा है हाशिया में, वह ८-क होना चाहिये। हाशिया में तो ७ होना चाहिये और ८-क इधर होना चाहिये। इस वजह से कन्फ्यूजन है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं पहले खंड ८ पर राय ले ली जाय। प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ८-क

श्री श्रीपति सहाय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

(१) खंड ८ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ८-क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"८-क—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(१) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ११ के अधीन प्रकाशित विवरण-पत्र के किसी इन्दराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप करना चाहता हो, अथवा तत्संबंधी कोई अकारण (omission) बताना चहता हो, उक्त विवरण- पत्र के प्रकाशन के ३० दिन के भीतर, (उक्त विवरण-पत्र पर) आपत्तियां, यदि कोई हों, नियत रीति से सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(२) वर्तमान उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

(५) धारा ११ के अधीन विवरण-पत्र के प्रकाशन के पश्चात् ऐसे सभी वाद या कार्यवाहियां जो किसी मौलिक, अपील, अभिदेश, अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय (Court of first instance. appeal. refrence or revision) में विचाराधीन हों और जिनमें धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अभिदेश में उक्त विवरण-पत्र में उल्लिखित किसी भी गाटे के संबंध में आगम का प्रश्न उठा हो, उस सीमा तक जहां तक वह उक्त गाटे से सम्बद्ध हो रोक दी जायेगी और तत्पश्चात नियत रीति से निस्तारित की जायेगी।"

श्रीमान 'निर्धारित' की जगह 'निस्तारित' होना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह संशोधन आज ही इसमें प्रकाशित हुआ है तो मैं एक संशोधन आपकी इजाजत से करना चाहता हूं। यह जो प्रस्तावित उपधारा (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "उक्त विवरण-पत्र पर" आये हैं इनको निकाल दिया जाय। इसका मतलब मैं यह समझता हूं कि जो विवरण: पत्र स्वत्व रखने वाले को दिया जायगा उसी विवरण-पत्र पर उसको आपत्ति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अब विवरण-पत्र तो आखिर कागज ही है।

श्री चरण सिंह—सोने की पत्री पर भिजवाया करेगें।

श्री गेंदा सिंह—फिर तो बड़ा टैक्स मागेंगे राजस्व मंत्री जी, हमको नोच डालेगें सोने की पत्री पर भिजवाने के लिये। तो वह तो हम कागज पर ही चाहेंगे। लेकिन यह जरूरी न हो कि उसी विवरण-पत्र पर वह उज्रदारी तत्काल करे। किसी भी कागज पर वह कर सकता है तो कर दे केवल इस बात की तरफ ध्यान दिलाने के बाद मैं समझता हूं कि वह इस कठिनाई को थोड़ा सा महसूस करें कि कहीं किसी किसान के घर में आग लग गई (एक आवाज आग क्यों लग जाय।) अब इसके लिये तो मैं मंत्री जी को पकड़ कर ले जाऊं तो उनको एहसास होगा और वह मेरी बात सुनेंगे भी तो नहीं औरों की बात सुनेगें और हमें रिडीक्यूल करेंगे। यह कहते हैं कि क्यों आग लग जाय अरे, आग लग जाय और हजारों घरों में इन दिनों में आग लगती है अगर उसके यहां इन ३० दिनों के भीतर ही आग लग जाय और वह जल जाय तो क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय अगर किसी का अगर पानी में कहीं गिर जाय तो क्या होगा ? अगर इसी विवरण पत्र पर आपत्तियां की जायंगी तब तो मैं इसको नामुनासिब समझूंगा और अगर यह मतलब नहीं है और वह किसी भी कागज पर आपत्ति कर सकता है तब तो ठीक है और इस पर वक्त खराब करना बेकार है। ऊपर का जो कांटेक्स्ट है उसको मैं पढता हूं तो मुझे शक होता है। मैं जानता हूं कि ठाकुर साहब कानून कैसा समझते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप नहीं समझते हैं आप समझते हैं और हम भी समझते हैं। अब इम्तहान हो और राजस्व मंत्री जी सभी लोगों को एक मर्तबा पर्चे दे दें और हम भी लिखें और आप भी लिखें और सब लोग लिखें और इम्तहान हो जाय। कितने लोग इन कानूनों को समझते हैं और मैं समझता हूं इसका पता लग जायगा।

यहां तो बड़ा भारी बहुमत है और यह कह देते हैं कि मैं नासमझ हूं आज तक चार वर्षों में मैंने जितनी बातें कही हैं उनमें से एक भी बात समझदारी की नहीं है। आपने जिक्र किया है कि मैं नासमझ हूं। मैं मानता हूं इसको आपकी समझ के मुताबिक और उस समय तक नासमझ रहूंगा जब तक कि मैं आपको समझा न दूं कि मैं नासमझ नहीं हूं। वह तो कहते रहे मैं उसको बरदास्त कर लेता हूं क्योंकि उनकी आदत है। लेकिन जब दूसरे कहते हैं तो मुझे दुख होता है। वहां बैठ कर रोते हैं और यहां कहते हैं कि यह कानून की भाषा है। जहन्नुम में जाय ऐसी कानूनी भाषा जिसे आम लोग न समझते हों और सिर्फ एक दो प्रतिशत लोग ही समझते हों। ऐसी भाषा को मैं हाथ जोड़ता हूं। ऐसी भाषा लिखें जिसको हमारे जैसा नासमझ भी समझ सके। उक्त विवरणपत्र पर लिखकर दे इसे पढकर मुझे शक हुआ। अगर यह बात नहीं है तो आप उत्तर दे दीजिये ताकि व्यर्थ समय खराब न हो। इसमें लिखा हुआ है कि उक्त विवरण पत्र पर आपत्तियां दाखिल की जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीपति सहाय जी के संशोधन का घोर विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, जो मूल अधिनियम है, मैं समझता हूं कि वह संशोधन से बहुत अच्छा है। जो मूल अधिनियम है उसमें साफ आदेश दिये गये हैं कि भूमि प्रबन्धक समितियों के विचारों की अवहेलना न की जाय, लेकिन यह जो संशोधन है उसमें साफ कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा १२ में (१) उपधारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय। मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (१) और (२) इस प्रकार हैं :--

"१२--(१) कोई भी व्यक्ति धारा ११ के अन्तर्गत विवरण प्रकाशित होने के ३० दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष विवरण में किसी भी इंदराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप के रूप में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा तत्संबंधी कोई अकरण बता सकता है।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में, यदि आवश्यक हो तो पक्षों की सुनवाई करके भूमि प्रबन्धक समिति के विचारों सहित उक्त आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को विचार कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (४) में की गई है, सभी आपत्तियों को नियत रीति से निस्तारित करेगा।"

तो श्रीमन्, यह जो संशोधन है इसमें कहीं भी भूमि प्रबन्धक समिति की चर्चा नहीं की गई है और यह साफ कह दिया है कि जब आगम का प्रश्न उठेगा

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

वह खत्म कर दिया जायगा। मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो मूल अधिनियम है उससे अच्छा यह संशोधन है? क्या यह लोकतंत्रात्मक है? इसमें भूमि प्रबन्धक समितियों की राय की अवहेलना की गई है। इसमें नियत रीति से लोगों की आपत्तियों के विवरण पर रोक लगा कर एक अफसर के हाथ में अधिकार देने की बात रखी गई है। मैं आपके जरिये से श्री श्रीपति सहाय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा मूल अधिनियम को देखें और राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह--मैं जानना चाहता हूं कि १२ (१) में भूमि प्रबन्धक समितियों का जिक्र है कहां?

श्री रामसुन्दर पांडेय--यह जो मूल अधिनियम है उसकी धारा १२ की उपधारा (१) और (२) आप देखें। इसमें साफ लिखा हुआ है।

श्री चरण सिंह--यह उपधारा (२) के बजाय नहीं उपधारा (५) के स्थान पर है।

श्री उपाध्यक्ष --(श्री रामसुन्दर पांडेय से) क्या माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर चुके है?

श्री रामसुन्दर पांडेय--जी हां।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो "पर" लफ्ज पर एतराज किया है, मैं समझता हूं कि उनका ख्याल उस बारे में गलत है। उसका मतलब यह नहीं है कि उसी कागज पर एतराज लिखे, बल्कि मतलब यह है कि उस कागज में जो बातें लिखी हैं उनके खिलाफ अगर उसे कोई एतराज करना है तो अलग कागज पर उन्हें लिख कर भेजें। यही मतलब है वरना उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सोचता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी किसान होंगे और जब उनके यहां चकबन्दी होगी और यह कागज उनके यहां जायगा तो मैं यकीन दिलाता हूं कि वह इसका यह अर्थ कभी नहीं लगायेंगे। गेंदा सिंह किसान यह अर्थ नहीं लगा सकते जो माननीय गेंदा सिंह जी, नेता विरोधी दल की हैसियत से यहां लगा रहे हैं। यहां का तो ऐटमास्फियर कुछ और है। अगर कोई यह कहे अपने नौकर से कि सैन्धव ले आओ और उसके पास वह घोड़ा खड़ा कर दे तो यह ठीक उसी तरह से होगा। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसान जब ऐसा कहेगा तो वह उसी कागज पर लिखकर नहीं देगा। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि गेंदा सिंह जी जब किसान होंगे तब वह ज्यादा समझदार होंगे उस आदमी से जो कि घोड़े को खोलकर ले आता है।

दूसरी बात रामसुन्दर पांडेय जी ने जो कही वह भी करीब-करीब ऐसी ही है। संशोधन श्री श्रीपति सहाय जी का यह है कि "८--क--मूल अधिनियम की धारा १२ में उपधारा १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय यह तो पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा उनका वर्तमान उपधारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय यह उनके संशोधन का दूसरा हिस्सा है। यह अधिनियम की धारा १२ की उपधारा में यह लाना चाहते हैं, यह चीज बिलकुल अलग है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय श्रीपति सहाय के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री गेंदा सिंह--यह संशोधन जो श्री श्रीपति सहाय जी का है उस पर मैंने संशोधन किया था। अब उस संशोधन पर स्पष्टीकरण होने के बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो संबंधित विधेयक को पायलेट कर रहा हो वह सदन का समय इस प्रकार से खराब न होने दे। अगर कोई गल्ती करता है तो उसको रोका जाय। मैं तो सही समझता हूं और समझता हूं कि

उसमें गलती हो रही है तो मुझ को तुरन्त ही ठीक किया जाय और स्पष्टीकरण से समझाया जाय। अगर वह बात सीधे कही जाती कि इसका मतलब यह नहीं है तो मैं समझता हूं कि इतना समय खराब न होता और जो थोड़ी बहुत बदमजगी हुई है वह न होती। असल में राजस्व मंत्री जी यह चाहते हैं कि वह तो बचे रहे और हमारे लोगों के बीच बदमजगी कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखा जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि (१) खंड ८ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ८-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:---

"८-क-मूल अधिनियम की धारा १२ में :---

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

(१) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ११ के अधीन प्रकाशित विवरण-पत्र के किसी इन्दराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप करना चाहता हो अथवा तत्संबंधी कोई अकरण (omission) बताना चाहता हो, उक्त विवरण-पत्र के प्रकाशन के ३० दिन के भीतर उक्त विवरण-पत्र पर आपत्तियां, यदि कोई हों, नियत रीति से सहायक जकबन्दी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(२) वर्तमान उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय (५) धारा ११ के अधीन विवरण पत्र के प्रकाशन के पश्चात् ऐसे सभी वाद या कार्यवाहियां जो किसी मौलिक अपील अभिदेश, अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय (Court of first instance. appeal, reference or revision) में विचाराधीन हों और जिनमें धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अभिदेश में उक्त विवरण-पत्र में उल्लिखित किसी भी गाटे के संबंध में आगम का प्रश्न उठा हो उस सीमा तक जहां तक वह उक्त गाटे से सम्बद्ध हो रोक दी जायेगी और तत्पश्चात् नियत रीति से निस्तारित की जायगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---डा० विश्वम्भर सिंह जी का संशोधन मुझे स्वीकार है और माननीय रामलखन जी मिश्र ने उस पर जो अपना मत प्रकट किया था उससे पूर्णतया सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नये खंड ८-क में उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित एक नया उपखंड (३) के रूप में जोड़ दिया जाय:---

(३) उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (७) के रूप में जोड़ दी जाय :---

"(७) धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अन्तर्गत विवरण में उल्लिखित किसी गाटे (plot) के संबंध में आगम का कोई प्रश्न जो उपधारा (१) के अन्तर्गत उठाया जा सकता था और जिसे उठाया जाना चाहिये था, धारा २० की उपधारा (२) अथवा धारा ३४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी आपत्ति में नहीं उठाया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नया खंड ८-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा १५ का संशोधन।

९--मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अधीन सिद्धांतों का विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखेगा:--

(क) गाटों की प्रदिष्टि (allotment) उनके लगानी मूल्य के अनुसार की जाय,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चकबन्दी संचालक की आज्ञा के बिना उन गाटों के क्षेत्रफल में जिनकी प्रदिष्टि प्रस्तावित हो और मूल गाटों के क्षेत्रफल में किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हो।

(ख) किसी हार (block) विशेष में यथासंभव केवल उन्हीं खातेदारों को भूमि मिले, जिनकी वहां पर पहिले से ही कोई भूमि रही हो तथा खातों की चकबन्दी के संचालक की अनुज्ञा बिना प्रत्येक खातेदार को आबादी के लिये विनिर्दिष्ट (earmarked) एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर प्रदिष्ट होने वाली चकों की संख्या गांवों में हारों की संख्या, से अधिक न हो,

(ग) प्रत्येक खातेदार को यथासम्भव उसी स्थान पर भूमि प्रदिष्ट हों जहां उसके खाते का सबसे बड़ा भाग उसके कब्जे में हो,

(घ) एक ही परिवार के खातेदारों को यथासंभव पास-पड़ोस वाले चक दिये जायं,

(ङ) चक प्रदिष्ट करने में खातेदार के निवासगृह (residential house) का स्थल (location) या उसके द्वारा की गयी उन्नति (improvement) यदि कोई हो, का यथाशक्य ध्यान रखा जाय,

(च) छोटे-छोटे खातेदारों को यथाशक्य गांवों की आबादी के पास भूमि दी जाय,

(छ) कोई भी वर्तमान संहत (compact) खाता या फार्म, जिसका क्षेत्रफल सवा छः एकड़ या उससे अधिक हो यथाशक्य विश्रृंखलित (disturbed) या विभक्त (divided) न किया जायगा।

श्री श्रीपति सहाय---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में शब्द शब्द "मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:---

"मूल अधिनियम की धारा १५ में---

उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदा इसी प्रकार रखा हुआ समझा जाय"

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा १५ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (२) के रूप में रख दिया जाय:---

"(२) धारा १५ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित धारा १५ की उपधारा (१-क) के रूप में रख दिया जाय:---

(१-क) कोई भी चकबन्दी, चाहे वह उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम १९५६, के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या तत्पश्चात् केवल इस कारण से अवैध न होगी या अवैध न समझी जायगी कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या गांव में हारों की संख्या से अधिक है।"

श्री गेंदा सिंह---मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम इस संशोधन को स्वीकार करके ऐसा कर रहे हैं कि सन् ५६ से पहले जितने भी चकबन्दी के कार्य हुये थे और जिन्हें असंतोषजनक मान कर रोक दिये गये थे, सन् ४६, ४७, ४५ या ४८ में, उनको भी हम लीगैलाइज कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह---नहीं, उनसे कोई वास्ता नहीं है। अमेंडमेंट ऐक्ट ५६ का यही होगा। बिल अमेंडमेंट ऐक्ट कहलायेगा।

माननीय श्रीपति सहाय जी का संशोधन मुझे स्वीकार है। कहीं-कहीं परिस्थितियों से ऐसा हुआ है कि २ ब्लाक हैं, २ हार हैं, किसी गाँव में और ३ जगह किसान को जमीन मिली मान लीजिये कि एक हार में एक जगह और दूसरे हार में २ जगह जमीन मिली। २ जगह के बीच में राजबहा या सड़क या कोई रास्ता आ गया है। तो उसके मुताल्लिक दो राय हैं तो यह एक चक हुआ या नहीं? अगर बीच में रास्ता या सड़क छोटी सी आजाय और फिर ५० बीघे या ८० बीघे है तो हमारे कर्मचारियों की यह राय थी कि यह एक चक है। बीच में रास्ता आ गया है। कभी किसी को यह ख्याल हो जाय कि नहीं, ये दो चक हो गये, तो फिर २ हार में ३ चक हो गये। इस अमेंडमेंट में क्लाज १५ में हम यह करने जा रहे हैं। बिल के पेज ४ में देखें। यहां खंड ९ के उपखंड (ख) में यह है कि किसी हार विशेष में यथासंभव उन्हीं खातेदारों को भूमि मिले, जिनकी वहां पर पहिले से ही कोई भूमि रही हो तथा खातों की चकबन्दी के संचालक की अनुज्ञा बिना प्रत्येक खातेदार को अबादी के लिये विनिर्दिष्ट एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों में छोड़कर प्रदिष्ट होने वाली चकों की संख्या गांवों में हारों की संख्या से अधिक न हो। अब हम ऐसा कह रहे हैं कि डाइरेक्टर आफ कंसालीडेशन की इजाजत से जितने भी हार हैं उससे भी ज्यादा अगर आवश्यकता हो तो चक ज्यादा दिये जा सकते हैं, यानी एक ही हार में दो चक भी हो सकते हैं। यह संशोधन यह कहता है कि अगर पहले भी ऐसा हुआ हो तो यह समझा जायगा कि यह अमेंडिंग क्लाज रिट्रासपैक्टिव इफेक्ट से लागू हो। एक कन्सटीट्यूशनल डिफीकल्टी को वैलिडेट करने के लिये यह है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय माल मंत्री जी ने बतलाया कि कहीं-कहीं पर यह कठिनाई पैदा हो गयी है तो फिर से करें और एक ही चक दो चकों में गिना जाने लगे। इस तरह जितने हार हैं उनसे अधिक हारों की संख्या होगी। यह बात कि रास्ते की वजह से एक चक दो हो गया, यह बात समझ में नहीं आती। क्योंकि जब एक ही चक के अन्दर से रास्ता जाता है तो वे दो चक किसी हालत में नहीं हो सकते।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

वह तो एक ही नंबर होगा। अगर उसमें कोई रास्ता जाता है तो एक ही चक रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १९५६ के प्रारम्भ के पूर्व इस तरह से हार से अधिक चक हो गये हों तो वे सही मान लिये जायं और उस वजह से अवैध करार न दिये जायं लेकिन अगर आगे को यह छूट दे दी गयी तो एक कठिनाई और एक आपत्ति होगी। आपत्ति यह है कि जो लोग वहां असर रखने वाले होंगे कि अगर हार दो हैं और तीन चक मिलने से सुविधा होती है तो वे तीन चक प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। अगर कोई चक उनका गांव के पास है और दूसरा गांव के दूर है तो वे पास वाला तो लेंगे ही और अगर दूर वाला लेने में उनको सुविधा होती है तो उसको भी वे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस कारण से जो पहले हारों की संख्या से ज्यादा चक न रखने का प्रावीजन रक्खा गया था वह बहुत सोच विचार कर रक्खा गया था। लेकिन अगर ऐसा रख दिया जाता है तो लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिये यह रास्ता आगे के लिये खोल देना मुनासिब न होगा कई चकों का हो जाना मुनासिब नहीं मालूम होता है। इसलिये मैं माननीय माल मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे "तत्पश्चात्" शब्द निकाल दें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इससे बहुत नाजायज लाभ लोगों को उठाने का मौका मिल जायगा।

श्री चरण सिंह--लेकिन यह तो सब डायरेक्टर आफ कंसोलिडेशन की आज्ञा और अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--तब ठीक है। इसकी रोक थाम के लिये पूरा प्रबन्ध होना चाहिये कि बहुत ज्यादा चक न हो जायं।

श्री चरण सिंह--माननीय मौर्य जी की जो राय है और मेरी जो राय है वह एक ही है। उसमें कोई फर्क नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में शब्द "मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

"मूल अधिनियम की धारा १५ में--

उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदा इसी प्रकार रखा हुआ समझा जाय"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--खंड ९ में प्रस्तावित धारा १५ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (२) के रूप में रख दिया जाय--

"(२) धारा १५ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित धारा १५ की उपधारा (१-क) के रूप में रख दिया जाय--

(१-क) कोई भी चकबन्दी, चाहे वह उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या तत्पश्चात् केवल इस कारण से अवैध न होगी या अवैध न समझी जायगी कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या गांव में हारों की संख्या से अधिक है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ९ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति १ में "चकबन्दी" के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:---

"चकबन्दी संचालक की आज्ञा जो चकबन्दी समिति की सलाह से होगी उसके अनुकूल"

इस बिल में यह कहा गया है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चकबन्दी संचालक की आज्ञा के अनुकूल, उन गाटों के क्षेत्रफल में, जिन की प्रदिष्टि प्रस्तावित हो और मूल गाटों के क्षेत्रफल में किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हो।" इसमें भी जब आप ऊपर देखेंगे तो कुछ सिद्धांत बनाये गये हैं और जो धारा ९ है उसकी उपधारा (क) में लिखा है कि गाटों की प्रदिष्टि उन के लगानी मूल्य के अनुसार की जाय और शुरू में कहा गया है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अधीन सिद्धांतों का विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखेगा, जिस में इस वक्त जो संशोधन हम कर रहे हैं उसमें केवल संशोधन इतना है कि गाटों का एलाटमेंट लगानी मूल्य के अनुसार किया जायगा। तो उसके अनुसार चकबन्दी संचालक की आज्ञा के अनुकूल उन गाटों के क्षेत्रफल में जिन की प्रदिष्टि प्रस्तावित हो और मूल गाटों के क्षेत्रफल में किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हो। यानी अगर २० प्रतिशत का फर्क पड़ेगा तो केवल उसकी इजाजत से ही तब्दीली हो सकेगी। तो मेरे संशोधन का अर्थ केवल यह है कि अगर चकबन्दी संचालक को अधिकार दिया गया है कि लगान या मालगुजारी के २० प्रतिशत से अगर ज्यादा का फर्क पड़े तो चकबन्दी संचालक उस के लिये खास तौर से इजाजत दे और तभी अदलाबदली हो सकेगी। मान लीजिये कि एक एकड़ जमीन है और ५ रुपया उस का लगान है या मालगुजारी है, तो २० गुना अगर उसकी कीमत माने तो वह १०० रुपया होगीं और किसी एक एकड़ की मालगुजारी अगर ढाई रुपया है तो उस की कीमत ५० रुपया होगी, तो अब इस ५० रुपया और १०० रुपये में १०० प्रतिशत का अन्तर होगा, तो १०० प्रतिशत का जहां अन्तर होगा तो वहां चकबन्दी संचालक को देखना है....

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इस में वैलुएशन जो है उस का अन्तर एक पैसे का भी नहीं होगा, यह रकबे के अन्तर का २० प्रतिशत का सवाल है। दो तरह से चकबन्दी हो सकती है। या तो यह कि जब किसानों की जमीन चक के रूप में एक दूसरे के पास जाय तो रकबा बराबर-बराबर रहे। अगर रकबा बराबर-बराबर रहता है और जमीन में अदल बदल होता है तो वैलुएशन में फर्क पड़ता है। २५ बीघा जमीन मेरे पास है और बदले में २५ बीघा जमीन मुझे बढ़िया मिल जाय तो फायदा हुआ और अगर घटिया किस्म की मिल गई तो नुक्सान हुआ। एक उसूल यह हो सकता था। दूसरा उसूल यह हो सकता है कि जितनी कीमत की जमीन आज मेरे पास है उतनी मुझे मिले, रुपया आना पाई से बराबर। अगर बढ़िया किस्म की जमीन आये तो रकबा कुछ कम, और घटिया किस्म की जमीन आये तो रकबा ज्यादा। तो यह उसूल तो हमने मानलिया कि वेल्यूएशन बराबर करेंगे क्योंकि खंड ९ के उपखंड (१) (अ) में आप देखेंगे "दी एलाटमेंट आफ प्लाट्स शैल बी मेड आन दी बेसिस आफ रेंटल वेल्यू।" इसमें ऐज फारएज पासिबिल नहीं है, यह एब्सोल्यूट है। इसमें हमारे अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है। वे कीमत बराबर करेंगे। एक सूरत यह जरूर लगा दी है कि कीमत बराबर होगी। साथ ही यह कोशिश होनी चाहिये कि रकबे में भी २० फीसदी से ज्यादा अन्तर न हो। १०० बीघे तक हमारी जमीन है और कीमत है ६ हजार, तो ६ हजार रुपये के बदले में ६ हजार रुपये की जमीन मिलेगी लेकिन इतनी बढ़िया न दे दी जाय कि ६० बीघा जमीन मेरे १०० बीघे के बराबर हो यानी मुझे इतनी रद्दी न दे दी जाय कि १०० के बजाय १५० बीघा दे दी जाय। इससे यह होगा कि किसान को बहुत रद्दी जमीन मिलेगी और इससे वह समझता है कि मेरे साथ धोखा हुआ। दूसरा प्रतिबन्ध लगाया है, "ऐज फार ऐज पासिबिल"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

हत्तुलइमकान २० फीसदी से ज्यादा रकबा न हो, में अन्तर न हो हर सूरत में २० फीसदी से रकबे में ज्यादा अन्तर करने के लिये अगर वह विवश हो जायं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टर की रजामन्दी लें। शायद माननीय गेंदा सिंह जी को यह ख्याल हुआ कि १०० रुपये की जमीन के बदले में १ एकड़ जमीन है और उसके बदले में एक एकड़ जमीन दे दी जाय जो ५० रुपये की हो तो १०० फीसदी का अन्तर हो जायगा। ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा होता है तो चकबन्दी कमेटी के मश्विरा से होना चाहिये। यह मेरे माननीय मित्र का ख्याल है लेकिन है नहीं। यह पहले कह चुका हूं कि कीमत बराबर हो और एक एकड़ १०० रुपये की हो तो १०० रुपये की जमीन बदले में मिले और २५ बिस्वा के बदले में ३६-३७ बिस्वा हो जाय यानी २० फीसदी से ज्यादा अन्तर न हो। और अगर होता है तो डायरेक्टर के परामर्श से हो।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यही समझा था और यही समझकर जो मेरा संशोधन है उसे मैंने रखा था।

श्री चरण सिंह--फिर आपने कैसे कह दिया कि १०० रुपये की एक एकड़ जमीन हो और उसे ५० रुपये वाली एक एकड़ जमीन मिल जाय तो १०० परसेंट का फर्क हो जायगा।

श्री गेंदा सिंह--जो उन्होंने समझा है उससे कुछ भिन्न उनको समझाऊंगा, पहले वह सुनने का प्रयत्न करें। मैं निवेदन कर रहा था कि इसे समझ कर ही मैंने संशोधन रक्खा था। आप देखेंगे कि लगानी मूल्य के अनुसार उसकी तब्दीली होगी।

श्री चरण सिंह--तो ५० रुपये की बात आपने क्यों कही थी ?

***श्री गेंदा सिंह**--१०० रुपया लगानी मूल्य एक एकड़ का एक जगह है और ५० रुपये लगानी मूल्य एक एकड़ का दूसरी जगह हो रहा है। इसमें १०० फीसदी का फर्क पड़ रहा है। बजाय उधर ध्यान देने के आप मेरी बात सुनें तो शायद आपकी समझ में बात आ जाय। तो जबतक कि २० प्रतिशत का अन्तर पड़ेगा तब तक तो मौके पर उसको हम अख्तियार दे रहे हैं कि उतना वह कर दे। लेकिन जब बीस प्रतिशत लगानी मूल्य से अधिक अन्तर पड़ने लगेगा तो उसको हम यह कह रहे हैं कि चकबन्दी संचालक जो है . . . . .

श्री चरण सिंह--रकबे में बीस फीसदी का अन्तर।

श्री गेंदा सिंह--लगानी मूल्य के अनुसार ही हम रकबा देंगे। रकबे के बराबर रकबा नहीं देंगे बल्कि लगानी मूल्य के बराबर रकबा देंगे।

श्री चरण सिंह--रकबे में २० फीसदी का अन्तर पड़ने लगे, यों कहिये।

श्री गेंदा सिंह--२० फीसदी से रकबे में अगर ज्यादा फर्क पड़ता है तो उसके लिये हम चकबन्दी संचालक को अधिकार दे रहे हैं कि चकबन्दी संचालक की इजाजत से ऐसा किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चकबन्दी संचालक को तो ऐसा अख्तियार दे दीजिये। मेरा संशोधन जो है वह सिर्फ यह बता रहा है कि चकबन्दी संचालक अगर आवश्यकता समझता है तो वह चकबन्दी समिति तो गांव की है उसकी सलह के अनुसार कर दे यह काम। बस यह है संशोधन। हमारी चकबन्दी समिति जो है वह चकबन्दी संचालक से ज्यादा जानकारी रखती है उस जगह की। २० प्रतिशत से अधिक कितने प्रतिशत तक रकबे में फर्क हो सकता है, यह यहां कोई पाबन्दी हमने नहीं की है। २० प्रतिशत से जितना भी फर्क हो जाय उतने फर्क पर चकबन्दी संचालक मोहर लगा सकता है। मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता। लेकिन चकबन्दी संचालक सारे सूबे की उस कदर जानकारी नहीं रख सकता जिस कदर जानकारी चकबन्दी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति अपने स्थानीय मामलों में रख सकती है। फिर मालगुजारी की बात। सर्किल रेट के मुताबिक अगर मालगुजारी लगी है तो उपाध्यक्ष महोदय सर्किल रेट भी बहुत पुराना है। सर्किल रेट के अनुसार जमीन की मालगुजारी लगायी गयी और वह सर्किल रेट, राजस्व मंत्री जी जरा हमारी मदद करें, इस मामले में, इस सूबे में सर्किल रेट कब रिवाइज किया गया था? क्या हमारे उनके होश में आने के पहले तो नहीं किया गया था? तो पुरानी बात है उस सर्किल रेट के अनुसार जो जमीन की मालगुजारी लगी हुई। जमींदारी खत्म हो जाने के बाद भी अधिकतर जमीन पर उसी सर्किल रेट के अनुसार मालगुजारी है। अलावा इसके जो जमीन जमींदारों ने बन्दोबस्त की है या दूसरे लोगों से उन लोगों ने जमीन ली है उसमें कहीं सर्किल रेट का भी ध्यान नहीं रखा गया है। वह मालगुजारी ऊंची है। तो इस प्रकार की मालगुजारी में भी हमने एक सीमा तक दुरुस्त करने का अख्तियार जमींदारी अबालीशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के मुताल्लिक दिया है। एक सीमा तक ही है। बिल्कुल हम उसको उस प्रकार से उलट फेर नहीं कर सकते, जैसा कि हम चाहते हैं कि कर दिया जाना चाहिये। ऐसी हालत में मालगुजारी जो जमीन पर है वह तो बहुत ही भिन्न-भिन्न प्रकार की सारे सूबे में है और अगर हम रामपुर को ले लें जहां कि एक एकड़ में कहीं ३२ रुपये मालगुजारी है वहां बरेली जिले में ५ रुपया एकड़ मालगुजारी है। तो हमने यह उदाहरण के लिये रामपुर का जिक्र कर दिया, सारे सूबे में इस तरह की बात हो सकती है। तो अब वहां पर २० फीसदी का मसला नहीं रह जायगा। यह चकबन्दी जो है वह सारे सूबे में होने वाली है। तो रकबे में २० फीसदी से अधिक का अन्तर अधिक जगहों पर हो सकता है। तो अधिक जगहों पर अगर हो सकता है तो चकबन्दी संचालक को उस काम में हाथ डालना पड़ेगा जैसा कि हम इस खंड से उसको अधिकार दे रहे हैं। चकबंदी संचालक को सही २ ज्ञान हो सके और गलती न हो सके इसलिये मैं सोचता हूं कि चकबंदी समिति की सलाह वह ले ले। सलाह लफ्ज है क्योंकि इस लफ्ज से हम ऐसा नहीं समझते कि चकबंदी संचालक के अख्तियार में चकबंदी समिति किसी प्रकार का इंटरफियरेंस कर देगी और उनका काम चलना दुश्वार हो जायगा, ऐसा नहीं है। सलाह की बात है। मैं तो यह चाहता हूं कि चकबंदी समिति की सलाह पर ही सारी चीज की जाय बल्कि उसके मर्जी के खिलाफ कोई काम किया ही न जाय। लेकिन मैंने जानबूझ करके बहुत ही सीधे सादे और बड़े मुलायम लफ्ज इस संशोधन में रखे समझ बूझ कर और जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने समझाया वह मैं समझे हुये था और मैंने समझ बूझ कर उसको रखा कि चकबंदी संचालक जहां अपने इस तरह के अख्तियार का इस्तेमाल करे वहां वह चकबंदी समिति जो है जिसके बल पर हमको चकबंदी की सफलता प्राप्त करना है उसकी सलाह भी हम ले लें तो मैं समझता हूं कि इस मामले में दो रायें नहीं होनी चाहिये और सलाह लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये चकबंदी संचालक को। मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री टीकाराम—इसमें सलाहकार की जरूरत है। सलाह लेना लाजिमी है। जो आपने २० प्रतिशत का बताया है और २० प्रतिशत के हिसाब से उसके लगान का देना आपने बताया है तो मेरी समझ में नहीं आया कि वह कैसे देंगे, जमीन के हिसाब से देंगे या लगान के हिसाब से देंगे। मैं तो इतना जानता हूं कि पुलनापुर तहसील बरेली में जो अच्छी २ जमीन थी वह जमींदारों ने ले ली और जाटो को घुरिया दे दी, चल कर देख लो। तो अगर चकबंदी सहायक ही ऐसा हो गया तो गरीब का ठिकाना नहीं, हमको मालूम होना चाहिये। क्योंकि आप कहते हैं कि सवा ६ एकड़ से ज्यादा को तोड़ेंगे नहीं और आप यह भी कहते हैं कि छोटे २ काश्तकारों को जमीन गांव के पास देंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप यह कैसे करेंगे, हमको समझाइये कि छोटे काश्तकार को कहां डालेंगे। मेरी तहसील में चकबंदी शुरू हो गयी है और इधर बरेली और बिलारी में हो रही है और मैं भी अभी घूम कर ही आ रहा हूं, सब देख रहा हूं कैसे २ क्या-क्या होता है। तो आप मुझे बता दीजिये क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं तो कम से कम मैं बता तो सकूं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन पेश है इसमें जो २० प्रतिशत क्षेत्रफल वाली बात है जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने बताया कि जो सर्किल रेट है अभी तक, उनमें हर जगह फर्क है और एक ही मौजे में फर्क है, खुदकाश्त, सीरदार, भूमिधर और अधिवासी इन सब के रेट्स में काफी फर्क है। अब इनके हिसाब में आप हिसाब लगायेंगे और २० फीसदी आप लगान के हिसाब से लगायेंगे और जो लगान में इतना फर्क है इसमें २० फीसदी का हिसाब कैसे लगायेंगे, यह साफ नहीं है। दूसरी चीज मुझे इस सिलसिले में यह कहनी है कि डाइरेक्टर को आपने यह अधिकार दे दिया है कि २० प्रतिशत क्षेत्रफल से आगे के लिये वह अपनी स्वेच्छा से कर सकेंगे। मैं तो चाहूंगा कि इसमें भी एक लिमिट लगायी जाय, आखिर यह २० से कहां तक, ३० प्रतिशत तक ५० प्रतिशत तक? या कहां तक? तो इसको अगर लिमिट नहीं किया जाता है तो काफी इसमें अन्याय होने की आशंका है और साथ ही साथ जो गांव की कमेटी होगी उसकी सलाह से यह किया जाय।

*श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय टीकाराम जी जो कुछ कहें और वह कुछ जानकारी चाहें तो वह बात तो मेरी समझ में आती है क्योंकि हम सब लोग आम तौर पर झोला लेकर फिरे हैं गांवों में, गांव वालों से वास्ता रहा है, उनकी सेवा की है ईमानदारी के साथ दिन रात। लेकिन यहां कानून बनाने में हमारा सब का हाथ है। तो जिन भाइयों ने पहले कानून नहीं सीखा तो उनकी आकांक्षा या जिज्ञासा की बात तो समझ में आती है। लेकिन जब मैं किसी वकील साहब को ऐसी बात कहते देखता हूं तो फिर समझ में नहीं आता कि आखिर यह काम चलेगा कैसे? मुझे यह मालूम हुआ कि माननीय रामसेवक जी यादव वकालत करते हैं और फिर इस वकालत के सन्दर्भ में जो स्पीच हुई है इसको पढ़ा जाय और कहीं बाराबंकी में किसी अखबार में छप जाय तो फिर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा जिनका कि वह जवाब नहीं दे पायेंगे। इसलिये मैं मशविरा दूंगा कि वह ऐक्ट पढ़लें, बिल पढ़ लें, कोई कानून के अन्दर नुक्श हो, मुझे बतायें, मैं रेजीडेंस पर उनके कमरे में आ जाऊंगा और फिर मैं उनकी शंका का समाधान करने की कोशिश करूंगा और अगर कोई नुक्श रह गया होगा तो फिर विधेयक लाऊंगा।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा यह कि साहब मालगुजारी में बड़ा फर्क है, एक ही गांव के अन्दर फर्क है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सेटिलमेंट हुये हमारे और उनके होश से बहुत ज्यादा दिन हो गये। बहुत सी जगहों पर और उस जमाने से बड़ा अंतर पड़ गया, ठीक है। लेकिन यह जो उन्होंने बात कही वह इस ख्याल के वशीभूत होकर कही कि मालगुजारी के हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकाला जायगा जमीन का। मैं समझता हूं यही बात है तो अगर माननीय गेंदा सिंह जी को यह शंका है तो मुझे कोई शिकायत नहीं क्योंकि वह रेंटल वैल्यू और रेंट में फर्क करना भूल गये। रेंटल वेल्यू है सर्किल रेट, उसके हिसाब से निकाला जायगा, मालगुजारी के हिसाब से नहीं निकाला जायगा। अगर मालगुजारी के हिसाब से वह वैल्यू निकाली जाती तो उसमें अन्याय होता। पास पास आज दो खेत एक ही हैसियत के हैं और मुख्तलिफ किस्म के किसानों के पास हैरिडिटरी और नानआक्यूपेंसी वगैरह के हैं, आज चाहे जो भी जमीन वह कहलाती हों उनका लगान अलग-अलग है तो मालगुजारी भी अलग-अलग हुई, तो इस हिसाब से एक ही किस्म के दो खेतों की कीमत अलग-अलग निकलेगी और तब तो अन्याय हो जायगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मालगुजारी के हिसाब से हैसियत नहीं निकाली जायगी। वही बात माननीय रामसेवक जी यादव ने दुहरा दी। वह तो जो हैरिडिटरी रेट है बन्दोबस्त के वक्त जो तय हुआ था उसके हिसाब वेल्यूएशन निकाली जायगी, मेरी जो जमीन है और माननीय शर्मा जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जो जमीन है, दो खेत बराबर बराबर एक से हो सकते हैं, और यदि आप ५ रुपया दे रहे हैं एक बीघे के और मैं दो रुपया दे रहा हूं तो वैलूएशन अलग-अलग है, यह मालगुजारी के हिसाब से निकालें। लेकिन नहीं, जब मेरा आपका खेत यकसां है तो उनके हैरीडिटरी रेट सेटिलमेंट के वक्त एक ही होंगे। इसलिये जब कंसालिडेशन में उसकी कीमत निकालेंगे तो एक ही कीमत निकलेगी, चाहे मालगुजारी हम मुख्तलिफ ही क्यों न देते हों। अध्यक्ष महोदय, मैं अब शायद अपना मतलब जाहिर कर पाया हूं।

दूसरी बात यह कि बन्दोबस्त तो पहले हुए थे और अब परिस्थिति यहां बदल गयी, यह बात ठीक है। लेकिन ऐसा बन्दोबस्त नहीं हुआ कि एक गांव में आधी जमीन का बन्दोबस्त ५० साल पहले हुआ और आधे रकबे का अब से २० वर्ष पहले हुआ हो। तब तो अलहदा-अलहदा हैरीडिटरी रेट्स हो जायेंगे। यह तो जिले-जिले का बन्दोबस्त पूरा हुआ, जब कभी भी हुआ। लिहाजा एक ही गांव की जमीन में हैसियत एक ही होगी जो भी उनकी है, जब कभी बन्दोबस्त हुआ हो उनका हैरीडिटरी रेट एक ही है। एक ही गांव के खंड-खंड बन्दोबस्त अलग-अलग नहीं हुए, वह चाहे १८९३ में हो गये, चाहे १८८४ में हो गये, चाहे परमानेंट सेटिलमेंट में ४४ में हो गये, बल्कि हर एक जिले में कोई फर्क नहीं है। रहा यह कि अगर इस बीच में किसी एक विशेष खेत का क्लासिफिकेशन बदल गया है, कंकर निकल आये हैं, चाहे खेती खाकी हो गयी है तो दफा ११ में पढ़ेंगे कि अगर किसी खेत की हालत बदल गयी हो तो मैनेजमेंट कमेटी नयी हैसियत उसकी तय कर सकती है। लेकिन आम तौर पर वैलुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिये उनकी शंका निराधार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति १ में "चकबंदी" के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :--

"चकबंदी संचालक की आज्ञा जो चकबंदी समिति की सलाह से होगी उसके अनुकूल"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

* **श्री गेंदासिंह**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मद १२ पर निम्न संशोधन का नोटिस दिया था।

खंड ९ में प्रस्तावित धारा १५ की अंतिम उपधारा (छ) की पंक्ति २ में शब्द "सवा छः एकड़ या इससे अधिक" के स्थान पर शब्द "तीन एकड़ या इसते कम" रख दिये जाँय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस संशोधन को नहीं रखना चाहता हूं, बल्कि जो संशोधन या विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके आखिरी अंश का विरोध करना ही मुनासिब समझता हूं और मैं सोचता हूं कि इसे नहीं बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--तो आप यह संशोधन उपस्थित नहीं कर रहे हैं?

श्री गेंदासिंह--जी हां, तो मुझे इजाजत है पूरे खंड का विरोध करने की?

श्री अध्यक्ष--जी हां, आप पूरे खंड का विरोध कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--धारा ९ के (छ) में है--"कोई भी वर्तमान संहत खाता या फार्म, जिसका क्षेत्रफल सवा छः एकड़ या उससे अधिक हो, यथाशक्य बिश्रंखलित या विभक्त न किया जायगा।" यह मानी हुई बात है कि हमारे देश में छोटे किसानों का बाहुल्य है और अगर हम उनको गांव के नजदीक जमीन देना स्वीकार करते हैं तो जब तक कि यह बड़े खाते हैं इनको हम विश्रंखलित नहीं करेंगे तब तक उन छोटे खातेदारों को गांव के करीब जमीन नहीं दे सकते। मैं ऐसा सोचता हूं कि सवा छः एकड़ से ज्यादा के जो खाते होंगे उनको हम टुकड़े नहीं होने देंगे और यह रुकावट रखेंगे तब तक यह काम होने वाला नहीं है और तब तक यह जो उपखंड "च" इसका है वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

चलनेवाला नहीं है और उसके मुताबिक कोई कार्यवाही हो नहीं सकती और हम तो ऐसा सोचते हैं कि सवा छः एकड़ के जो खाते हैं वे हमारे सूबे भर में थोड़े से ही हैं और सवा ५ एकड़ से कम के खाते ज्यादा हैं। मेरी याददाश्त अगर इस वक्त मेरा साथ दे तो सवा छः एकड़ से कम के खाते करीब ८५ फीसदी हैं। हम ८५ फीसदी लोगों की सुविधा का ध्यान रखें या १५ फीसदी लोगों की? तो हमें इन छोटे-छोटे टुकड़े वाले लोगों की सुविधा का ध्यान रखना ही पड़ेगा और इस ख्याल से हम सोचते हैं कि यह पाबन्दी सवा छः एकड़ की या इसके ऊपर के जो खाते हैं या जो जमीन हैं उसके टुकड़े यदि हम नहीं होने देंगे तो काम नहीं चल पायेगा। उसके टुकड़े करने के लिये हम अपने राज्यकर्मचारी को पूरी सुविधायें देना चाहते हैं कि यदि टुकड़े करके गांव के नजदीक लोगों को जमीन दे सकते हैं तो वह दें। हम चकबंदी इसलिये जरूरी नहीं समझते कि जो सफेद-पोश लोग हम बैठे हुये हैं उनके लिये हो, हम चकबंदी उनके लिये जरूरी समझते हैं जो विधान सभा में उस तबके के लोग शायद एक भी न पहुंच पावें। उनके लिये चकबंदी हम जरूरी समझते हैं। मैं बार-बार यह सोचा करता हूं कि जो कानून हम बनाते हैं उसका अर्थ केवल इतना तो नहीं है कि हम अपनी सुविधा देखते हैं और अपने मन से अनकांशसली हमेशा उसको प्रेरित करते रहते हैं और वही काम हम करते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसको समझने की मेहरबानी करें हमारे राजस्व मंत्री जी कि इसका अर्थ तो इतना ही होता है कि सवा छः एकड़ का जो फार्म है क्योंकि फार्म शब्द उसमें आया है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जायगा और उसको डिवाइड नहीं किया जायगा।

हम चाहते हैं कि वह डिस्टर्ब किया जाय, डिवाइड किया जाय अगर आवश्यक हो तो, बिला जरूरत के नहीं। हमने यह तय कर लिया है कि हम तीन हार में सबकी जमीन को कर देंगे। अब अगर तीन हार में सबकी जमीन को करना चाहते हैं तो जो गांव के नजदीक वाला है उसको हम गांव के नजदीक रखना चाहते हैं या नहीं। हम उसको गांव के नजदीक भी रखना चाहते हैं और उधर हमने यह भी स्वीकार कर लिया कि सवा ६ एकड़ और उसके ऊपर की जमीन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फिर गांव के नजदीक कैसे लोगों को देंगे। इसलिये मैं सोचता हूं कि यथाशक्ति लफ्ज है इसमें, तो हम अपने राज कर्मचारियों पर भरोसा क्यों नहीं करते?

श्री चरणसिंह--"यथाशक्ति" रहना चाहिये।

श्री गेंदासिंह--मैं तो इसको बिलकुल निकाल देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपने जो उपखंड (च) लिखा है उसको देखते हुये उपखंड (छ) को निकाल दिया जाय -और राजकर्मचारियों के ऊपर यह बात छोड़ देनी चाहिये। आखिर उन्हें चकबंदी करनी है, जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं उनको बड़े टुकड़े करने का काम हमने उनको दे रखा है। एक तरफ तो हम गांव के नजदीक देने की बात कहते हैं और फिर उसी जबान से तुरन्त यह कह देते हैं कि सवा ६ एकड़ से कम टुकड़े उनके नहीं बनने देंगे। तो यह १५ फीसदी लोगों का कानून है, ८५ फीसदी लोगों का नहीं है। तो १५ फीसदी लोगों के लिये कानून बनाने का हक इस सदन को नहीं है। ८५ फीसदी लोगों का हक उपखंड (च) है, (छ) नहीं है, इसलिये इसे नामंजूर किया जाय। राजस्व मंत्री इसको इस दृष्टि से कतई न सोचें कि मैं कोई रुकावट डालने के खयाल से ऐसा कह रहा हूं और शायद उनका ऐसा विचार है भी नहीं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि राज्य कर्मचारियों के ऊपर कहीं हमारा भी भरोसा तो हो। मैं इन्हीं शब्दों को कहते हुये उनसे आग्रह करता हूं कि इसको वे स्वीकार करें और अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या कहूं, वह तो वक्त ही निकल गया। कुछ ऐसी बात हो गयी पहले संशोधन पर आपके आने के पहले। आप जब खड़े हो गये तो मैं समझता हूं कि किसी सदस्य को हक नहीं है बोलने का। मुझे जवाब देने का हक नहीं मिला पहले संशोधन पर।

श्री अध्यक्ष--मैंने पूछ लिया था, मुझे सूचना मिली थी कि दो दफा आप बोल चुके थे और राजस्व मंत्री जी भी दो दफा बोल चुके थे।

श्री गेंदासिंह--मेरे संशोधन पेश करने के बाद राजस्व मंत्री जी खड़े हो गये थे बीच में और फिर मैंने उसको पूरा किया इसलिये भ्रम हो गया। खैर, अब वक्त नहीं रहा, कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पर विचार करना चाहिये और इस अंश को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--उसके एवज में अब आप बोल लिये। मैं ने यह समझा था कि आप खंड ९ का विरोध कर रहे हैं और आप सिर्फ (छ) का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको संशोधन पेश करना चाहिये था कि यह (छ) निकाल दिया जाय बजाय इसके कि खंड ९ का आप विरोध करते। आपने पूरे खंड का विरोध करने की इजाजत मांगी थी इसलिये थोड़ी सी गलतफहमी हो गयी और आप बोल गये, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ में नयी धारा १६-क और १६-ख का बढ़ाया जाना।

१०--मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात् नयी धारा १६-क तथा १६-ख के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :--

चकबंदी क्रियाओं के दौरान में हस्तांतरणों का प्रतिषेध।

"१६-क--(१) धारा १६ के अधीन वक्तव्य (Statement) प्रकाशित होने के पश्चात् तथा धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक कोई भी खातेदार बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० में किसी बात के होते हुये भी, अपने गाटे अथवा खाते किसी अंश को, जो चकबंदी योजना के अन्तर्गत हो, विक्रय, दान या विनिमय के रूप में हस्तांतरित न करेगा।

(२) बन्दोबस्त अधिकारी उपधारा (१) में उल्लिखित अनुज्ञा प्रदान करेगा सिवाय उस दशा के जब कुछ कारणों के आधार पर, जो लिखित रूप में रखे जायेंगे, उसका यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित हस्तांतरण से चकबंदी योजना के विफल हो जाने की आशंका है।

चकबंदी क्रियाओं के दौरान में भूमि के कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्रतिषेध।

१६-ख--(१) धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् तथा धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १४२ में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी खातेदार बिना बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के अपने उस समय तक कृषि, उद्यानकरण (horticulture) या पशु-पालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन (pisciculture) तथा कुक्कुट-पालन भी है, से संबद्ध प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त खाते को किसी भवन अथवा घेरे (enclosure) के निर्माण के निमित्त या किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त न करेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो दोष सिद्ध होने पर वह एक हजार रुपये से अनधिक के अर्थदंड का भागी होगा।"

*श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा १६-ख की उपधारा (२) के अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :--

'परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अदालत में मामला दायर करने के पहले चकबंदी समिति से सलाह अवश्य ली जायगी ।"

यह एक ऐसी धारा है जिसमें पहले पहल चकबंदी के काम में जुरमाना लेने की व्यवस्था की गयी है । आज तक जहाँ तक मुझे याद है कि कभी ऐसी बात की नहीं गयी थी । लेकिन यह देखेंगे कि १६-क और १६-ख के बाद यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा १ के उपबंधों का उल्लंघन करे तो वह एक हजार रुपये तक के दंड का भागी होगा तो इसमें यही बात है और इस विधेयक के बारे में मिश्र जी कह रहे थे कि इसका प्राण कहीं और है लेकिन असल में इसका प्राण यहीं है । अब हम राज्य कर्मचारियों को अधिकार दे रहे हैं कि उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई उंगली उठाये तो उसके लिये एक हजार रुपया जुरमाना रखा हुआ है । मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । राज्य कर्मचारी एक हजार रुपये दिलवा देंगे या और कोई भी सजा दिलवा देंगे, जो कुछ भी हो ठीक ही था । लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि वह चकबंदी समिति के पूछे बिना मुकदमा शायद नहीं जायगा ऐसी गुंजाइश इसमें नहीं है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है यह तो वही देखें कि कहां जायगा । मैं समझता हूं कि शायद चकबंदी संचालक या चकबंदी कर्ता को अधिकार नहीं है । यह तो अदालत के सामने जायगा, जुडीशियरी के सामने जायगा । अगर मैजिस्ट्रेट के सामने जाय तो जाने के पहले तो उस गांव की चकबंदी समिति से जरूर पूछा जाय । बगैर उसके पूछे मुकदमा अदालत में न भेजा जाय । इसको राजस्व मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि कैसे मुकदमा बनेगा और क्या प्रोसीजर होगा । मोटे तौर पर यह बात लिख दी गयी है कि एक हजार रुपया जुर्माना हो जायगा । यह जुर्माना चकबंदीकर्ता करेगा या कौन कर देगा यह जुर्माना, यह इसमें साफ नहीं है । मैं कहता हूं कि ठीक है कि इस कानून के मतलब का जो उल्लंघन करेगा तो उसके लिये चकबंदी डिपार्टमेंट प्रोसीक्यूटर बन जायगा और वह अपने उस मामले को अदालत में ले जा कर मैजिस्ट्रेट से उसका चालान करा देगा । मैंने मान लिया कि यही होगा, लेकिन चकबंदी समिति से बिना सलाह लिये ही वह ऐसा न करे । मुमकिन है कि एक आदमी कुछ उद्दंडता करता हो या शरारत करता हो और चकबंदी समिति उसको समझा बुझा कर ठीक करदे ताकि अदालत में जाने की जरूरत न पड़े और वह एक हजार रुपये के जुर्माने से बच जाय, तो इसलिये हमें चकबंदी समिति को कांफीडेंस में लेना चाहिये और उसकी सलाह से मामला अदालत में भेजना चाहिये । उसको पूरा मौका मिलना चाहिये कि मामला अदालत में न जाने पाये । तो मैं इसको इस दृष्टि से सोचता हूं । और लोगों का मत भी इस पर मालूम हो और खास कर माननीय राजस्व मंत्री जी का जो विचार हो, वह मालूम होना चाहिये । अगर वह इसको स्वीकार कर लें तो काहे सदन का वक्त खराब किया जाय ।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि न समझने के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हो गया है । इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि कर्ता यदि हस्तान्तरण करना चाहे तो यथाशीघ्र चकबंदी अफसर से आज्ञा ली जा सकती है । मान लीजिये कि आज्ञा के बिना ही किसी ने किया तो वह लिखित किया होगा, क्योंकि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है हस्तांतरण में । तो उसकी रजिस्टर्ड डीड होगी और मान लिया कि १०० रुपये से कम का मामला है तो भी लिखित तो होगा । मकान वगैरह भी उस पर बन सकते हैं । तो दोनों हालतों में यह देखने की व्यवस्था होगी और देखने की व्यवस्था में ऐसी बात नहीं है कि पुलिस का कोई ऐसा मामला है या काल्पनिक साक्ष्य करके कोई मामला चलाया जा सकता है । यहां तो यह प्रश्न नहीं पैदा होता है और चकबंदी समिति की सलाह से मामला अदालत में ले जाया जाय यह कोई बात नहीं है । वह तो स्वयं ही आरोपक का काम करेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो संशोधन रखा गया है १६-ख में उसमें कुक्कुट पालन, भूमि के उद्यानीकरण के लिये भूमि को इम्प्रूव करने की बात है। इसमें हस्तांतरण की बात नहीं है। माननीय सदस्य कहां से भाषण कर रहे हैं।

श्री रामलखन मिश्र--माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में एक हजार रुपये के जुर्माने की बात कही ...

श्री अध्यक्ष--(श्री मिश्र से) आप मुझे इस पर कहने दें। वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया है।

इसमें लिखा हुआ है कि "यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो दोष के सिद्ध होने पर वह १ हजार रुपये से अनधिक दंड का भागी होगा और उपधारा (१) में यह हस्तांतरण का शब्द आया है कि कोई भी हस्तान्तरण नहीं करेगा।" यह है १६-क (१) में।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--लेकिन यह संशोधन (ख) में है।

श्री अध्यक्ष--इसमें तो कोई चीज नहीं है। (श्री मिश्र से) आप जरा संगत बात करें, उनका कहना सही है।

श्री रामलखन मिश्र--माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में जिन बातों की चर्चा की, जिन आपत्तियों की उत्पत्ति की मेरे लिये आवश्यक था कि मैं उनका वर्णन करूं। उसके उत्तर में मैंने उसकी पूर्ति की कि यह देखने की बात है और ऐसी कोई आशंका की बात नहीं है जैसी कि गेंदा सिंह जी ने उठाई, वह काल्पनिक बात थी। मैं इससे अधिक कोई समय नहीं लेना चाहता।

*__श्री चरणसिंह__--श्रीमन्, यह गेंदासिंह जी ने जैसा कि रामनारायण त्रिपाठी जी ने बतलाया कि खंड १० के उपखंड का जो दूसरा हिस्सा है १६-ख उसमें जो संशोधन है उस पर उन्होंने संशोधन दिया है। १६-क में यह है कि कोई आदमी बिना चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा के ट्रान्सफर नहीं कर सकता। वह ऐसा ट्रान्सफर नहीं कर सकता जिससे चकबन्दी की स्कीम डिफीट होती हो। १६-ख में जो धारा अधिनियम की बनेगी १५-ख के मुताबिक उसमें यह है कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन को सिवाय खेती, उद्यान, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन के इस्तेमाल नहीं कर सकता है और अगर वह करेगा तो वह एक हजार रुपये तक का देनदार होगा। अदालत में दावा दायर होगा और अदालत समझेगी तो जुर्माना कर देगी। माननीय गेंदासिंह जी चाहते हैं कि वह दावा दायर उस पर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि चकबन्दी कमेटी उसकी इजाजत न दे, यह मुझको मंजूर नहीं है। हमने चकबन्दी कमेटी को कदम-कदम पर एसोसियेट किया है और हर धारा में चकबन्दी कमेटी और भूमि प्रबन्धक कमेटी का जिकर किया है। शायद ही जनता की सहायता कभी किसी कानून में इतनी ली गयी हो जितनी कि इस चकबन्दी कानून में ली गयी है। लेकिन सवाल यह है कि एक आदमी जुर्म करता है, आफेन्स करता है उस पर कार्यवाही की जाय या न की जाय। इस मामले में चकबन्दी कमेटी की राय लेना मुनासिब नहीं होगा। जो सिविल नेचर की चीजें हैं चकबन्दी के सिलसिले में जो और सैकड़ों बातें हैं उनमें उनका मशविरा ठीक है लेकिन जब एक काम को आफेन्स करार दे रहे हैं तो उस आफेन्स के लिये सजा दी जाय या नहीं दी जाय, इसमें कमेटी या समिति या किसी नानआफिशियल बाडी का मशविरा लाजिमी कर देना मुनासिब नहीं है। तजुर्बा यह बताता है कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। इसी वजह से जूरी सिस्टम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

को खत्म किया गया है। जूरी की राय कुछ और होती थी और अदालत की राय कुछ और होती थी, इस वजह से वह खत्म किया गया। तो हमारे मुल्क का तजुर्बा कुछ ऐसा है जिसमें नानआफिशियल पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिये। उन पर दबाव डाला जाता है, तरह तरह के विचार उनके सामने आते हैं। यह जिम्मेदारी केवल एक पब्लिक सर्वेन्ट पर डालनी उचित है जो उनकी वोट के बल पर वहां नहीं रहता है। वह गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर रहता है। वह एक डिसइंटरेस्टेड परसन की तरह से काम करता है, चकबन्दी कमेटी के सदस्य वहीं के रहने वाले होंगे। बहुत से आदमी ऐसा करते हैं कि मकान बना लें और उसमें पौधे रख दें कि यह मकान हुआ या ऐसा काम कर दिया जिसके करने से हमारी स्कीम में खराबी पड़ती हो तो इसी के खिलाफ चकबन्दी कमेटी मशविरा दे सके यह बात बहुत मुश्किल है। मकान बनाने के लिये आमतौर पर सैटिलमेंट आफीसर इजाजत दे देगा, लेकिन अगर वह देखता है कि वह इस चकबन्दी के स्कीम के खिलाफ यह करना चाहता है तथा उसको मकान अथवा घेर की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी बगैर इजाजत के वह ऐसा कार्य करता है तो अवश्य ही वह जुर्म करता है, ऐसे ही आदमी पर मुकदमा चलाया जायगा। एक बार इस धारा के आ जाने से लोगों में भय हो जायगा और अगर १-२ केसेज हो जायेंगे तो दूसरे उससे सबक लेंगे। इसलिये इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अपने मित्र का संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मंत्री जी इस नयी धारा द्वारा जो अधिकार ले रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग दो साल से ज्यादा से इस प्रदेश में चकबन्दी चल रही है। अभी तक ऐसी कोई धारा इस अधिनियम में नहीं थी। यह सही है कि लोगों ने इस प्रकार के हाते, मकान या कुंवें बना लिये हैं। अब धारा १५ के अनुसार यह नियम है कि अगर उनको तोड़ा जायगा तो मुआविजा मिलेगा, इसलिये भी लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन यह जो रक्खा गया है वह तो उन लोगों के लिये रक्खा गया है जो आगे करेंगे लेकिन जो ऐसा कर चुके हैं, जैसा कि हमारा तजुर्बा है, उन लोगों के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या व्यवस्था की है।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, इसमें बाग वगैरह की कोई मनाही नहीं है। अगर किसी ने चकबन्दी के एक वर्ष पहले कोई बाग लगा लिया है तो उसको इजाजत होगी। अगर वह खेती के लिये इस्तेमाल करता है या जमींदारी अबोलीशन एण्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में जो लैंड की परिभाषा की गयी है कि खेती में एग्रीकल्चर तथा होर्टीकल्चर आदि शामिल है, उन कार्यों के लिये इस्तेमाल उन्होंने किया है तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। हां, अगर वह भट्ठों के लिये या मकान के लिए उसका इस्तेमाल करता है तो वह बिना रजामन्दी के नहीं कर सकता।

जहां तक रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट की बात कही गयी तो क्रिमिनल नेचर के जो कानून होते हैं उनके लिये रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष (श्री रामनारायण त्रिपाठी से)--आपका जवाब उन्होंने अन्तिम वाक्य में दे दिया।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--लेकिन ऐसा कहने से काम तो नहीं चल सकता। जो पहले कर चुके हैं उनका क्या होगा? अब प्रश्न यह पैदा होगा कि मान लीजिये किसी ने एक साल पहले ऐसा किया है तो उसका क्या होगा? हमारे ही गांव में ४-५ आदमियों ने मकान, घेर आदि से जमीनों को घेर लिया है। ऐसी सूरत में उन लोगों का क्या होगा? इसके अलावा अभी यह कानून दोनों सदनों से पास होगा और इसमें कुछ दिन लग जायेंगे। १, २ महीना लग जायेंगे तो अगर इसी बीच में कोई ऐसा करता है तो उसके लिये क्या व्यवस्था होगी?

माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने संशोधन में सिर्फ यही रक्खा है कि अदालत में मामला भेजने से पूर्व चकबन्दी समिति की राय पहले ले ली जाय। तो कोई वजह नहीं है कि सारे गांव की चकबन्दी समिति कोई अच्छा काम करना चाहती है, वह किसी एक आदमी की वजह से उस अच्छे काम को न करे। ऐसा कह कर तो माननीय मंत्री जी ने जो चकबन्दी की सारी योजना रखी है उसी का विरोध कर रहे हैं कि चकबन्दी समितियां ठीक कार्य नहीं कर रही हैं? तो इस तरह से मुमकिन हो सकता है कि बहकावे से या किसी तरह से कुछ हार्ड केसेज हों तो इसलिये अगर अदालत में मुकदमा दायर करने के पहले चकबन्दी समिति की सलाह ले ली जाय तो ठीक होगा क्योंकि इसमें सजा और जुरमाने का मामला है, यह अधिकार उनको हाथ में न लेना चाहिये, उनको जनता के सहयोग से ही चलना है और उस तरह से कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति पूरी चकबन्दी समिति पर अपना असर भी न डाल सकेगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस बिल में रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि अदालत में मुकदमा दायर करने से पहले समिति से सलाह लेना बहुत आवश्यक है। मूल अधिनियम की धारा में जो १६ (ख) (२) के द्वारा जोड़ा जा रहा है वह यह है कि "यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो दोष सिद्ध होने पर वह एक हजार रुपये से अनधिक के अर्थदंड का भागी होगा।" १६ (ख) (१) के सम्बन्ध में इसमें कोई रुकावट नहीं है। मैं माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि १६ (ख) (१) जो है उसके अन्त में दिया गया है कि इन इन से संबद्ध प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त खाते को किसी भवन अथवा घेरे के निर्माण के निमित्त या किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त न करेगा और ऊपर कहा गया है कि वह अपने गाटे या खाते के किसी अंश को जो चकबन्दी योजना के अन्तर्गत हो, विक्रय दान या विनिमय के रूप में हस्तान्तरित न करेगा। उसके लिये यह प्रतिबन्ध मालूम होता है लेकिन १६ (ख) (१) जो है उसके लिये प्रतिबन्ध नहीं मालूम होता है। मैं इसको जानने के बाद ही इस सम्बन्ध में राय प्रकट करूंगा।

श्री चरणसिंह--वह नहीं है, वह तो बेनामा ही नाजायज हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--वह यह कहते हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो अपने खेत में घर बनाना चाहता हो या पशुपालन आदि का काम करना चाहता हो और अधिकारी ने उसको हुक्म न दिया हो, ऐसा कोई केस नहीं। तो जब अधिकारी हुक्म दे देते हैं तो इस तरह के संशोधन की जरूरत क्या है, लेकिन मेरा खयाल है कि अधिकारी आज्ञा नहीं देते हैं और आज्ञा देने में और भी बातें की जाती हैं और इसीलिये संशोधन लाने की जरूरत मालूम हुई और यह उन्हीं अधिकारियों की रिपोर्ट में बिल के रूप में यह संशोधन लाया जा रहा है और मैं यह भी समझता हूं कि इस धारा में १ हजार रुपया दंड देने का अधिकार बहुत दिया गया है लेकिन जिस पर यह १,००० जुर्माना का प्राविजन किया गया है उसको अपील करने की कोई गुंजायश नहीं छोड़ी गयी है। मैं जानना चाहूंगा कि जब मूल अधिनियम में इस तरह की कोई धारा नहीं है तो क्यों इस तरह की यह नई धारा लाई गई है? मैं समझता हूं कि यह उन्हीं लोगों की प्रेरणा से लाई गई है जो सही मानों में इस धारा को जुड़वा कर चकबन्दी को कलंकित करने जा रहे हैं। आज इस युग में १००० रुपया का जुरमाना उन से लेना जो किसान हैं और उनको उस पर अपील का अधिकार भी न देना यह मैं समझता हूं कि कोई अच्छा काम नहीं है।

श्री चरणसिंह--कोई अच्छा काम हमने आज तक किया?

श्री रामसुन्दर पांडेय--अगर नहीं किया तो यह संशोधन बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, इससे तो मूल अधिनियम ही अच्छा था, इस को लाकर तो आप उसकी

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

धाराओं को ही कलंकित कर रहे हैं। मैं श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि यह अधिकार जो आप देने जा रहे हैं इस अधिकार का बहुत दुरुपयोग होगा और अपील का जो अधिकार नहीं है, वह लोकतंत्र की प्रणाली पर कुठाराघात करने वाला है। मैं निवेदन करूंगा कि १६ (क), (ख) जो उपधारा रखी गयी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मूल अधिनियम ही काफी है। जो कोई कुक्कुट पालते हैं या अपने खेत में घर बनाते हैं और चकबन्दी अधिकारी उसको अनियमित करार देते हैं, इससे वे किसान अपना नुक्सान करते हैं और वे जब अपना उल्टे नुक्सान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर एक हजार रुपया जुर्माना ठीक नहीं है, और अपील की कोई गुंजाइश न हो, यह उचित नहीं है। मैं इसीलिये गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं यह भी नहीं मान सकता कि भूमि प्रबन्धक समिति से ज्यादा इस मामले में चकबन्दी आफिसर को जानकारी होगी कि कोई आदमी अपने खेत में घर बनाता है, या कुक्कुट पालता है तो उसकी आवश्यकता है या नहीं, ऐसी हालत में यदि अदालत में मुकदमा जाता है और चकबन्दी कमेटी अधिकार दे देती है तो राजस्व मंत्री और चकबन्दी अधिकारी का हाथ मजबूत होगा और फैसला अदालत राजस्व मंत्री के मन के अनुकूल करेगी और यदि चकबन्दी सलाहकार समिति उसका विरोध करती है तो अदालतों में राजस्व मंत्री की बड़ी फजीहत होगी, इस धारा की फजीहत होगी, अदालतों को परेशानी उठानी पड़ेगी। अपील करने का अधिकार हाई कोर्ट ने अदालतों को दे दिया तो मैं समझता हूं कि यह जो १ हजार रुपये जुर्माना करने का अधिकार दिया जा रहा है वह खत्म हो जायगा। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जरा खयाल करें, इस सदन के द्वारा जो आप कानून बनाते हैं उसकी बाहर छीछालेदर भी हुआ करती है और छीछालेदर होती है। उस अनुभव के आधार पर कुछ आपको लोकतांत्रिक ढंग से रास्ता अख्तियार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का सदन समर्थन करे और राजस्व मंत्री जी उसे मानें।

श्री चरण सिंह--दो ही बातें मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं। एक तो यह कि जिन सज्जनों ने इस संशोधन का समर्थन किया है उनको यह भ्रम है कि चकबन्दी के अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे जुर्माना कर दें। ऐसा नहीं है, चकबन्दी के अधिकारी मुस्तगीज होंगे, जुर्माना अदालत करेगी। लिहाजा इसके दुरुपयोग का सवाल नहीं रहता। दूसरा यह है कि अपील इसलिये रखी नहीं कि रूल्स में जो भी अधिकार होंगे और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक जिसको अपील सुनने का अधिकार होगा वह सुनेगी, इसमें रखने की जरूरत नहीं। किसी कानून में, किसी काम के लिये जुर्म करार दिया जाता है उसमें केवल सजा दी जाती है। कौन सी अदालत में जायगा या नहीं जायगा उसका इससे कोई वास्ता नहीं। इसलिये जितनी तकरीरें हुई हैं वह सब गैर मुताल्लिक हुई हैं। माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने एक बात और कही कि वह इजाजत उन्होंने नहीं दी है। चकबन्दी अधिकारियों को यह इजाजत लेने का सवाल पैदा नहीं होता। कानून में इजाजत लेने का सवाल होगा, यह तो अब हम कर रहे हैं कि इसे करना चाहते हैं तो इजाजत ले लें। इजाजत नहीं लेता है तो हस्तान्तरण करता है और हस्तान्तरण होगा नाजायज। १६-ख के मातहत मकान बनाता है तो वह नाजायज होगा। बिला इजाजत ट्रान्सफर करता है और मकान बनाता है और क्योंकि मकान बन चुका और मकान टूटने का नहीं। अगर कंसालिडेशन आफिसर समझे कि बिना उसकी इजाजत के मकान बना लिया है जिससे स्कीम में खराबी पैदा हो गयी है तो सारी तहसील में एक आध केस ऐसा कर देगा, सौ दो सौ रुपया जुरमाना हो जायगा। आगे उसकी वजह से लोग नहीं करेंगे, यह मोटी सी बात है।

*श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने तो यह जरूर कहा कि जो भाषण हुये वह गैर मुताल्लिक थे। लेकिन मेरी बात गैर मुताल्लिक नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं तो सिर्फ इतनी ही बात कहता हूं कि कोई भी इस मुकदमें को भेजे, जो कोई भेजे वह चकबन्दी समिति से सलाह ले कर भेजे। इसका कोई जवाब देने की मेहरबानी नहीं करते। वह कहते हैं कि चकबन्दी समिति में जो लोग होंगे वह इतने डरपोक होंगे, डरपोक लफ्ज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया--वह कोई इस तरह की शरारत करने वाला आदमी या खराब आदमी होगा जो चकबन्दी को नहीं करने देता होगा या उसको नुक्सान पहुंचाना चाहता होगा तो उसके विरुद्ध वह कोई फैसला नहीं दे सकते हैं कि इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाय। मैं उनसे कहता हूं कि कैबिनेट में वह सलाह दें। मेहरबानी कर के मेरी बात सुनें। मिश्र जी सब गड़बड़ कर देंगे, मिश्र जी सब गड़बड़ कर देंगे, यह मैंने कहा। इसलिये मैंने कहा कि उन्होंने प्राण बता दिया है इस विधेयक का। लेकिन वहां प्राण क्या बेचारे का धड़ भी नहीं था। जिस वक्त विधेयक प्रस्तुत हो चुका तब वह प्राण बेचारा आया। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि कैबिनेट में एक सलाह देने की आपसे आग्रह कर रहा हूं। यह जो पंचायतराज विभाग आपने इतना बड़ा खोल रखा है और जिसके चुनाव में कई क़त्ल हो चुके, अभी लोग मर कट रहे हैं उसको तुरत वापस लिया जाय क्योंकि उसमें न्याय पंचायतें जो कायम की हुई हैं, उसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि सलाह देना है कि किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाय बल्कि सजा देंगे, जुर्माना करेंगे, कुर्की करा देंगे। उसके ऊपर सारी कार्यवाही कर देंगे जो अदालतें करती हैं। उसमें हमारी हिम्मत है कि फैसला दें। लेकिन चकबन्दी में हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उसके विरुद्ध फैसला दें कि उस पर मुकदमा चलाया जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, बहुत ही नम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि यह बड़ी भारी भ्रान्ति है हमारे मिनिस्टर साहबान को, इस भ्रान्ति से इस कदर सफर कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहबान और हमारी गवर्नमेंट कि जनता के ऊपर उसका भरोसा ही नहीं रहा। वह केवल वही काम करते हैं जिसमें उनको वोट मिल जाय। उसमें वह कहते हैं कि वह अकलमन्दी का काम करते हैं। बाकी सब काम बेअक्ली का करते हैं। मैं उनको फिर विश्वास दिलाता हूं कि जो कोई भी चकबन्दी के कार्य को सफलतापूर्वक नहीं चलने देगा और सचमुच चकबन्दी का कार्य बहुमत के हित में होगा तो उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उसके विरुद्ध लोग कार्यवाही करने का फैसला करेंगे। लाभ सिर्फ इतना होने वाला है कि उसमें लाभ यह हो जायगा कि जिनके विरुद्ध कार्यवाही करने की जरूरत पड़ेगी उनमें से काफी फीसदी ऐसी निकलेगी जिस पर कार्यवाही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अदालत में नहीं जाना होगा, जुरमाना नहीं करना होगा, जुरमाने की वसूली के लिए कुर्की नहीं करनी होगी, उनके घरवालों को तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। यह होगा कि पंचायत वाले बैठेंगे, उनको समझायेंगे कि तुम क्यों नालायकी कर रहे हो। यह चकबन्दी सब के लाभ के लिये है, क्यों विरोध कर रहे हो। तुमने क्यों चहारदीवारी खींच दी है, या जो कुछ भी करता हो जो १६-क और १६-ख में है, मैं क को छोड़ देता हूं, ख के मातहत बात करता है, और चकबन्दी के कार्य में अगर विघ्न पड़ता है तो उस काम को मत करो। मुमकिन है कि उसका विवेक जग जाय तो फिर सरकार को अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो इस दृष्टि से इस बात को सोच रहा हूं। इस दृष्टि से सोच रहा हूं कि चकबन्दी समिति को यह अधिकार मिलना चाहिये। मैं राजकर्मचारियों को कुछ नहीं कह रहा हूं। कुछ नहीं कह रहा हूं राज्य कर्मचारियों को। लेकिन उनको थोड़ा बल मिलेगा जिस वक्त चकबन्दी समिति की सिपारिश के बाद अदालत में मुकदमा आवेगा उस वक्त राजकर्मचारी नहीं पकड़ा जायगा और वह बेईमान नहीं कहा जायगा, यह नहीं कहा जायगा कि जरूरत से ज्यादा सख्ती करी या कार्यवाही की। इन सारी बातों को सोच कर के कह रहा हूं कि राज्य कर्मचारी को चेक रहे। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

उसके मन में कोई बुराई आवे भी तो वह न आने पावे। बिना गवाह के तो मुकदमा चलता नहीं तो चकबन्दी समिति की सिपारिश से जब मुकदमा आवेगा तो समिति गवाह देगी और राज्य कर्मचारी को आसानी हो जायगी नहीं तो वर्षों मुकदमा चलेगा और पब्लिक ऐक्सचेकर को काफी नुक्सान पहुंचेगा। मैं जानता हूं मेरे संशोधन की जो गति होने वाली है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिन बातों को अस्वीकार किया जाता है उनको अन्त में उसके लिये पछताना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि २,३,४ महीने बाद ऐसा समझेगी सरकार कि हमने गलती की। अध्यक्ष महोदय, इस बात को आप ध्यान में रखिये कि कभी-कभी किसी न किसी दिन सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने गलती की।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा १६-ख की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय:

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अदालत में मामला दायर करने के पहले चकबन्दी समिति से सलाह अवश्य ली जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं कि जब यह घंटी बज चुकी उसके बाद बहुत से माननीय सदस्य लाबी में से आये तो उनकी गिनती कैसे हो गई। यह दो दरवाजे बन्द हुए और वह बन्द नहीं हुआ और सबूत यह है कि वह अभी खड़े हुये हैं।

श्री अध्यक्ष--अभी तक वह आते ही रहे हैं, वह अन्दर ही समझे जाते हैं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में--९

विपक्ष में--६८)

श्री रामलखन मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन आज उस समय तक बैठे जब तक कि यह संशोधन विधेयक समाप्त न हो जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं पहले इस पर राय ले लूं फिर इसको लूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि यह सदन कब तक बैठे?

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं तो माननीय मिश्र जी से यह आग्रह करूंगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और अगर कोई इस तरह की बात उन्हें मालूम हुई हो कि इस विधेयक को जानबूझकर हम लोग देर करके पास करना चाहते हैं तब तो उसके दंड में हमको बैठा लें कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर ऐसी बात न हुई हो तो इसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। हम तो स्वयं चाहते हैं कि जितनी जल्दी पास यह हो जाय उतना ही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--तो मैं समझता हूं कि इस पर अब ज्यादा जोर न दें। काफी तेजी से काम हुआ है। इसलिये मैं बैठक बढ़ाने के प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि हमको कुछ अधिक परिश्रमशील होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--ठीक है लेकिन मैंने उसके लिये अब आज्ञा नहीं दी है।

खंड ११--१४

११--मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (३) में शब्द "उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द "उपधारा (३)" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २० का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा २७ में--

(१) उपधारा (१) में शब्द "उक्त" और शब्द "अभिलेखों" के बीच में शब्द "नक्शों और "रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २७ का संशोधन।

(२) उपधारा (२) में शब्द "तैयार किये गये" और शब्द अधिकार-अभिलेख "के बीच में शब्द "नक्शों और" रख दिये जायं।

१३--धारा २८ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के शब्द "फसल के प्रकार का ध्यान रखते हुये" निकाल दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २८ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा २९ में--

(१) उपधारा (१) का निम्नलिखित वाक्य निकाल दिया जाय:-- उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २९ का संशोधन।

"उक्त खातेदार कब्जा करने के दिनांक से नौ मास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिससे या जिससे कब्जा संक्रामित किया गया हो ऐसा प्रतिकर देगा और ऐसा न करने की दशा में उससे ऐसा प्रति-कर मालगुजारी के बकाये के रूप में (as arrears of land revenue) वसूल किया जा सकेगा।"

(२) उपधारायें (२) तथा (३) निकाल दी जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११, १२, १३ और १४ इस विधेयक के अंग माने जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

१५--मूल अधिनियम की धारा २९ के पश्चात नयी उपधारा २९--क के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय:-- उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ में नई धारा २९ क का रखा जाना।

"२९-क--(१) जब कोई खातेदार, जिससे इस अधिनयम के अधीन प्रतिकर की वसूली होनी हो, तदर्थ नियत अवधि के भीतर प्रतिकर न दे तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति (person) (entitled) वसूली के लिये उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ-साथ कलेक्टर को, ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि (amount due on his behalf) सरकार को देय मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जाय।

(२) यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर उस दिनांक से तीन महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा न किया गया हो, जिस पर वह खातेदार, जिससे प्रतिकर की वसूली होनी हो, धारा २६ के अधीन कब्जा पाने का अधिकारी हो, तो ऐसी धनराशि पर जो इस इस प्रकार अदा न की गयी हो, ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जायगा"

श्री गेंदा सिंह---आपकी आज्ञा से अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १५ में प्रस्तावित उपधारा २९---क (१) की अन्तिम पंक्ति के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :---

"प्रतिकर पाने का अधिकारी यदि किसी प्रकार की सरकारी देयों में उस रकम को मुजरा कराना चाहे तो कर दी जाय ।"

यह बहुत सीधा बिना विवाद का प्रस्ताव है और यह इसलिये मैं चाहता हूं कि लोगों को तहसील में अपने रुपयों को लेने और देने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । इस लिए मैं ऐसा सोचता हूं कि आखिर रुपया तो उसे पाना है लेकिन सरकार को देना भी है। तो लेने और देने ये दोनों काम जो हैं उसमें दोनों को बेकार परेशानी होती है। उस परेशानी से बचने के लिये मैंने यह कहा है कि न लेना पड़े न देना पड़े । यह तो केवल खजाने का काम है ट्रान्जेक्शन आफ पेपर्स का । वह ट्रान्जेक्शन का काम वहां हो जाय और यह बेकार की परेशानी से बचत हो । इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है ।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय किसी आदमी को गवर्नमेन्ट के ऊपर कुछ देय नहीं है। यह तो वसूल किया जायगा दूसरे आदमी से और बतौर मालगुजारी वसूल किया जायगा । माननीय मित्र चाहते हैं कि गवर्नमेन्ट तो वसूल करती रहे और जो आदमी उस रुपये के पाने का मुश्तहक है उसको अपनी तरफ से मुजरा कर दे यही मतलब है.....

श्री गेंदा सिंह---यह मतलब नहीं है ।

श्री चरण सिंह---अगर दूसरा मतलब है तो उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेन्ट एग्जीक्यूटिव आर्डर्स के जरिये से वह कर सकती है । वह जब चाहे ऐसा कर सकती है कि हमारा अगर किसी आदमी के ऊपर देय है और उससे हमको कुछ वसूल करना है और हमें उसको कुछ देना है तो हम एग्जीक्यूटिव आर्डर से उसको ऐडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि कम्पेंशसन ५० रुपये से कम का जो था उसको हमने ऐडजस्ट किया था मालगुजारी में। तो एग्जीक्यूटिव आर्डर से इसमें भी कर सकते हैं । इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह---मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें सरकार के ऊपर कोई बोझ मैं नहीं डालता और जैसा कि राजस्वमंत्री जी ने समझा कि रुपया तो सरकार वसूल करेगी लेकिन वह वसूल करने के पहले ही उसको मुजरा दे दे यह भी मंशा नहीं है । मंशा सिर्फ यह है कि अगर रुपया वसूल कराकर क्योंकि सरकार ही माध्यम है तहसील ही माध्यम है, वसूल करने के बाद अगर उसके पास पैसा आता है वह मुजरा कराना चाहे अगर उसने दरख्वास्त देदी तो फिर सरकार अपनी तरफ से करेगी । सरकार अपनी तरफ से न करे अगर उसकी तरफ से हो इसको स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं तो दिन को दिन ही कह रहा हूं और वह स्वीकार न करें तो यह उनकी मर्जी है।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय मैं क्या करूं माननीय गेंदा सिंह जी को हर बात में ऐसा ही ख्याल रहता है । ऐसी बात नहीं है । मैं बहुत मुहब्बत करता हूं माननीय गेंदा सिंह जी से । मैंने तो कहा कि मई एक्जिक्यूटिव आर्डर से हो जायगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--हम लोगों को मौका दिया जाय, हम विरोध करेंगे

श्री अध्यक्ष--उनका जवाब हो चुका ।

प्रश्न यह है कि खंड १५ में प्रस्तावित उपधारा २९-क(१) की अन्तिम पंक्ति के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:--

"प्रतिकर पाने का अधिकारी यदि किसी प्रकार के सरकारी देयों में उस रकम को मुजरा कराना चाहे तो कर दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम उसका विरोध कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--यदि माननीय सदस्य चाहते तो वह एजेन्डे में आ जाता ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मुझे मौका दें तो मैं शुरू कर दूं विरोध।

श्री अध्यक्ष--मैं कल उसके ऊपर राय लूंगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
३ अप्रैल, १९५६ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर)

गाजीपुर जिले में टोंस नदी रामगढ़ के पास रामगढ़ पम्प्डनहर से सिंचित क्षेत्र पर रेट इस प्रकार लगाने का प्रस्ताव है:—

	दर प्रति एकड़ तोड़ की सिंचाई के लिये (Flow Irrigation)	दर प्रति एकड़ डाल की सिंचाई के लिये (Flow Irrigation)
	रु०	रु०
रबी . .	१२	६
धान . .	१४	७
ईख . .	३२	१६
अन्य खरीफ . .	७	३ रु० ८ आना

संसद ग्रंथालय प्रदेश सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

अनुसूची

उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग की सामूहिक श्रवण योजना

(कम्यूनिटी लिसनिंग स्कीम) के अधीन रेडियो सेट उधार दिये जाने के संशोधित नियत व शर्तें :

उपयुक्त विषय पर इस विभाग के सरकारी आदेश संख्या अ/१७८/१९ आर० एस० दिनांक १९ मार्च, १९५३ में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि विगत वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुये रेडियो सेटों के उपयोग से संबंधित नियमों पर सरकार ने पुनः विचार किया है और निम्नलिखित संशोधित नियम बनाये हैं--

१---सूचना संचालन कार्यालय द्वारा दिये गये रेडियो सेटों का उपयोग अनिवार्य रूप से सामूहिक श्रवण के लिये किया जायगा। सूचना संचालक कार्यालय के रेडियों सेट का किन्हीं भी परिस्थितियों में निजी रूप से सुनने के लिये उपयोग न किया जायगा।

२---सूचना संचालन कार्यालय द्वारा दिये गये रेडियों सेटों को केवल सार्वजनिक स्थानों में लगाया जायगा जैसे पुस्तकालयों, श्रम केन्द्रों, क्लबों, विकास खंडों, बीज गोदामों, टाउन एरिया केन्द्रों, पंचायतघरों, शिक्षा संस्थाओं आदि रेडियों सेटों का उपयोग केवल जनता के लाभ के लिये किया जायगा।

३---रेडियो सेट को लगाने के लिये चुना गया केन्द्र ऐसे स्थान पर होना चाहिये जहां जनता को पहुंचने में आसानी हो और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आकर्षित किया जा सके।

४---रेडियों सेटों को केवल उन सार्वजनिक संस्थाओं को दिया जायगा जो वापस न की जाने वाली ७५ रु० प्रति सेट की रकम का अंशदान जमा करने और समुचित मूल्य के दस्तावेजी कागज पर उनके द्वारा नामजद किसी संरक्षक, केयरटेकर, द्वारा इकरारनामा प्रति संलग्न भरने के लिये तैयार हों। अंशदान की उपर्युक्त रकम केवल उन सेटों के लिये निश्चित की गयी है जिनका वितरण इस योजना के अधीन किया जायगा। यह उन सेटों के सम्बन्ध में लागू न होगा जो पुराने नियमों के अधीन दिये गये हैं।

५---सार्वजनिक संस्थाओ को रेडियो सेट केवल बतौर ऋण के दिया जायगा और वह सदैव उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग की सम्पत्ति रहेगा।

६---सरकार की रेडियो सेट सप्लाई करने वाली फर्म नई ड्राई बैटरी रेडियो सेटों की सर्विसिंग और रखरखाव उनके प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष तक निःशुल्क करेगी। ऐसी दशा में जब कि सामान्य उपयोग के दौरान में सेट खराब हो जायं या सेट की ही खराबी के कारण कुछ पुर्जों को बदलने की आवश्यकता पड़े तो सेट की सप्लाई करने वाली फर्म अपने खर्चे से उसे बदलेगी। लेकिन इस्तेमाल होने पर भी या जानबूझ कर लापरवाही के कारण सेट खराब हो जाय तो उसे बदलने में यदि कोई व्यय होता है तो उसे संरक्षक (केयरटेकर) को बर्दाश्त करना पड़ेगा।

७—जहां तक संभव होगा रेडियो सेटों की सर्विसिंग और उनका रखरखाव सरकारी खर्च पर होता रहेगा । लेकिन एक वर्ष बाद कभी पुर्जों को बदलने की आवश्यकता होगी तो उसका मूल्य संरक्षक को देना पड़ेगा ।

८—इस सम्बन्ध में और अधिक सुविधा देने की दृष्टि से ड्राई बैटरी पैक को पहली बार बदलने का आधा खर्च जिसे लगभग ६ महीने के उपयोग के बाद सूचना विभाग बदलेगा सूचना विभाग वहन करेगा और शेष आधा खर्च हर एक संरक्षक (केयरटेकर) को बर्दाश्त करना पड़ेगा ।

९—यदि रेडियो सेट, उसके पुर्जे आदि या अन्य पुर्जे या अन्य पुर्जों के किसी हिस्से की चोरी, टूट-फूट, आग लगने के कारण नुकसान होता हो तो प्रत्येक दशा में क्षतिपूर्ति केयरटेकर को करनी पड़ेगी । अतएव केयरटेकर का यह कर्तव्य होगा कि वह रेडियो सेट को सुरक्षित रखने के लिये अधिक से अधिक सावधानी बरते । चोरी, टूट, फूट या आग लगने के कारण जो क्षति होगी वह कितनी हुई है इसका निर्णय उत्तर प्रदेश के सूचना संचालक या उनके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी करेंगे, और यह निर्णय संरक्षकों को मान्य होगा ।

१०—संरक्षक (केयरटेकर) का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि रेडियो सेट का उपयोग नियमित रूप से और सामूहिक श्रवण योजना के अधीन दिये गये रेडियों सेटों के लिये निर्धारित शर्तों के अनुसार होता है । किसी भी कारण से रेडियो सेट बेकार न रहने दिये जायंगे । यदि उपयोग के सिलसिले में या किसी अन्य प्रकार से रेडियो सेट को कोई क्षति पहुंचती है तो इसकी सूचना पास के सर्विसिंग स्टेशन तथा जिले के जिला सूचना अधिकारी को तुरन्त दी जानी चाहिये जो सेट की जांच करने और उसकी उपयुक्त मरम्मत की व्यवस्था करेगा । यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि सेट के बिगड़ जाने पर उसे दो सप्ताह से अधिक समय के लिये बेकार न रहने दिया जाय ।

११—संरक्षक (केयरटकर) की यह जिम्मेदारी होगी कि उसे जो सेट दिया गया है उसके लिए वह सी० बी० आर० लाइसेंस उत्तर प्रदेश के सूचना संचालक के नाम में प्राप्त कर ले । निर्धारित समय पर लाइसेन्स बदलवाने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी । यदि संरक्षक निर्धारित समय के अन्दर किसी भी दशा में लाइसेन्स को नहीं बदलवाता तो इस प्रकार लाइसेन्स न बदलवाने के कारण इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी ऐक्ट, १९३३ के उल्लंघन के परिणामस्वरूप जो कुछ सरचार्ज या तावान (पेनाल्टी) देना पड़े उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।

१२—यदि किसी रेडियो सेट का उपयोग सामूहिक श्रवण के लिये नहीं किया जाता या २ सप्ताह से भी अधिक समय के लिये वह बेकार पड़ा रहता है और इसे चालू हालत में लाने के लिये प्रयत्न नहीं किये जाते या सी० बी० आर० लाइसेंस को नहीं बदलवाया जाता तो इसे सामूहिक श्रवण योजना के अधीन निर्धारित उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन समझा जायगा । यदि सूचना संचालक को इस बात का विश्वास हो जाय कि किसी संरक्षक केयरटेकर या संरक्षकों (केयरटेकरों) ने जानबूझ कर सामूहिक श्रवण योजना के नियमों का उल्लंघन किया है या नियमों का किसी भांति उल्लंघन हुआ है तो उन्हें यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बतलाये संबंधित संरक्षक (केयरटेकर) या संरक्षकों (केयरटेकरों) से रेडियों सेट वापस ले लें और एसी दशा में अंशदान की वापसी का कोई प्रश्न नहीं उठेगा ।

उपर्युक्त संशोधित नियम यह पत्र जारी होने की तारीख से लागू हो जायेंगे ।

इकरारनामा

उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक श्रवण योजना के अधीन संलग्न अनुसूची में सरकारी आदेश के नियमों और शर्तों के आधार पर एक रेडियो सेट नं० .....

..... माडल .....

ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या अन्य किसी संस्था को उधार देने की शासकीय स्वीकृति के फलस्वरूप में

.....

पिता का नाम .....

ग्राम .....डाकघर.....

थाना.....तहसील.....

जिला.....

उपर्युक्त संस्था की ओर से इस प्रमाणपत्र द्वारा निम्नलिखित घोषणा और प्रतिज्ञा करता हूं--

१--उक्त रेडियो सेट उधार पर प्राप्त करने के निमित्त मैंने..... के सरकारी खजाने में मत ४६ मिस्लेनीयस सी, मिस्लेनियस इनकम फ्राम दि कम्युनिटी लिसनिंग स्कीम आफ दि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के अन्तर्गत केवल ७५ रु० (पचहत्तर रुपये) जमा कर दिया है ।

जिला सूचना अधिकारी.....

उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के कोषाध्यक्ष को केवल ७५ रु० (पचहत्तर रुपये) अदा कर दिया है। मुझे विदित है कि अंशदान की यह रकम मुझे वापस नहीं मिल सकेगी ।

२--मैं उक्त योजना के सम्बन्ध में सरकारी आदेश से उद्धृत संलग्न अनुसूची के सभी नियमों और शर्तों का पालन करूंगा ।

३--यदि मैं उक्त सभी नियमों और शर्तों या उनमें से किसी नियम या शर्त का पालन न कर सकूंगा तो जमा की गयी उपर्युक्त रकम को जब्त कर लेने के अतिरिक्त सरकार को यह भी अधिकार होगा कि वह उक्त रेडियो सेट को मुझ से वापस ले ले और सेट को मेरे द्वारा पहुंचाई गयी किसी प्रकार की क्षति के लिये जो भी रकम सरकार उचित समझे मुझसे वसूल कर ले ।

४--उक्त रेडियो के लिये मैंने सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश के नाम बी० आर० लाइसेंस संख्या..... दिनांक..... प्राप्त कर लिया है और प्रति वर्ष निर्धारित समय के अन्दर ही अपने खर्चे से लाइसेंस को बदलाने की प्रतिज्ञा करता हूं।

५--मैं उक्त रेडियो सेट के सम्बन्ध में कभी अपने स्वामित्व का दावा न करूंगा कि और उपर्युक्त नियमों और शर्तों के अधीन सदैव उसको संरक्षक (केयरटेकर) की हैसियत से रहूंगा

उल्लिखित अनुसूची

(सरकारी आदेश संख्या अ ४१५/१९ आर० एस०-५५१-४७-४८, दिनांक ७ मार्च, १९५५ में वर्णित नियम और शर्तें :--

साक्षी संरक्षक के हस्ताक्षर

पूरा नाम व पता सहित:--

१--

२--

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

१--म्युनिसिपल बोर्ड, झांसी को जो रुपया अदा करना है उसका विवरण इस प्रकार है :--

		रु०
(१)	सरकारी ऋण की अदायगी के हेतु (दिसम्बर १९५५ तक) ..	८,२०,४८४
(२)	चुंगी की वापसी के हेतु (दिसम्बर १९५५ तक) ..	१,७३,१२९
(३)	ठेकेदारों व माल सप्लाई करने वाले अन्य लोगों को अदा करने वाली रकम (दिसम्बर १९५५ तक) ..	३,६०,०५५
(४)	चुंगी की वापसी, ठेकेदारों व माल सप्लाई करने वाले अन्य लोगों को दी जाने वाली रकम जिसका पिछले तीन वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है। ..	९९,०९९

२--बोर्ड के आर्थिक वर्ष १९५५-५६ के बजट में दस लाख से अधिक का घाटा है।

अपर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६ पर)

COPY of G. O. no. 10794/XI-A-404(65)/49, dated October 22, 1953 addressed to the Chairman, Municipal Board, Jhansi and copies endorsed to the District Magistrate, and Commissioner, Jhansi Division.

Subject—Audit objection and inspection note for 1948-49.

I am directed to invite a reference to your letter no. 414/A dated June 19, 1953, and to say that the Board does not seem to have made genuine efforts for the removal of the audit objections as would appear from the observations made by the Commissioner in his endorsement no. 4892/XXIII-186(2) dated July 7, 1953. Government do not appreciate the attitude adopted by the Board in the settlement of the audit objections, which would not only frustrate the real purpose of the Audit but also undermine the supervision of the Board itself over its accounts. I am, therefore, to request that the audit objections relating to the year 1948-49 should be removed to the satisfaction of the District Magistrate, Jhansi, and the Commissioner of the Division. A report should be furnished to Government as early as possible.

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७ पर)

सूची जिला बोर्ड, बस्ती के पाठशाला भवन, सड़क व पुलिया जिनका बाढ़ या अति वृष्टि से क्षति के कारण पुनर्निर्माण या मरम्मत की जा रही है ।

पाठशाला भवन

क्रम-संख्या	नाम पाठशाला		अनुमान
			रु०
१	प्राइमरी अशरफपुर		५,१५०
२	,,	करमैनी	४,३५९
३	,,	महसों	२,७६७
४	,,	विक्रम जोत	३,८७९
५	,,	खखरा मेलोजी	४,६६८
६	,,	रामपुर देवरिया	२,७६७
७	,,	पिपरौला	४,९५६
८	,,	डुमरियागंज	४,१४२
९	,,	रसियावल करमैनी	४,४०१
१०	,,	पैकोलिया बरूवार	४,६५०
११	जूनियर हाई स्कूल	कठेला ग्रान्ट	६,२७९
		योग . . ,	४८,०१८

निर्माण पुलियां

क्रम सं०	नाम सड़क		अनुमान
			रु०
१	घनघटा चपरा घाट समीप मौजा फतेहपुर	. .	२,३४५
२	कलवारी, गाय घाट समीप मौजा बगही	. .	१,५५२
३	कलवारी छावनी समीप प्रतापपुर	. .	१,४९३
४	सोहास लोटन समीप दलदला	. .	२,६७४
५	सोहास लोटन समीप दहला	. .	२,६३६
६	लोटन नैपाल फ्र० समीप चनेरेया	. .	८,०००
७	लोटन नैपाल फ्र० समीप लोटन	. .	५,१०५
८	इटावा बिस्कोहर समीप पेंडारी	. .	१६,५२५
		योग . .	४०,३३०

पक्की सड़कें

क्रम सं०	नाम सड़क	नम्बर मील	अनुमान रु०
१	मेहदावल बाजार	१६	३,५५७
२	बस्ती महसों	२	६,४६०
३	,,	३	६,७०८
४	बस्ती टांडा	२	५,३७९

पक्की सड़कें

क्रम सं०	नाम सड़क	नम्बर मील	अनुदान
			रु०
५	टरैया बाजार	०	२,४९४
६	बस्ती बांसी	६	४,५१६
७	अस्पताल सोनूपार	१	२,२४७
८	पांडे बाजार	४	३,१७४
९	उस्का बर्डपुर नैपाल फ्रा०	१	५,५२०
		योग	४४,१३३

कच्ची सड़कें

१	अस्पताल से कांग्रेस भवन शोहरतगढ़	..	७१७
२	जुज हिस्सा सड़क बखिरा बांसी	..	७८६
३	बस्ती मेहदावल	..	२,०००
		योग ..	३,४०३

मरम्मत पुलियां

१	सड़क बस्ती टांडा	२,३२०
२	,,	४,०००
	जमा करने रोड़ा ईट बजाय कंकड़ पुलिया पर	
	योग ..	६,३२०

अध्यात्म सत्संग पटना

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ पर १०१)

उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६

हिन्दी साहित्य सम्मेलन को पुनःसंघटित एवं पुनःसंविहित करने के लिये

विधेयक

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का निगमन सन् १९११ ई० में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० (१८६० का अधिनियम संख्या २१) के अधीन हुआ था;

अब उसे पुनःसंघटित और पुनःसंविहित करना उचित है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के इस सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह राज्य सरकार द्वारा सहकारी गजट में इस निमित्त विज्ञापित दिनांक को प्रचलित होगा।

परिभाषाएं।

२—इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो—

(क) "अन्तरिम मंडल" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा ८ के अधीन स्थापित अन्तरिम मंडल से है;

(ख) "अन्तरिम काल" से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने और इसकी धारा १४ के उपबन्धों के अनुसार अन्तरिम मंडल के समाप्त होने के बीच के काल से है;

(ग) "नियमावली" से तात्पर्य धारा ७ के अधीन और उसके अनुसार निर्मित अथवा संशोधित नियमावली से है और उसमें धारा ११ के अधीन और अनुसार निर्मित नियमावली का भी अन्तर्भाव है;

(घ) "सम्मेलन" से तात्पर्य धारा ३ के अधीन संविहित हिन्दी साहित्य सम्मेलन से है;

(ङ) "स्थायी समिति" से तात्पर्य नियमावली के अनुसार संविहित स्थायी समिति से है।

सम्मेलन की स्थापना और निगमन।

३—(१) सम्मेलन के आदि सदस्य, इसके उपरान्त बनने वाले सदस्य, उस काल तक के लिये जब तक वे सदस्य बने रहें, और ऐसे निकाय जिन्हें सम्मेलन नियमावली के अनुसार अपने प्रयोजनों के लिये संविहित करे एतद्द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नाम से एक निगम निकाय के रूप में संविहित किये जाते हैं।

(२) सम्मेलन शाश्वत उत्तराधिकारशील होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से ही वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा एवं उस पर वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(३) सम्मेलन का प्रधान कार्यालय इलाहाबाद में होगा।

(४) सम्मेलन के आदि सदस्य होंगे--

(क) वे व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले वाले दिनांक को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबद्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन के (जिसे आगे चलकर इस अधिनियम में "समाज" कहा जायगा) विशिष्ट सदस्य थे;

(ख) वे व्यक्ति जो पूर्वोक्त दिनांक को समाज के स्थायी सदस्य थे;

(ग) समाज के भूतपूर्व सभापति; और

(घ) वे व्यक्ति जो समाज द्वारा मंगलाप्रसाद पारितोषिक पा चुके हों।

(५) सम्मेलन की आगे की सदस्यता नियमावली के अनुसार होगी।

सम्मेलन के उद्देश्य।

४--सम्मेलन के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे--

(१) हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य और देवनागरी लिपि की भारत एवं विदेशों में अभिवृद्धि, विकास तथा उन्नति के लिये कार्य करना;

(२) हिन्दी साहित्य का सर्जन, मुद्रण और प्रकाशन;

(३) हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा परीक्षाओं की व्यवस्था करना और उपाधियां प्रदान करना;

(४) हिन्दी भाषा और साहित्य के शिक्षण के लिये विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं स्थापित करना और चलाना तथा अपनी परीक्षाओं के लिये विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को अपने से सम्बद्ध करना;

(५) हिन्दी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि का उद्देश्य रखने वाली संस्थाओं को अपने से सम्बद्ध करना;

(६) उत्कृष्ट हिन्दी सेवियों को मानद एवं अन्य उपाधियां तथा वाचस्पत्य पदवियां प्रदान करना;

(७) हिन्दी के विशिष्ट साहित्यकों को पारितोषिक प्रदान करना।

(८) हिन्दी भाषा एवं साहित्य सम्बन्धी अनुसंधान की उन्नति करना और उसे प्रोत्साहन देना;

(९) पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो अन्य उपाय आवश्यक और उपयुक्त प्रतीत हों, उन्हें काम में लाना।

अधिकार और कृत्य।

५--सम्मेलन अपने कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन नियमावली के अनुसार करेगा।

अधिकार और सम्पत्ति का निहित होना।

६--(१) समाज इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिन समाप्त हो जायगा और कार्य करना बन्द कर देगा।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होते ही--

(क) वे समस्त अधिकार और वह समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति जो उक्त प्रारम्भ के पूर्व समाज की थी या उसमें निहित थी इस अधिनियम के अधीन स्थापित सम्मेलन की होकर उसमें निहित हो जायगी;

(ख) समाज के सभी ऋण और दायित्व सम्मेलन को संक्रान्त हो जायंगे और तदन्तर उसके ही द्वारा पूर्वोक्त सम्पत्ति से भरे और चुकाए जायंगे।

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व निष्पादित सभी प्रकार के कारण, वसीयत, विलेख या लेख्य में, जिसके अन्तर्गत दित्सा, दान एवं न्यास वाले विलेख भी हैं, समाज के सम्बन्ध में हुए प्रत्येक उल्लेख का इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानो वह उस अधिनियम द्वारा स्थापित सम्मेलन का ही उल्लेख हो;

(घ) उक्त प्रारम्भ के पूर्व समाज से सम्बद्ध सभी विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं जब तक सम्मेलन द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाय पूर्ववर्ती निबन्धनों और शर्तों के साथ सम्मेलन से सम्बद्ध हो जायेंगे।

नियमावली

७—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सम्मेलन नियमावली बना सकता है; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम नियमावली धारा ११ के उपबन्धों के अनुसार ही बनेगी।

(२) नियमावली में स्थायी समिति के, जो सम्मेलन का शासनिक निकाय होगी, संगठन और स्थापना की व्यवस्था रहेगी।

(३) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता को बाधित न करते हुए, नियमावली में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) सदस्यता से सम्बद्ध विषय, जिसके अन्तर्गत सम्मेलन के सदस्यों की पात्रता, विपात्रता, पदत्याग एवं सदस्यता-समाप्ति भी है;

(ख) स्थायी समिति के अधिकार और कृत्य;

(ग) सम्मेलन की समितियों एवं प्राधिकारियों के संगठन, स्थापना, अधिकार और कृत्यों से सम्बद्ध विषय;

(घ) स्थायी समिति एवं नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के संगठन के लिये निर्वाचनों का संचालन और उक्त निर्वाचनों के अवसर पर या उनके सम्बन्ध में शंकाओं और विवादों का निर्णय;

(ङ) सम्मेलन की स्थायी समिति एवं नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के कर्त्तव्य-पालन, कृत्य-सम्पादन एवं अधिकार-प्रयोग की रीति और प्रक्रिया;

(च) सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निधि की स्थापना और संधारण;

(छ) खंड (च) में उल्लिखित निधि के विनियोग और उसमें से व्यय की रीति और प्रक्रिया;

(ज) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये लेखाबही तथा अन्य पंजी और विवरण रखने की प्रक्रिया और प्रपत्र;

(झ) सम्मेलन के वैतनिक सेवियों की नियुक्ति, नियन्त्रण एवं सेवा की अन्य शर्तें;

(ङ) सम्मेलन, स्थायी समिति तथा नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के निमित्त एवं उनकी ओर से पत्र-व्यवहार, लेख्य-निष्पादन और संविदा;

(ट) सम्मेलन, स्थायी समिति, अन्य समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा एवं उनके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन;

(ठ) विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के संबद्ध किये जाने से सम्बद्ध विषय;

(ड) उपाधियों तथा वाचस्पत्य पदवियों के प्रदान से सम्बद्ध विषय;

(ढ) पारितोषिकों के प्रदान से सम्बद्ध विषय;

(ण) नियमावली के संशोधन की प्रक्रिया;

(त) सामान्यता ऐसे अन्य विषय जिन्हें सम्मेलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक समझे।

(४) सम्मेलन को अधिकार होगा कि नियमावली को, जिसके अन्तर्गत धारा ११ के अधीन बनी नियमावली भी होगी, उसमें विहित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर संशोधित करे।

(५) नियमावली एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों की एक प्रति नियमावली बनने और संशोधन होने के बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार को भेजी जायगी।

अंतरिम मंडल का संगठन।

८—(१) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये एक अंतरिम मंडल स्थापित किया जायगा :—

(क) प्रथम नियमावली बनाना,

(ख) स्थायी समिति के लिये प्रथम निर्वाचन कराना,

(ग) अन्तरिमकाल में सम्मेलन का कारबार चलाना।

(२) अन्तरिम मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे—

(क) राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक सभापति,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक मंत्री,

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामांकित ९ अन्य सदस्य।

(३) अन्तरिम मंडल राज्य सरकार द्वारा अपनी स्थापना सरकारी गजट में विज्ञापित किये जाने के दिन कार्यभार ग्रहण कर लेगा।

(४) अन्तरिम मंडल की बैठकों के लिये गणपूर्ति ३ सदस्यों की होगी।

(५) मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से अन्तरिम मंडल के किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर मंडल के अन्य सदस्य उक्त स्थान की पूर्ति सम्मेलन द्वारा करेंगे, किन्तु अन्तरिम मंडल द्वारा किया गया कोई कार्य या पारित कोई प्रस्ताव उक्त कार्य किये जाने या प्रस्ताव पारित होने के समय ऐसी किसी रिक्ति के अपूरित रह जाने के कारण असाधु नहीं समझा जायगा।

(६) अन्तरिम मंडल के सभी निर्णय मंडल की बैठक में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार होंगे।

अंतरिम मंडल का सम्मेलन एवं उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध का भार ग्रहण करना।

९—इस अधिनियम की धारा ७ या अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, अन्तरिम मंडल की स्थापना के दिनांक से ही उस पर सम्मेलन के कारबार के प्रबंध, नियंत्रण और प्रशासन का भार होगा और वह उक्त दिनांक को ही सम्मेलन की समस्त सम्पत्ति, जिसमें धारा ६ के अधीन सम्मेलन में निहित निधि और सम्पत्ति भी होगी, अपने अधिकार में ले लेगा।

आदि सदस्यों की सूची।

१०—(१) अन्तरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से ३० दिन के भीतर, यदि राज्य सरकार कोई अनुदेश दे तो उनका पालन करते हुये, धारा ३ के अर्थ में सम्मेलन के आदि सदस्य समझे जाने वाले समस्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा।

(२) सूची ऐसी रीति से प्रकाशित कर दी जायगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(३) यदि उपधारा २ के अधीन आदि सदस्यों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात् किसी समय, अन्तरिम मंडल को यह प्रतीत हो कि त्रुटि से किसी व्यक्ति का नाम सूची में अंकित होने से रह गया है या सूची में अंकित हो गया है तो उसे अधिकार होगा कि वह उस नाम को उक्त सूची में अंकित कर दे या उसमें से निकाल और ऐसा नाम ऐसी रीति जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय प्रकाशित कर दिया जायगा। जहां किसी व्यक्ति का नाम पूर्वोक्त रीति से अंकित किया जाय वहां ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में सर्व प्रकार से यह समझा जायगा कि उनका नाम सूची में उपधारा (१) के अधीन तैयार के होने के समय से ही रहा है।

(४) इस धारा के अधीन तैयार की गयी सूची में जिन व्यक्तियों के नाम होंगे उनके अतिरिक्त और कोई व्यक्ति धारा ३ के अर्थ में सम्मेलन का आदि सदस्य नहीं समझा जायगा।

(५) न्यायालय उक्त सूची की वैचारिक अवेक्षा करेगा और उसे इस बात का निश्चायक प्रमाण मानेगा कि उसमें नामोल्लिखित व्यक्ति सम्मेलन के आदि सदस्य हैं।

प्रथम नियमावली का निर्णय।

११—(१) अन्तरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से ४ मास के भीतर धारा ७ में विनिर्दिष्ट विषयों में से सब या किसी विषय में प्रथम नियमावली बनायेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनायी जाने वाली प्रस्तावित नियमावली का एक आलेख्य राज्य सरकार के पास उसके अनुमोदन के लिये भेजा जायगा।

(३) राज्य सरकार आलेख्य पाने के बाद यथाशीघ्र उस पर विचार करेगी और उसे अधिकार होगा कि वह उसे बिना किसी परिष्करण के या परिष्करणों के साथ अनुमोदित कर ले।

(४) नियमावली जिस रूप में राज्य सरकार उसे अनुमोदित करे, अन्तरिम मंडल द्वारा ऐसी रीति से प्रकाशित कर दी जायगी जो राज्य सरकार विहित करे।

अंतरिम मंडल द्वारा स्थायी समिति का संगठन।

१२—अंतरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से छः मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुयी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर दे नियमावली के उपबन्धों के अनुसार स्थायी समिति का प्रथम निर्वाचन कराने की व्यवस्था करेगा

और ऐसे सब उपाय काम में लायेगा जो पूर्वोक्त रूप से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्थायी समिति के यथोचित संगठन और स्थापना के लिये आवश्यक हों।

अंतरिम मंडल के अधिकार।

१३—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त एवं उन्हें बाधित न करते हुये, अंतरिम मंडल अन्तरिम काल में सम्मेलन के निमित्त और उसकी ओर से आगे विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का सम्पादन करेगा—

(क) सम्मेलन द्वारा प्राप्य सभी भाड़े, लगान एवं अन्य देय वसूल करना और सम्मेलन को दी गयी सहायताएं, दान, चन्दे, परीक्षा एवं इतर शुल्क तथा अन्य सभी धन प्राप्त करना ;

(ख) अपने कृत्यों के सम्पादन और कर्त्तव्यों के पालन के लिये उसे अपनी समझ से जो-जो व्यय आवश्यक प्रतीत हों उन्हें सम्मेलन की निधियों में से करना या करने की अनुज्ञा देना ;

(ग) ऐसे सभी बैंकों एवं अन्य स्थानों में जहां सम्मेलन का हिसाब हो वहां रुपया निकालना-पैठालना और इस प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक पदाधिकारियों को ऐसे सब हिसाबों में रुपया निकालने-पैठालने और विपत्रों, चिकों, रसीदों एवं अन्य ऐसे लेख्यों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देना, जिन पर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन और कर्त्तव्यों के पालन के लिये अन्तरिम मंडल को हस्ताक्षर करना हो या जिनका उसे निष्पादन करना हो।

(घ) इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये अधिकारों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन के लिये अभिकर्ता, कार्यपालक या सेवी नियुक्त करना और जैसी आवश्यकता प्रतीत हो उन्हें, अन्तरिम मंडल की ओर से अन्तरिमकाल में वाद या प्रतिवाद प्रस्तुत करने अथवा अन्य कार्य करने का अधिकार देना।

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में उपविधि बनाना।

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उन समस्त कार्यों को करना जिन्हें वह आवश्यक समझे।

प्रशासन और सम्पत्ति का हस्तांतरण।

१४—धारा ७ की उपधारा (२) में उल्लिखित स्थायी समिति की स्थापना से १५ दिन के भीतर अन्तरिम मंडल सम्मेलन का प्रशासन और प्रबंध एवं उसकी सभी सम्पत्ति और निधि स्थायी समिति को हस्तान्तरित कर देगा, तदन्तर स्थायी समिति नियमावली के अधीन उसे सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगी और उक्त १५ दिन की अवधि की समाप्ति के दिनांक तथा पूर्वोक्त उक्त रीति से प्रशासनादि के हस्तान्तरण के दिनांक में से जो पूर्ववर्ती होगा उस दिनांक को अन्तरिम मंडल समाप्त और विघटित हो जायगा।

वादों और कार्यवाहियों का उपशमन।

१५—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे सब वाद, जिनका सम्बन्ध किसी ऐसे विवाद से हो जो समाज के संविधान और कार्य संचालन के विषय में हो और जिसमें समाज पक्षकार हो, चाहे वे मूल न्यायालय में चल रहे हों चाहे अपील या पुरीक्षण न्यायालय में, ऐसे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को उपशांत हो जायेंगे और उनके सम्बन्ध में हुयी सब कार्यवाहियां प्रत्याहृत हो जायंगी।

कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार के अधिकार।

१६—राज्य सरकार को अधिकार होगा कि कठिनाइयों को विशेषकर ऐसी कठिनाइयों को, जिनका सम्बन्ध अन्तरिम मंडल की स्थापना प्रथम नियमावली के निर्माण या सम्मेलन अथवा प्रथम स्थायी समिति की स्थापना से हो, दूर करने के प्रयोजन के लिये राजाज्ञा द्वारा यह आदेश दे कि यह अधिनियम राजाज्ञा में विनिर्दिष्ट अवधि में उसके द्वारा आवश्यक और उचित समझे जाने वाले अनुकूलनों के साथ ही, जो परिष्करण, परिवर्द्धन या अपवर्तन में से किसी भी रूप में हों, सप्रभाव होगा।

विधेयक का हेतु और प्रयोजन

हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी के विद्वानों और कार्यकर्ताओं की प्रतिनिधि संस्था है। इसका सर्वप्रथम अधिवेशन पंडित मदनमोहन मालवीय जी के सभापतित्व में १९१० में हुआ था। सन् १९११ ई० में यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (१८६० का अधिनियम संख्या २१) के अधीन एक सोसाइटी के रूप में निबद्ध हुआ था। अपने ४५ वर्ष के कार्यकाल में इसने हिन्दी की अभिवृद्धि के लिये उल्लेखनीय कार्य किया है। इसका पिछला अधिवेशन, जो इसका ३८ वां अधिवेशन था, १९५० में हुआ था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सम्बन्ध इसके जन्मकाल से ही हिन्दी के बड़े-बड़े साहित्यिकों और कार्यकर्ताओं से किसी न किसी रूप में रहा है। हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में उच्चतम स्थान ग्रहण करने वाले विशिष्ट व्यक्ति इसके सभापति रहे हैं।

२—इस सम्मेलन के पिछले अधिवेशन के, जो सन् १९५० ई० में हुआ था, पश्चात इसके कार्य संचालन के विषय में कुछ ऐसे वैधानिक झगड़े उठ खड़े हुए जिनके कारण एक प्रतिगृहीता (रिसीवर) की नियुक्ति हो गयी। वैधानिक विवाद चलते हुये अब लगभग पांच वर्ष हो चुके हैं और पता नहीं इसका कब अन्त होगा। सम्मेलन का साधारण कारबार प्रतिगृहीता की देखरेख में चल अवश्य रहा है। किन्तु जहां तक राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रों में हिन्दी की आवश्यकताओं की पूर्ति का सम्बन्ध है एक शक्तिशाली संस्था के रूप में सम्मेलन की गति अवरुद्ध हो गयी है। इस विधेयक का प्रयोजन यह है कि सम्मेलन को एक ऐसे दृढ़ आधार पर स्थित कर दिया जाय कि भविष्य में वह हिन्दी की प्रगति और हिन्दी भाषा सम्बन्धी विविध समस्याओं के समाधान के लिये कार्य करने को स्वतंत्र हो जाय।

३—इस विधेयक में एक ऐसा अन्तरिम मंडल बनाने की व्यवस्था है जो सम्मेलन की भावी नियमावली बनायेगा, जिसके अनुसार उसकी प्रबन्धकारिणी के रूप में स्थायी समिति का निर्माण हो सके। अन्तरिम मंडल सम्मेलन के प्रशासन का भार भी तुरन्त ग्रहण कर लेगा। फिर जब स्थायी समिति बन जायगी तब सम्मेलन को चलाने का उत्तर दायित्व वह अपने ऊपर ले लेगी और अन्तरिम मंडल स्वतः विघटित हो जायगा।

हरगोबिन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

अ

अचल सम्पति	Immovable property.
अधिकार	1. Power 2. Right.
अधिकार प्रयोग	Exercise of powers.
अनुकूलन	Adaptation.
अनुज्ञा देना	To Sanction.
अनुदेश	Instruction
अनुमोदन	Approval
अनुसंधान	Research
अन्तरिम मंडल	Interim Board
अन्तर्भाव	Inclusion
अपवर्तन	Omission
अपूरित	Unfilled
अभिकर्ता	Agent
अभियोजन	Prosecution
अभिवृद्धि	Promotion
अवधि	Period
असाधु	Invalid

आ

आदि सदस्य	First members
आमेलन	Co-option
आलेख्य	Draft

इ

इतर	Other

उ

उत्कृष्ट	Distinguished
उत्तराधिकार	Succession
उद्देश्य	Aims and Objects
उन्नति	Advancement
उपबन्ध	Provision
उपविधि	Byelaw
उपशमन	Abatement
उपशांत होना	To abate
उपाधि	Degree
उल्लिखित	Referred to
उल्लेख	Reference

ए

एतद्द्वारा	Hereby

क

करण	Instrument
काल . . . . . अन्तरिम	Period . . . . . Interim
कृत्य	Function

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कृत्यसंपादन	Performance of functions
कार्यपालक	Functionary
कार्यभार ग्रहण करना	To take over charge
कार्यान्वित करना	To carry into effect
किसी बात के होते हुये भी	not withstanding anything

ग

गणपूर्ति	quorum

च

चल सम्पत्ति	Movable property

त

तात्पर्य	Meaning
त्रुटि से	Wrongly

द

दायित्व	Liability
दित्सा	Bequest
देय	Dues

न

नामांकित	nominated
नामोल्लिखित	named
निकाय	Body
निगम निकाय	Body corporate
निगमन	Incorporation
निधि	Fund
निबद्ध	Registered
निबन्धन	Terms
नियंत्रण	Control
नियुक्ति	Appointment
निर्मित	Framed
निर्वाचन	Election
निर्वाचन का संचालन	Conduct of election
निश्चायक प्रमाण	Conclusive proof
निष्पादन	Execution
निष्पादित	Executed
निहित	Vested
न्यास	Trust

प

पंजी	Register
पक्षकार	Party
पदत्याग	Resignation
परिवर्द्धन	Addition
परिष्करण	Modification
हालत	Qualification

विधान सभा प्रदेश

पुनरीक्षण	Revision
पुनः संघटन	Reorganization
पुनः संगठित करना	Reorganize
पुनः संविहित करना	Reconstitute
पूर्ववर्ती	1. Earlier, 2. Foregoing
पूर्वोक्त	Aforesaid
प्रकाशन	Publication
प्रक्रिया	Procedure
प्रतिकूल	Repugnant
प्रतिवाद प्रस्तुत करना	To defend
प्रत्याहृत	Withdrawn
प्रशासन	Administration
प्रसंग	Context
प्रस्तावित	Proposed
प्राधिकारी	Authority
प्रारम्भ	Commencement
प्रोत्साहन	Encouragement
ब	
बाधित न करते हुये, को	Without prejudice to
भ	
भूतपूर्व सभापति	Ex-President
म	
महाविद्यालय	College
माध्यम	Medium
मानद उपाधि	Honorary degree
मुद्रण	Printing
मुद्रा	Seal
मुद्रा सामान्य	Common Seal
मूल न्यायालय	Court of first instance
र	
रिक्त	Vacant
रिक्ति	Vacancy
रीति	Manner
ल	
लिपि	Script
लेखाबही	Account book
लेख्य	Document
व	
वाचस्पत्य पदवी	Academic distinction
वाद	Suit
वाद प्रस्तुत करना	To sue
वाद प्रस्तुत किया जाना, पर	To be sued
विकास	Development
विघटित	Dissolved

उत्तर प्रदेश संस्था

विज्ञापित	Notified
विद्यालय	School
विनिर्दिष्ट	Specified
विनियोग	Application
विपत्र	Bill
विपात्रता	Disqualification
विलेख	Deed
विवरण	Statement
विवाद	Dispute
विषय	1. Matter 2. Subject
विहित	Prescribed
वैचारिक अवेक्षा	Judicial notice
व्यवस्था करना	1. To arrange for 2. To provide for

श

शंका	Doubt
शाश्वत	Perpetual
शाश्वत उत्तराधिकार	Perpetual succession
शाश्वत उत्तराधिकार शील	Having perpetual succession
शासनिक निकाय	Governing body
शिक्षण	Instruction

स

संविदा	Contract
संविधान	Constitution
संविहित	Constituted
संशोधित	Amended
संस्था	Institution
संक्रान्त	Transferred
संगठन	Constitution
संधारण	Maintenance
सदस्यता. . . .आगे की सदस्यता	Membership (Subsequent membership)
सप्रभाव होना	To take effect
समय विशेष पर प्रचलित	For the time being in force
समिति	Committee
सम्बद्ध	1. Affiliated 2. Relating to
सम्बद्ध करना	Affiliate
सर्जन	Creation
सामान्यतया	Generally
सामान्य मुद्रा	Common seal
सेवी	Employee
स्थापित	Established

ह

हस्तान्तरण	Handing over
हस्तान्तरित करना	To hand over

पी० एस० यू० पी०— ए० पी०—१९ एल० ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश सचिवालय